महानगर नई दिल्ली रविवार 10 नवंबर, 2019, रु. 5.00 (14+4 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

मंदिर वहीं

रामलला विराजमान के पक्ष में संविधान पीठ की सर्वसम्मत राय

मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट बनाने का निर्देश

सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही कहीं और पांच एकड़ जमीन देने का निर्देश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। साथ में व्यवस्था दी कि मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन अयोध्या में ही कहीं और दी जाए। पांच जजों के संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन अब केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी, जो इसे सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सौंपेंगे। केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है।

निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज, रामलला विराजमान, सुन्नी वक्फ बोर्ड को पक्षकार माना

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 1045 पन्नों के फैसले में कहा कि हिंदुओं का यह विश्वास निर्विवाद है कि संबंधित स्थल पर ही भगवान राम का जन्म हुआ था तथा वे प्रतीकात्मक रूप से भूमि के मालिक हैं। अदालत ने अपने फैसले में हालांकि यह भी कहा, 'फिर भी यह स्पष्ट है कि राम मंदिर बनाने गए कारसेवकों द्वारा छह दिसंबर 1992 को 16वीं सदी के तीन गुंबद वाले ढांचे को ढहाना गलत था और उसका निवारण होना चाहिए।' न्यायमूर्ति गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल थे। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने वकीलों और पत्रकारों से खचाखच भरे अदालत कक्ष में इस बहुप्रतीक्षित फैसले के मुख्य अंश पढ़कर सुनाए। इसमें उन्हें 45 मिनट लगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्मोही अखाड़े के दावे बाकी पेज 8 पर

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर फैसले के बाद प्रसन्नचित लोग। फोटो : अरुष चोपड़ा

नए भारत में कटुता की जगह नहीं : मोदी

बर्लिन की दीवार गिराए जाने की घटना से जोड़ा फैसले को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि अब देशवासियों को राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर नए भारत के निर्माण में जुटना होगा। उन्होंने कहा, बाकी पेज 8 पर

करतारपुर गलियारा देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करतारपुर यात्री टर्मिनल के उद्घाटन के बाद लंगर छकते हुए।

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

आखिरकार सिख श्रद्धालुओं की वर्षों पुरानी मुराद पूरी हो ही गई। 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में बनाए गए करतारपुर साहिब गलियारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया। गुरुदासपुर के डेरा बाबा नानक में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से गलियारे का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं।'

इस गलियारे के जरिए अब श्रद्धालु श्री गुरु नानक देव जी के पाकिस्तान के नरोवाल जिले के गांव करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने सीधे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने करतारपुर साहिब के लिए भारत से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना किया। इस जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, भाजपा सांसद सनी देओल के अलावा कई सांसद, मंत्री, विधायक और देश के तमाम राज्यों से एक-एक प्रतिनिधि शामिल थे।

मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से गुरु नानक जी की याद में तैयार बाकी पेज 8 पर

फैसले का आधार बनीं ये दलीलें

एएसआइ की रिपोर्ट, कई तथ्यों और आस्था का भी लिया संज्ञान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य रूप से चार तर्कों को अपने फैसले का आधार बनाया। अदालत ने मुसलिम पक्ष की तमाम दलीलों का भी जिक्र करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की तमाम रिपोर्ट और अन्य तथ्यों को आधार माना।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अदालत ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद किसी खाली स्थान पर नहीं बनाई गई थी। सुनवाई के दौरान मुसलिम पक्ष ने यह दलील दी थी कि विवादित स्थल पर लगातार नमाज न पढ़ने और मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल कभी नहीं बाकी पेज 8 पर

खबरें पेज 8 पर

- हो गया हिंदू-मुसलिम विवाद का अंत : इकबाल अंसारी
- पुनर्विचार याचिका के पक्ष में मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड
- पांच एकड़ जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा जताया
- फैसले को चुनौती नहीं देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

विधिसम्मत और 'अंतिम निर्णय' हुआ : संघ प्रमुख

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि हम सही थे। फैसले पर संघ प्रमुख अपनी प्रतिक्रिया में कहा- संघ विवाद का खात्मा चाहता था जो हो गया। मैं इससे संतुष्ट हूं। दशकों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद यह विधिसम्मत और 'अंतिम निर्णय' हुआ है और अब अतीत की बातों को भुलाकर सभी को मिलकर भव्य राममंदिर का निर्माण करना है। प्रेस कांफ्रेंस में अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने कहा कि संघ मनुष्य का निर्माण करता है, बाकी पेज 8 पर

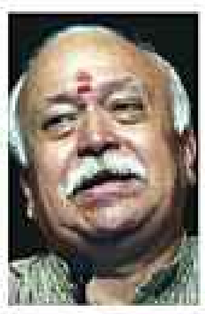

'फैसले ने साफ कर दिया कि हम सही थे

इसे जीत-हार के रूप में बिलकुल न देखें'

अयोध्या फैसले के बाद

देशभर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त

जनसत्ता टीम/भाषा
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद देशभर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में जहां निषेधाज्ञा लागू की गई है, वहीं सतर्कता के लिए कई वैकल्पिक कदम भी उठाए गए हैं। इस बीच, अफवाह फैलाने या अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं।

अफवाह फैलाने या अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में कई गिरफ्तारियां

- *देश* के कई हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू, सतर्कता के लिए कई कदम
- *भोपाल* में 30 नवंबर तक जुलूस और रैलियों के लिए दी गई सभी अनुमति रद्द
- *धारा 144* लागू होने के बावजूद लखनऊ में आज निकलेगा जुलूस-ए-मोहम्मदी

अयोध्या मामले में सुप्रीम दिल्ली के कई इलाकों में ड्रोन से गश्त की गई। साथ ही पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया। उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के अलावा संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने ड्रोन की मदद ली और वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायाजा लिया। न्यायालय के फैसले के मद्देनजर कई इलाकों में रुट बदल दिया गया था। बाकी पेज 8 पर

महाराष्ट्र : राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए भाजपा को बुलाया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार की शाम को सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित किया। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने भाजपा से सरकार बनाने के लिए अपनी इच्छा से अवगत कराने को कहा गया है। राज्यपाल ने भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस से बाकी पेज 8 पर

विधानसभा का कार्यकाल शनिवार आधी रात को समाप्त हो गया

दरअसल

उम्र के नौ दशक पार, रखीं अकाट्य दलीलें

के. पराशरण

पद्मभूषण और पद्म विभूषण से नवाजे जा चुके हैं

रामलला की पैरवी की 'भीष्म पितामह' ने

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

उम्र को धता बताते हुए अयोध्या मामले में रामलला विराजमान की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के. पराशरण ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहत की सांस ली होगी, जिन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनके जीते जी रामलला कानूनी तौर पर विराजमान हो जाएं।

उम्र के नौ दशक पार करने के बावजूद पूरी ऊर्जा से अयोध्या मामले में अकाट्य दलीलें रखने वाले पराशरण को भारतीय वकालत का 'भीष्म पितामह' यूं ही नहीं कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में जब अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला किया तो विरोधी पक्ष के वकीलों ने कहा था कि उम्र को देखते हुए उनके लिए यह मुश्किल होगा लेकिन 92 बरस के पराशरण ने 40 दिन तक घंटों चली सुनवाई में पूरी शिद्दत से दलीलें पेश की। न्यायालय में पराशरण को बैठकर दलील पेश करने की सुविधा भी दी गई लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे भारतीय वकालत की परंपरा का पालन करेंगे।

रामलला विराजमान से पहले सबरीमला मामले में भगवान अयप्पा के वकील रहे पराशरण को भारतीय इतिहास, वेद-पुराण और धर्म के साथ ही संविधान का व्यापक ज्ञान है और इसकी बानगी न्यायालय में भी देखने को मिली। उन्होंने स्कंध पुराण के श्लोकों का जिक्र करके राम मंदिर का अस्तित्व साबित करने की कोशिश की। बाकी पेज 8 पर

सबरीमला मामले में भगवान अयप्पा के वकील रहे।
सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट से रामसेतु को बचाने के लिए अदालत में सरकार के खिलाफ उतरे।
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए ड्राफ्टिंग एंड एडिटोरियल कमेटी में शामिल किया था।
पराशरण ने हाल ही में कहा था कि उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि उनके जीते जी रामलला कानूनी तौर पर विराजमान हो जाएं।

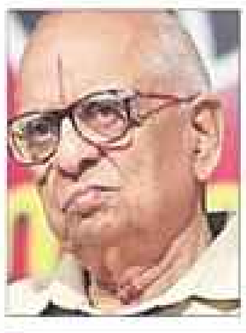

रविवारी
10 नवंबर, 2019

बच्चों की बदलती दुनिया

बाजार, शिक्षा और संचार माध्यमों में हुए बदलावों का असर बच्चों के जीवन पर भी पड़ा है। इसके अलावा उनके लालन-पालन के तौर-तरीके भी बदले हैं। बच्चों की बदलती दुनिया के बारे में विमर्शपरक विश्लेषण कर रहे हैं राजकुमार।

• कहानी/ कुलीना कुमारी • अवसर/ शास्त्री कोसलेंद्रदास • आधी दुनिया/ क्षमा शर्मा • शख्सियत/ सालिम अली • दाना-पानी/ मानस मनोहर • सेहत/ रविवारी डेस्क

किसी धरोहर से कम नहीं पटोला साड़ी • सुमन बाजपेयी

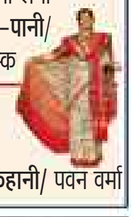

• कविता/ हरिंदर सिंह गोगना • कहानी/ पवन वर्मा

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Rakesh Pandey S/o Narayan Pandey R/o 370, Prem Nagar-3, Agar Nagar, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, has been lost original Educational Certificate of 10th Class (CBSE) Year-2012. Roll No. 873546, Vider LR No. 1693217/ 2019 dt:- 07.10.2019 0040515292-4

It is for general information that I, Surekha Rout W/o-Prem Nath Rout residing at-P-44C, Phase-2, Sharma Colony, Budh-Vihar, Delhi-86 informs that name of mine has been wrongly-written asSurekha in my Son (Pranab Rout) School-record (10th-Class). The actual name of my is Surekha Rout respectively which may be amended accordingly. 0040519489-1

I Aisha Pandey D/o Krishan Pandey R/o.H.No.13,Gali No.1, A-Block, Baba-Colony, Burari Delhi-84.Have Changed, My Name Asha Pandey To Aisha Pandey for All Purposes. 0040519513-6

I Army No.14822488Y Hav/MT Vijendra Singh Village and Post Narsena, Teh Siyana, District Bulandshahar(UP) 202398 have changed wife name from Abha Chauhan to Abha Rani Chauhan and DOB from 06/07/1977 to 14/07/1976 0040519500-2

I Ashok Kumar S/o Ramgati Prasad R/o 2 BK - 66A NIT Faridabad (Hr.) have change my name from Ashok Kumar S/o Ramgati Prasad to Ashok Kumar Sahani S/o Ram Gati Sahani for all future purpose. 0040519531-3

I Jitender Kumar Banewal S/o Late Ishwar Singh R/o F6 Tower No-15 Type-4 East Kidwai Nagar ND-23 have changed my name to Jitender Banewal. 0040519531-1

I Krishna W/o Sh. Daulat Ram Sharma R/o D-9 D-Block Raja Puri New Delhi-110059 by mistake mentioned my bank account name as Trishla Devi but my actual name is Krishna. Trishla Devi and Krishna both are same person. 0040519450-1

I Madhushree Singhi W/o Sh.Ajay Singhi D/o Sh.Motilal Mimani, presently R/o G-701, La Lagune, 7th Floor, Golf Course Road, Sector-54, Gurugram, originally R/o 158-A, Jor Bagh, New Delhi-110003 have changed my name to Madhu Singhi for all purposes. 0040519451-1

I Pooran Singh S/o Pyare Lal R/o-G-31A, Krishan Vihar Delhi 110086 have changed my name to Puran Singh. 0040519506-9

I Raja Adiwasi S/o Soudani Adiwasi R/o-S-237/48, Siwaji Adiwasi-Camp, Nehru-Nagar, Sriniwaspuri, Delhi-65 Have Changed My Name To Raja Singh For All Purposes. 0040519506-3

I Inder Preet Singh Kukreja S/o Arvinder Pal Singh R/o Ca-95-c Dda Flats Hari Nagar ND-64 Have Changed My Name To Inder Preet Singh 0040519531-2

I Rakesh Kumar Shrivastava S/o Sadanand Lal R /o C-18 Shubham Enclave Paschim Vihar, New Delhi-110063 changed my minor Daughter name from Pihu Shrivastava to Tanishi Shrivastava 0040519500-1

I, Amit Gupta S/o Suraj Bhan Aggarwal R/o-159 New Rajdhani Enclave, Preet Vihar Delhi-110092,have changed my name to Amit Aggarwal for all purposes. 0040519506-5

I, Amita Kumari W/o Pawan Kumar Pandey R/o C-2/140-141, Ground Floor, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed name to Amita Pandey. 0040519506-7

I, Devender Rahul S/o Shri Tejpal Choudhary R/o A-28 Sector-46 Noida, Distt-GautambudhNagar have changed my name to Devender Rahul Choudhary. 0040519491-1

It is for general information that I Rohit Aggarwal S/o Late Sh. Nirmal Kumar Aggarwal residing at House.No.B-47,Ist-Floor,Ashok Vihar, Phase-I,Delhi-110052 declare that name of mine,my Wife and my minor daughter has been wrongly written as Rohit Agarwal,Bhawna Agarwal and Kamya Agarwal aged 15 years in her School Records and Educational Documents. The actual name of mine, my wife and my minor are Rohit Aggarwal, Bhavna Aggarwal and Kamya Aggarwal respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection. 0040519522-5

I, Nipun Gupta R/o-176-D, Abu Lane, Meerut have changed my son's name from Arsh to Arsh Gupta for all purposes. 0040519513-1

I, Yogesh Kumar S/o Munshi Lal Sharma R/o C-5/306, Saurabh Apartment-3, Shalimar Garden Extension-2, Sahibabad, Distt Ghaziabad (U.P), have Changed my name toYogesh KumarSharma for all future purposes. 0040519507-1

I, Swatantra Kumar S/o Ram Krishan R/o 1104, Antriksh Green Society, Koshambi, Ghaziabad, UP-201010 have changed my son's name from Anant Kumar to Anant Kumar Dharia. 0040519320-1

I, Sweety Reshi W/o Satesh Reshi, H.No.SKF-106, Shipra Krishna Vista Appt., Ahinsa-Khand Indirapuram, Ghaziabad, U.P.,have changed my name Sweety Pandita Reshi 0040519506-10

I, Surrender Singh S/o Bhram Parkash R/o 421, First Floor, Pocket-9, Sector-21, Rohini Extension, Delhi-110085, have changed my name to SURENDER SINGH permanently. 0040519505-1

I, Surender Kumar S/o Chander Bhan R/o H.No.08, Village-Amberhai, Sector-19, Dwarka, N.Delhi-75 have changed my name to Surender Kumar Sehrawat. 0040519513-8

I, Sunil Gupta S/o Shamlal Gupta R/o-A-10, Satyawati-Colony Ashok-Vihar, Phase-3, Delhi-110052, Have Changed My Name To Sunil Kumar Gupta. 0040519506-1

I, Sumeet S/O Shri.Kailash Sharma, R/o-M-380, Ground-Floor, Orchid-Island, Sector-51, Gurugram-122018, Haryana, Have Changed My Name To Sumeet Sharma,For All Purposes. 0040519506-4

I, Siva Kumar S/o Rameshwaran R/o present resident at EEE Sub GP (21 SIG GP) Anand Parbat Military Station, C/o 56 APO, New Delhi-110005, informs that in your record my wife's name has been mentioned as Adhilakshmi S. But my wife's correct and actual name is ADHILAKSHMI A. 0040519502-1

I, Sana Safi W/o Azharuddin Saifi R/o-B-96, Main Shalimar Garden,Sahibabad,Ghaziabad, Uttar Pradesh-201005,have changed my name to Sana Saifi. 0040519522-1

I, Shrestha Kameshwar Srivastava D/o Kameshwar Srivastava R/o-1103, Block-T-12, Savana RPS-City, Sector-88, Faridabad. have changed my name to Shrestha Srivastava. 0040519513-3

I, Satendra Pal Sharma/ Satyendra Pal Sharma S/o Late Suraj Pal Sharma R/o 00, Near Kalka Mandir, Thankur Mohalla, Dadri Gautam Buddha Nagar, U.P. 203207, have changed my name to S P Sharma for all purposes. 0040519466-1

I, S. Yogabhama W/o Sitaraman Jayaraman R/o 131, Bharat Jagarti CGHS Ltd, Plot No.22, Sector-12, Dwarka, Delhi-110078 have changed my name from S. Yogabhama to Sankaran Yogabhama Jayaraman for all future purposes. 0040519468-1

I, Priti Pankaj Tripathi W/o Pankaj Tripathi R/o 13/178 Indira Nagar, Lucknow, have changed my name to Priti Shukla for all purposes. 0040519467-2

I, Pooja Kotiyal R/o Flat No 22015, Tower 17, Mahagun Mywoods, Greater Noida (West) UP have changed my name to Pooja Bisht. 0070682730-1

I, No.6937970F, Hav-Kamal Singh, My Unit: OD,Shakur Basti, ND C/o, 56APO inform that my son name is wrongly written Lokash Singh in my Army Documents, correct Name is Lokesh Singh. 0040519506-8

I, Nishesh Chhabria W/o Sh.Lokesh Chhabria R/o.H.N-162, Double-Storey, Kabool-Nagar Shahdara-East Delhi-110032 have changed my name,from Nishesh Kohli to Nishesh Chhabria.,for all future purposes. 0040519513-7

I, Mukesh Singh S/O Shri Diwan Singh R/O- J-1/32/1 Sangam Vihar Delhi. Have Changed My Name To Mukesh Singh Kunwar. 0040519513-5

I, Mukesh Kumar S/o Ramniwas Sharma R/o A-1/154-155, Sec-11, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Mukesh Kumar Sharma. 0040519531-8

I, Mohamad Sagir Baba S/O-Md Iltaf, R/O-B-785, 4th-Floor, Budhnagar, Inderpuri, N.Delhi-110012,Have Changed The Name Of My Father Mohamad Altaf And He Shall Hereafter Be Known As Md Iltaf. 0040519513-4

I, Minhaj Shafi S/o Mohd Shafi R/o 2136, Ahata Kale Sahab, Gali Qasim Jaan, Ballimaran, Delhi-110006 have changed my name to Mohd Minhaj Shafi for all purposes. 0040519460-1

I, Gaurav Vashisth S/o S P Sharma R/o 00, Near Kalka Mandir Thankur Mohalla, Dadri, Gautam Buddha Nagar, U.P. 203207, have changed my name to Gaurav Vashistha for all purposes. 0040519464-1

I, Inder Preet Anand S/o Late S.Amarjit Singh Anand R/o-Flat No.204, 15-A, Geeta Bhawan, West PunjabiBagh, Delhi-110026, have changed my minor son from Tanveer Anand aged 15-years to Tanveer Singh Anand and he shall hereafter be known as Tanveer Singh Anand. 0040519506-6

I, Hariom, R/O WZ-90, Possangipur Village Janakpuri, New Delhi -110058 have changed my name to Hariom Singh Tanwer. 0070682729-1

I, Fakaroodadeen S/o Hasmuddin Saifi R/o Bagwala, Khanpur Guntu, Bulandshahr, Khanpur, UP 245405 have changed my name to Fakruddin Saifi. 0040519513-2

CHANGE OF NAME

मैं, देशमुख सिंह खटाना पुत्र महाराज सिंह निवासी तेसगांव तहसील नादोती जिला करौली राजस्थान अपना नाम बदलकर देशमुख सिंह कर लिया है। **50158141**

सूचित किया जाता है कि मैंने (कपिल देव पुत्र रमेश चन्द्र गुप्ता, निवासी-203/1/3, नॉर्थ सिविल लाइन, मुजफ्फर नगर, उ.प्र.) अपना नाम कपिल देव अग्रवाल रख लिया है, भविष्य में मुझे केवल कपिल देव अग्रवाल के नाम से ही जाना व पहचाना जाये।

CHANGE OF NAME

I, SRUTHI KOTTIYIL, D/o V MURALIDHARAN NAIR and W/o ARJUN DEVRAJ, residing at, RZ-39/40, Sudharshan Apartment, Subhash Park Extn., Uttam Nagar East, Delhi, 110059, India, changed my name from SRUTHI K to SRUTHI KOTTIYIL vide affidavit dated 5.11.2019 sworn before Notary **S. K. SHARMA at Delhi.** Henceforth, I shall be known as **SRUTHI KOTTIYIL** for all purposes.

मैं HARPAL S/o SH. MAMAN SINGH निवासी गाँव जरवाला तह.-कोसली, जिला-रेवाड़ी, हरियाणा, अपना नाम बदल कर HARPAL SINGH रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I SHYAM LAL MAURYA S/O LATE SH. BACHAI MAURYA, residing at Qtr No-2077, Lodi Road Complex, Pocket-3, New Delhi-110003 declare that name of mine has been wrongly written as SHYAM LAL in my Service Record. The actual name of mine is SHYAM LAL MAURYA, which may be amended accordingly.

The Indian EXPRESS Classifieds
EXPRESS EDUCATION

LAW AMBITION LAW INSTITUTE
IAS LAW
New Batch Commencing on
10th NOV. | 4:30 PM
IAS TOPPERS
Toll Free No. : 1800-12000-2001
8800662140, 011-49841810
32-B, 3rd Floor, Pusa Road, Near Metro Pillar No. 122, New Delhi- 110005
www.ambitionlawinstitute.com

SYNERGY
AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION
PUBLIC ADMINISTRATION
CLASSROOM PROGRAMME by M.K. MOHANTY
4 Nov. @ 11:00 AM
OPEN SEMINAR
ON HOW TO CLEAR UPSC PRELIMS 2020
With DR. K.K.
(WHO HAS SCORED MORE THAN IAS RANK-1 IN PRELIMS GS PAPER-I FOR 4 YEARS CONSECUTIVELY)
10TH Nov. SUNDAY @ 3:00 PM
Email: info@synergy.edu.in | Website: www.synergystar.com
Ph:- 011-25744391, 9870146185
16-A/2, Ist Floor, Ajmal Khan Road, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-05

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

खोया+पाया

I, Sukhpal Singh Thind S/o G.S. Thind, A-404, Shri Ganinath CGHS Ltd., Plot No.1, Sector-5, Dwarka, New Delhi-110075. Lost my Original Share Certificate, Allotment letter of my above flat, finder contact +44 7885514091. 0040519471-1

I Rajni Bisht R/O Rz 720/A Puran nagar, Palam New Delhi-45, have lost my Original 10th Certificate & Matksheet Year 2003, Roll No 6157974 and 12th Year 2005 Roll No. 6249029 issued by CBSE. 0040519463-1

Lost original perpetual lease deed for property No.Y-51, W.H.S. Naraina Lohamandi, New Delhi. Founder inform Sat Pal Goyal # 7838135167. 0040519513-9

Lost of original property documents pertaining to Property of eNeed Integrated Services Pvt. Ltd. C-6/5, Safdarjung Development Area New Delhi-16; 1. Conveyance Deed as registered No. 8116 dtd 10.11.1999. 2. Gift Deed as registered No. 811 dtd 03.03.1975 & 3. Perpetual Lease as registered No. 3043 dtd. 13.05.1968. If anybody found please return at above Property address. 0040519470-1

It is notified for the information that my original secondary examination certificate of year 2001 androll no 5169560 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate: Vibhupriya Singh, address:1443, C 1, DDA flats, Vasant kunj, New Delhi-110070. 0040519458-1

LOST & FOUND

The set of Sale Deed Documents in respect of following Property. Title Owner: SHOBHA WASH SITUATED AT No. 93 Ground Floor Ensue Garden, Charmwood Village Distt. FARIDABAD. These were LOST / MISPLACED after being taken out from Bank locker at ICICI bank New Friends Colony Community Centre, somewhere while I was on my way to home at sukhdev vihar for going back. New onward any one dealing with said property will be FRAUDULENT USE. IF ANY ONE FINDS it may kindly send it back to me, above address. No one other than me, as of now "hold any lien / interest / any other incumbency." THE SET OF DOCUMENTS SHALL BE AT OWN RISK AND NO LIABILITY, RISK & CONSEQUENCES.

LOST & FOUND

I Ajay Vaish has misplaced my Diploma in Electrical Engineering, Board of Technical Education during awarded on passing the exam during July 1978 Roll No. 8151, Passed out from Pusa Polytechnic, Pusa New Delhi. This was taken out for Photocopying. This is for any one finding it may kindly send it back to me at address 93A, Pocket A DDA Flats Sukhdev Vihar Delhi - 110025 or to the Board of Technical Education Delhi. Anyone using this shall be treated as fraudulent possession.

संपत्ति

Hari Nagar, near Chunnilal School, DDA Flat free hold 3 floor built, 2 room set on each floor. Con.9810066653 0040519159-1

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला ''मोनिका मटलोटिया'' पत्नी मनीष मटलोटिया निवासी-बी-17 गोल्डन पार्क, शिव पूरी, दिल्ली-51 ने अपनी पुत्री ''मुस्कान'' के अभद्र व्यवहार के कारण इससे सभी सम्बन्ध समाप्त कर उसे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, भविष्य में ''मुस्कान'' के किसी भी कार्यो/लेन-देन की मेरी मुवक्किला तथा उसका परिवार जिम्मेदार नही होगा,

इन्द्र कुमार कथुरिया
एडवोकेट
Enrl. No. D-2030/99

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that our clients Jai Prakash Juiyal S/o Late Kedar Nath Dutt & Mrs. Saroj Juiyal W/o Late Kedar Nath Dutt, both residence of G-128, Sector-20, Noida, U.P. have debarred/disowned their son Virender Juiyal @ Veeru from all their moveable and immovable property/ies and severed relations, due to their disloyal/disobedient attitude & behavior towards our clients and the rest of their family members. Our clients shall not be responsible for any acts, deeds done by them with anybody else.

Sd/-
Urmil Nautiyal (Advocate)
En. No. D-340/90

R j h3 4hRLY(14)

PUBLIC NOTICE

I, the undersigned, hereby informed to the public at large that my clients Sh. Naresh Kumar son of late Chaudhary Ram Dass having Aadhar No. 278374609515 aged 66 years & Ms. Bala wife of late Shri Mam Chand having Aadhar No. 509189645895 aged about 71 years both resident of WZ-154 A WZ-73 Village-Khampur Raya, West Patel Nagar, New Delhi-110008 respectively are joint owners and in possession of properties comprising out of Khasra No. 289 (5 Bigha 18 Biswa); 301 (1Bigha and 09 Biswa); 668/612/608 (1 Bigha 01 Biswa); 30 (1 Bigha 08 Biswa); 32 (2 Bigha 09 Biswa) and 291 (1 Bigha 15 Biswa) situated in the revenue Estate of Village Khampur Raya, West Patel Nagar, New Delhi-110008. Any person dealing with the above said properties with any other person(s) except my clients shall be doing so with his own risks and consequences and if any loss is occurred by any person(s) doing so, my clients shall not be responsible for any loss or damages.

ANIL PANWAR (Advocate)
B-138, Janpura Extension, New Delhi-110014

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल मुकेश कुमार पुत्र ग्यासी राम उनकी पत्नी राधा रानी दोनों निवासी जी-113 अम्बेडकर गेट, जगत पुरी दिल्ली 51 ने अपने पुत्र किशन उसकी पत्नी पूनम के लगातार दुर्व्यवहार, गाली गलौज, मारपीट, पूनम द्वारा आत्मा- हत्या की धमकियों से तंग आकर उनसे अपने सारे संबंध समाप्त करके उन्हें अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। उनके किसी भी कार्य लेन देन के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

K.K. LUTHRA (Advocate)
En.no.D-16/91
Mob.9811464161

PUBLIC NOTICE

My Client Shri Satyawan Singh S/o Late Shri Jaipal Singh R/o A-13, Shyam Colony, Budh Vihar, Phase-2, Delhi-86 do hereby Disown/Debar his Daughter Bhawna Chauhan from all his movable & immovable properties & severe his relations from her as she had left his house due to love marriage and now she is no more in his control. If anybody dealing with her shall be doing at his/her own risk & responsibility. My client shall not be responsible for pros & cons arisa therefrom.

Gaurav Dhamoja (Advocate)
RU-5, Pitampura, Delhi-34

PUBLIC NOTICE

Public at large is informed that my client **Shri Lala Ram** son of Shri Dal Chand, & **Smt. Seema,** wife of Shri Lala Ram, both residents of House No. RZ-Q-16A, Uttam Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have disowned their elder son namely **Mr. Ajay Singh and his wife Mrs. Mamta** and younger son **Deewan Singh and his wife Mrs. Damini** from their all movable and immovable properties due to their disrespectful behavior, out of control and they have severed their relations with them for all intents and purposes with immediate effect. My clients and their family members will not be liable for their acts, whatsoever done by them to anybody in future.

Ashok Kumar Tyagi & Associates
Advocates
A-3, Main Najafgarh Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Smt. Bimla Devi W/o Shri Jai Pal Singh R/o J-1/148-149, DDA Flats, Kalkaji, New Delhi-110019 has severed her relations and debarred his son named Girish Kumar Singh, daughter in law named Mrs. Pratibha and her granddaughter Yashvi from all moveable and immoveable properties. Anybody dealing with them shall be doing so at his/her their own risk and liability.

L.A. Vashishtha (Advocate)
Ch. No. 445-A, Saket Courts, Delhi-110017

PUBLIC NOTICE

That my clientess **Smt. Sanyogita Bagga** w/o Shri Yashpal Bagga r/o B-2/3 (IInd Floor), Paschim Vihar, New Delhi-110063 do hereby notify to the General Public that her younger son namely Shri Kapil Bagga is most insincere, disrespectful, non cooperative and his behaviour towards my clientess and her elder son & daughter in law is found to be unbecoming and worst. He is totally out of control of my clientess, who has been extremely tortured mentally on account of his malafide activities and impertinent unpardonable behaviour on the ill-advise of his in-laws beside his constant emotional blackmailing tactics of threat to life. Therefore, she has DISOWNED her younger son Mr. Kapil Bagga presently residing at B-2/3 (IIIrd Floor) Paschim Vihar, New Delhi alongwith his wife Smt Simrat Bagga, for all intents and purposes. Henceforth he is debarred in staking any claim out of my clientess entire movable and immovable properties, including her owned property no. B-2/3 (IInd & IIIrd Floor) Paschim Vihar, New Delhi and shop at Tank Road, Karol Bagh, Delhi beside he shall have no right, title or interest in the said properties in any manner. It may be noted that if any person deals with the said Mr. Kapil Bagga in respect of my clientess properties or monetarily in any other manner he/she shall be doing so at his/her own risk and costs and the same shall not be binding upon my clientess in any manner whatsoever. Incase my said son Kapil Bagga commits any unlawful, illegal acts or inflicts any kind of unsolicited threats in any manner, my clientess or his elder son and daughter-in-law shall not be held liable towards the same in any manner whatsoever.

Sd/-
Sanjay Sharma
Advocate
62, Western Wing,
Tis Hazari Courts
Delhi-110054

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय: मेरठ रोड, सेहानी गाँव, गाजियाबाद, उ0प्र0

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट- IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **30/05/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती पुष्पा गोयल पत्नी रतन लाल गोयल एवं रतन लाल गोयल पुत्र कन्नी राम गोयल,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.22,54,299/- (बाइस लाख चौवन हजार दो सौ निन्यानबे रुपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.11.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे **सम्पत्ति** के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और **सम्पत्ति** का कोई भी लेनदेन **रु.22,54,299/- (बाइस लाख चौवन हजार दो सौ निन्यानबे रुपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री रतन लाल गोयल पुत्र कन्नी राम गोयल के नाम पर प्लॉट नं. 5/35, प्लॉट नं. जी-2, मुहल्ला, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, यू.पी. में भूमि से शामिल सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से **जो घिरी है**

उत्तर: प्लॉट नं. 12 एवं 13 — दक्षिण: 35 फीट चौड़ी रोड
पूर्व: सम्पत्ति सं. 34 — पश्चिम: सम्पत्ति सं. 36

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थान: गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 05.11.2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
एकदन्त बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

सुसंगत विशिष्टियाँ

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एकदन्त बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	14.09.2011
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनीज़ रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45200DL2011PTC215815
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible]
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	[illegible]
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	[illegible]
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	[illegible] IBBI/IPA-001-IP-P01295/2018-19/12304
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	[illegible]
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	[illegible]
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	[illegible]
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	[illegible]
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	[illegible]
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	[illegible]

[illegible]

मनीष जोशी
[illegible]

यूको बैंक UCO BANK

शाखा कार्यालय : राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली

कब्जा सूचना [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत]

जबकि अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण (इसके पश्चात ''कथित अधिनियम'' कहा जायेगा) एवं प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) (इसके पश्चात ''कथित नियम'' कहा जायेगा) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यूको बैंक, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली शाखा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों/जमानतियों श्री देवानन्द श्रीवास्तव पुत्र श्री राम प्रकाश एवं श्रीमती तुलसी श्रीवास्तव पत्नी श्री देवानन्द श्रीवास्तव, दोनों निवासी 190-191, 5ए, गली नं. 7, सत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 साथ ही : जी.एफ.-11ए, प्रभात किरन बिल्डिंग, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, साथ ही : 22/99, तृतीय मंजिल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 को कथित सूचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर 20.08.2019 तक सूचना में उल्लिखित बकाया राशि रु. 41,15,889.75 (रुपये इकतालीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ नवासी एवं पचहत्तर पैसे मात्र) तथा इस पर भावी ब्याज, लागत, व्यय एवं अन्य प्रभारों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 20.08.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं द्वारा निर्धारित अवधि में उपर्युक्त सूचना में निर्दिष्ट अपने दायित्व/राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 04 नवम्बर, 2019 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 04.11.2019 तक बकाया ऋण की राशि रु. 41,15,889.75 (रुपये इकतालीस लाख पन्द्रह हजार आठ सौ नवासी एवं पचहत्तर पैसे मात्र) तथा 01.08.2019 से इस पर भावी ब्याज, लागत, व्यय एवं अन्य प्रभारों के लिए यूको बैंक, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली शाखा के प्रभार का विषय होगा।

प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उन्हें उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल/चल सम्पत्ति का विवरण

दिनांक 06.07.2009 को दस्तावेज सं. 4770 के पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा श्री देव अनन्द श्रीवास्तव पुत्र श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव के स्वामित्व में सत नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 पर स्थित ब्लॉक 5ए, गली नं. 7 में भूमि सं. 190-191, कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट पर निर्मित कुल भूमि सम्पत्ति में अविभाजित, आनुपातिक हिस्से सहित गली नं. 8, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज से प्रवेश वाले प्रथम तल पर फ्रीहोल्ड बिल्ट अप राइट साइड फ्लैट। सम्पत्ति की सीमा निम्नवत है :

पूर्व : प्लॉट सं. 193 — पश्चिम : सड़क
दक्षिण : गली नं. 8 — उत्तर : गली नं. 7

दिनांक : 04.11.2019 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — यूको बैंक

'बुलबुल' के चलते कोलकाता हवाईअड्डा 12 घंटे के लिए बंद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'बुलबुल' शनिवार शाम पूर्वी तटों से टकराया। तेज रफ्तार के कारण इसके जमीन पर भी पहुंचने व तबाही मचाने का अंदेशा है। इसके मद्देनजर देश के पूर्वी इलाके में व्यस्ततम कोलकाता हवाई अड्डे पर हवाई यातायात 12 घंटे के लिए ठप कर दिया गया है। यह जानकारी गृह विभाग के अधिकरियों ने दी। ताजा हालात पर राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति लगातार निगाह बनाए हुए है।

बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान की वजह से इन इलाकों में हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर प्रतिघंटा है। इसके प्रभाव से ओड़ीशा व पश्चिम बंगाल में भारी नुकसान की आशंका है। राज्यों के तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही मछली पकड़ने और नमक बनाने जैसी गतिविधियों पर फिलहाल के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तूफान के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डे से हवाई परिचालन 12 घंटे तक रोक दिया गया है। गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बेहद गंभीर चक्रवात 'बुलबुल' के कारण कोलकाता हवाई अड्डे का परिचालन शनिवार शाम छह बजे से दस नवंबर की सुबह छह बजे तक बंद रहेगा।

पश्चिम बंगाल के तटों पर देर शाम गंभीर चक्रवाती तूफान समुद्र की जद से आगे बढ़कर जमीन को भी अपनी चपेट में ले लिया है।

भूस्खलन के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग बंद, हजारों यात्री फंसे

बनिहाल/जम्मू, 9 नवंबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में शनिवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ताजा भूस्खलन होने की घटना के कारण विभिन्न स्थानों पर हजारों यात्री फंसे रहे।

अधिकारियों ने बताया कि दो सौ सत्तर किमी लंबा यह राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भारी हिमपात और भूस्खलन के कारण दो दिनों तक बंद रहने के बाद शनिवार सुबह दोबारा खोला गया था। यातायात विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि राजमार्ग पर माहर के पास रामबन उपनगर से दो किमी दूर अपराह्न दो बजे के आसपास भारी भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क बंद करनी पड़ी।

अधिकारियों के अनुसार तुरंत ही सफाई अभियान चलाया गया, लेकिन मलबा इतना अधिक था कि यातायात के लिए सड़क को रविवार को ही खोला जा सकेगा। उन्होंने बताया कि शनिवार की सुबह हल्के वाहनों को जम्मू और श्रीनगर दोनों तरफ जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन ताजा भूस्खलन से हजारों यात्री फंस गए हैं। घाटी में इस साल की पहली बर्फबारी के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्र

न्याय के मंदिर का फैसला सबको कबूल

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के परिसर का दृश्य। फोटो : अरुष चोपड़ा

अब रामलला तंबू से निकल कर मंदिर में जाएंगे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

अयोध्या में राममंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक दलों ने स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अब रामलला तंबू से निकलकर मंदिर में जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे रोम-रोम प्रसन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस जमीन का अपना होने का भी दावा करते थे, उनको भी अदालत ने पांच एकड़ जमीन दी है। यह जमीन भी अयोध्या में ही दी जाएगी। इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इस फैसले को सुनकर कुछ लोग बहुत खुश हैं लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि वैसे अब तक जो भी बयान सामने आए हैं, उसमें सभी लोगों ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने सर्वोच्च अदालत के इस फैसले को स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही एक के बाद एक बड़े फैसले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले ही भाजपा ने प्रधानमंत्री का कच्ची कॉलोनी पक्का करने के लिए स्वागत किया था। अब करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है और राम मंदिर का ऐतिहासिक फैसला आया है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार कितनी तेजी के साथ काम कर रही है और जल्द ही रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में आएंगे।

आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करने का वक्त : कांग्रेस

दिल्ली कांग्रेस ने भी अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है और दिल्लीवासियों से अपील की है कि वह अपने इलाके में शांति बनाए रखें। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि यह वक्त आपसी भाईचारा की मिसाल पेश करने का है। पार्टी के लिए इस देश का संविधान सर्वप्रिय है। दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करती है। कांग्रेस ने कभी भी विपरीत परिस्थितियों में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

वहीं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सभी पक्षकारों और सभी समुदाय के लागों से अपील करती है कि वे सद्भाव और आपसी भाईचारा कायम कर-के सदियों पुरानी गंगा-जमुनी संस्कृति की रक्षा करें। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आसपास के इलाकों में नजर रखें और अफवाहों के प्रति लोगों को सतर्क रहने को कहें। किसी भी अफवाह पर दिल्लीवासी ध्यान नहीं दें। वहीं, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून युसुफ, किरन वालिया, डा. नरेंद्र नाथ और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश के धर्मनिरपेक्षता की रक्षा की है। कांग्रेस की देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं में पूरी आस्था है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है। उसको सभी पक्ष स्वीकार कर उसका सम्मान करें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान फैसले को लेकर चर्चा हुई। बैठक में चोपड़ा के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्षद अभिषेक दत्त, चतर सिंह, मुदित अग्रवाल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दिल्ली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करेगी और दिल्लीवासियों से इस वक्त पर शांति बनाए रखने की अपील करेगी। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरीश रंजन पांडेय ने कहा-फैसले का स्वागत है। युवाओं सहित सभी समुदायों व नागरिकों से अपील है कि फैसले का सम्मान करना चाहिए। हमें सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जयबीर सिंह नागर ने फैसले में भी कहा-यह महात्मा गांधी का देश है। अमन और अहिंसा के संदेश पर कायम रहना हमारा कर्तव्य है।

सालों पुराना विवाद आज खत्म हुआ : केजरीवाल

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद करेजीवाल ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत की पांच जजों की बेंच ने एकमत होकर अपना फैसला सुनाया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। कई दशकों के विवाद पर आज अदालत ने निर्णय दिया है और सालों पुराना विवाद आज खत्म हुआ है। इस फैसले के बाद उन्होंने आम जनता से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

सभी पक्ष फैसले को स्वीकार करें : स्वराज इंडिया

स्वराज इंडिया ने जारी प्रतिक्रिया में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सभी पक्ष स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान की ओर से निर्मित न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम पायदान है। इसलिए सभी देशवासियों से अपील है कि फैसले को सर झुका कर स्वीकार करें और देश में सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखें।

अदालत के फैसले का सम्मान करें : हिंदू फ्रंट

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस मामले में जो भी राजनैतिक रोटियां सेंकने के प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वे नजरअंदाज करें और अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए शांति व सौहार्द बनाए रखें। तो वहीं, भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते संघप्रिय राहुल ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और देश के संविधान तथा न्यायिक प्रणाली में आस्था रखने वाले सभी लोगों को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए।

फैसले का श्रेय सिंघल और आडवाणी को : गोविंदाचार्य

राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य ने इस आंदोलन की सफलता का श्रेय शनिवार को विहिप के दिग्गज नेता दिवंगत अशोक सिंघल और भाजपा के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को दिया। अयोध्या फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए 1990 के दशक में मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आडवाणी की रथयात्रा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक गोविंदाचार्य ने इस फैसले पर हार्दिक प्रसन्नता जाहिर की। यह पूछे जाने पर कि वह राम मंदिर निर्माण के आंदोलन की सफलता का श्रेय किसे देंगे, उन्होंने कहा-लाखों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। आंदोलन के नेतृत्व के लिए, मैं सबसे ज्यादा श्रेय अशोक सिंघल और लालकृष्ण आडवाणी को दूंगा।

अब मंदिर निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी विहिप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

अयोध्या भूमि विवाद पर सर्वोच्च अदालत के फैसले का विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने स्वागत किया है। विहिप कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अदालत के फैसले से मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तेजी से मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए 60 फीसद खंभे व शिलाएं बनकर तैयार हैं।

आलोक कुमार ने कहा कि शिलाओं का प्रयोग मंदिर का निर्माण के लिए होगा। हालांकि काशी-मथुरा के विवादित स्थल मामलों को लेकर विहिप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि विहिप का ध्यान अब केवल तेजी से अयोध्या में मंदिर निर्माण और संस्कृति के विस्तार कार्य की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि विहिप केंद्र सरकार से उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर त्वरित कदम उठाने की अपेक्षा रखती है, जिसमें मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन शामिल है।

उन्होंने कहा कि यह फैसला पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए खुशी का दिन है। अब भारत सरकार भी जल्द से जल्द ट्रस्ट गठित करेगी और इसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सकेगी। विहिप ने कहा कि इस निर्णय तक पहुंचने के लिए अदालत ने 40 दिन और 200 घंटे तक हर पक्ष की सुनवाई की है और इसके बाद इस आखिरी फैसले तक पहुंचे हैं। 70 साल के बाद हिंदू समाज को इस निर्णय की प्रतीक्षा थी। आज न्याय की विजय हुई है। इस फैसले के लिए विहिप ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है।

दीया जलाकर किया स्वागत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

दिल्ली भर में दीप जलाकर सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया गया। इसकी शुरुआत शनिवार को विश्व हिंदू परिषद ने की। पार्टी के नेताओं ने जनता से अपने घरों के बाहर राम मंदिर नाम का एक दीया जलाने की अपील की थी। ये कार्यक्रम दिल्ली भर में जिला स्तर पर आयोजित किए गए। प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पार्टी के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री कुलजीत चहल व नीलकांत बक्शी समेत अन्य नेताओं ने भी दीप जलाकर फैसले का स्वागत किया। वहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज उन सभी समस्याओं का निदान कर दिया है जिनकी वजह से अकारण ही विवाद बन रहे थे।

इस फैसले से पूरे देश में एकता का संदेश गया है। उन्होंने कहा कि अध्योध्या राम मंदिर के लिए उन्हें कार सेवा का मौका मिला था। इसमें बड़ी संख्या में पुरानी दिल्ली के लोग शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी गंगा-जमुनी तहजीब का परिचय दिया था।

दिल्ली में निषेधाज्ञा लागू, सोशल मीडिया पर पुलिस की विशेष नजर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शनिवार को दिल्ली में कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्त्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त प्रवक्ता अनिल मित्तल ने बताया कि शरारती तत्त्वों या कानून एवं व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया की गतिविधियों पर नजर है और दिल्ली पुलिस ने उपयोगकर्ताओं से ऐसे मंचों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करने और किसी भी तरह की घृणा या शत्रुता फैलाने से बचने की अपील की है।

प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार सुबह से ही जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों और पुरानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इन इलाकों में दुकानें खुली हैं, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण है। इसके मद्देनजर पुलिस जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की वज्र वैन और दो बसों में पुलिस के जवान किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए मस्जिद के बाहर तैनात हैं। पुलिसकर्मियों ने जामा मस्जिद के इलाके में मोटरसाइकिलों पर गश्त भी की। साथ ही लोगों से भी अपील की गई थी कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। इस फैसले को लेकर कोई भ्रमित करने की कोशिश करे या फिर बहकाने की कोशिश करे तो तथ्यों को समझ कर कोई प्रतिक्रिया करें।

शाम होते बढ़ा दी गई थी सतर्कता

दिल्ली पुलिस ने कहा कि फैसले को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार शाम को ही दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई थी। खासकर उन संवेदनीशल इलाकों में जहां एक समुदाय विशेष के लोगों की संख्या ज्यादा है। देर रात तक दिल्ली पुलिस के जवान दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखे हुए थे। वाहनों की सघन जांच-पड़ताल की जा रही थी। उसके बाद ही चालक को जाने की अनुमति दी जा रही थी।

निजी टीवी चैनल और ऑपरेटर से अपील

दिल्ली पुलिस ने निजी टीवी चैनलों और केबल ऑपरेटर, डिस टीवी ऑपरेटरों के साथ-साथ निजी केबल संचालकों से अपील की थी कि सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करें। इस संबंध में सरकार ने 1995 में केबल टेलीविजन नेटवकर्स (रेगुलेशन) एक्ट पास किया था। पुलिस ने अपील की है कि कुछ ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें, जिससे शांति व्यवस्था भंग हो।

सुप्रीम कोर्ट के आसपास के मार्ग बदले

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आसपास के मार्ग को बदल (रुट डायवर्ट) दिया था। साथ ही केवल मीडियाकर्मियों और वकीलों के अलावा किसी अनजान शख्स को रुकने नहीं दिया जा रहा था। वहां तैनात पुलिसकर्मी लोगों से यह भी अपील करते हुए दिख रहे थे कि आसपास भीड़ एकत्रित न करें। पुलिस को आशंका थी कि भीड़ एकत्रित हो गई तो कुछ बवाल हो सकता है।

30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के गैर लेखा परीक्षित एकल वित्तीय परिणाम
(₹ मिलियन में, जब तक कि किसी अन्य प्रकार से संकेत न हो)

क्र. सं.	विवरण	30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही	30 सितंबर, 2018 को समाप्त छमाही	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
		गैर लेखा परीक्षित	गैर लेखा परीक्षित	लेखा परीक्षित
1	परिचालनों से कुल आय	61,725.18	58,624.74	115,858.61
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (घाटे) (कर पूर्व, असाधारण मदों)	35,414.96	26,675.76	66,650.38
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (घाटे) (असाधारण मदों के पश्चात)	35,414.96	26,675.76	50,688.22
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (घाटे) (असाधारण मदों के पश्चात)	16,178.65	4,317.83	13,267.75
5	अवधि के लिए कुल समाकल आय [अवधि के लिए समावेशित लाभ / (घाटे) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	21,537.35	31,825.39	27,947.95
6	प्रदत्त / इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु.5 प्रत्येक शेयर)	150,000.00	150,000.00	150,000.00
7	भंडार (पुनर्मूल्यन भंडार के अतिरिक्त)			186,072.75
8	निवल लागत	351,719.06	339,950.78	336,072.75
9	प्रदत्त ऋण पूंजी / बकाया ऋण	290,901.06	319,471.76	303,595.68
10	ऋण इक्विटी अनुपात	0.83	0.94	0.90
11	प्रति शेयर आय – वार्षिक नहीं (ईपीएस)			
	प्रति इक्विटी शेयर मूल आय (₹)	10.78	2.88	8.85
	विलंबित आय प्रति इक्विटी शेयर (₹)	10.78	2.88	8.85
12	ऋण पत्र संचित आवरण	64,591.57	64,591.57	64,591.57
13	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर)	0.71	6.16	2.30
14	ब्याज सेवा कवरेज अनुपात (आईएससीआर)	6.88	5.18	6.25

डीएससीआर = वित्तीय लागत और कर पूर्व लाभ / (ब्याज व्यय + दीर्घकालिक ऋण सबकी पुनर्भुगतान मूलधन)।
आईएससीआर = वित्तीय लागत और कर / ब्याज व्यय से पूर्व लाभ।

टिप्पणियाँ :
1 से 10 [illegible]

बोर्ड की आज्ञानुसार
(विवेकानंद)
डीआईएन : 07566562

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : नवंबर 08, 2019

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
(ओएनजी पूर्णतः नियंत्रित गैस कारपोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
सीआईएन - U74899DL1965GOI004343
दीनदयाल ऊर्जा भवन, टावर डी, प्लॉट नंबर 05-06, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली - 110070
दूरभाष : +91-11 26753347, फैक्स : +91 11 26129340
ई-मेल: nirmal_kumar@ongcvidesh.in
www.ongcvidesh.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	29.8 डि.से.	29.8 डि.से.	29.0 डि.से.	30.0 डि.से.
न्यूनतम	15.6 डि.से.	15.6 डि.से.	15.6 डि.से.	15.6 डि.से.

प्रदूषण से बचाव के लिए बांटे गए मास्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संस्थान में महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 पर कार्यशाला व दिल्ली एनसीआर में हेल्थ इमरजेंसी पर सभा करके मास्क वितरण का आयोजन किया गया। संस्थान ने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए जागरूकता के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट की वकील मयूरी रघुवंशी ने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों व उनके दैनिक कार्यकलापों में अनुप्रयोग पर विस्तृत जानकारी दी। स्वागत संबोधन उप-निदेशक (प्रशासन) अनिल कुमार ने दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पूनम खट्टर ने किया। डीन प्रोफेसर वीके तिवारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हर्षद ठाकुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

संस्थान ने दिल्ली एनसीआर में स्वास्थ्य इमरजेंसी पर विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन किया। इसमें निदेशक प्रोफेसर हर्षद ठाकुर ने ने संस्थान के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एन-99 मानक वाले मास्क वितरित किए। उन्होंने सभी से अपील की कि वे वातावरण को प्रदूषणमुक्त बनाए रखने के लिए अपना पूरा सहयोग प्रदान करें।

प्रदूषण एक्शन प्लान सख्ती से लागू करें राज्य : जावडेकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ रहे प्रदूषण के मामले में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी राज्यों को एक्शन प्लान सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राज्यों के प्रदूषण स्तर को लेकर बैठक की और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। प्रकाश जावडेकर ने कहा कि वाहनों व कचरे के जलने से 70 से 80 फीसद प्रदूषण होता है। इस पर सभी राज्यों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।

प्रकाश जावडेकर ने बताया कि एनसीआर में जो प्रदूषण की समस्या रहती है, इसलिए केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ 2015 से लगातार संपर्क में है। इसी कड़ी में शनिवार को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मंत्री व अधिकारियों के साथ प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि पराली के जलने का पिछले सप्ताह 30-35 फीसद हिस्सा था, अब यह प्रदूषण केवल 3-4 फीसद रह गया है। अब प्रदूषण की वजह केवल कचरा जलना, धूल,

प्रदूषण की समस्या के बाद मंत्री ने बुलाई राज्यों की बैठक
जावडेकर : ईर्स्टन वेस्टर्न कॉरिडोर से दिल्ली आने वाले वाहनों की संख्या कम हुई

औद्योगिक प्रदूषण व वाहनों का प्रदूषण होता है। बैठक में राज्यों के साथ इस पर चर्चा की गई कि इस प्रदूषण को कैसे कम किया जाए। उन्होंने बताया कि इस मामले में सभी राज्यों को मिलकर काम करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां पर प्रदूषण ठहर जाता है। नए इंतजामों से इस संकट से जल्द निजात मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि अब लोगों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता व जिम्मेदारी बढ़ी है। केंद्र सरकार अप्रैल से देश में बीएस6 फ्यूल की व्यवस्था लागू कर रही है, इससे वाहनों के प्रदूषण में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त पूर्वी व पश्चिमी कॉरिडोर की मदद से दिल्ली से प्रतिदिन 60 हजार वाहनों की कमी की गई है। अब अन्य राज्य सरकार भी पराली के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार कचरे से खाद निर्माण का कार्य चल रहा है और इसका अच्छा परिणाम होगा। देश में तीन हजार उद्योग पीएनजी पर आएं और ईंट भट्टे में भी व्यवस्था बदली गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में दिल्ली सरकार, पीडब्लूडी, डीएसआइआइडीसी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। सभी एजंसियां मिलकर काम करेंगी, जिससे प्रदूषण से राहत दिलाई जा सकेगी। बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कैलाश गहलोत और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सम-विषम : अब गुरु पर्व तक राहत, नौ दिन में 3000 से अधिक चालान

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

सम-विषम की व्यवस्था से दिल्ली वालों को अब गुरु पर्व तक राहत रहेगी। रविवार को सम-विषम नहीं होगा और सोमवार व मंगलवार के लिए पहले ही दिल्ली सरकार ने सम-विषम व्यवस्था में राहत दे दी है। इस प्रकार आने वाले तीन दिन तक दिल्ली में सामान्य तरीके से वाहनों को चलाया जाएगा। नौ दिनों से दिल्ली में सम-विषम की व्यवस्था लागू है और शनिवार तक 3060 वाहन चालकों का चालान किया गया है।

15 नवंबर तक ही सम-विषम की व्यवस्था लागू होगी। शनिवार को दिल्ली में सम-विषम की व्यवस्था लागू रही। इस व्यवस्था का पालन कराने के लिए दिल्ली सरकार ने जगह-जगह मार्शल तैनात किए थे, लेकिन दोपहर के बाद से ही इस व्यवस्था में कई जगह पर ढिलाई नजर आई। दिल्ली गेट, दरियागंज और बाराखंभा के पास में मार्शल के हाथों में थमाए गए बोर्ड पेड़ के सहारे खड़े नजर आए। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर एक जगह पर 4 से 5 मार्शल की तैनाती की जा रही थी। जो शनिवार को मार्ग पर एक या दो ही मार्शल रहे। केवल व्यस्तम चौराहों पर ही मार्शल की संख्या अधिक थी। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को दोपहर तक करीब 300 वाहन चालकों के नियम का उल्लंघन होने की वजह से चालान किया गया था। इन चालान में दिल्ली यातायात पुलिस ने 172, परिवहन विभाग ने 96 और राजस्व विभाग की विशेष टीमों ने 24 चालान किए थे। यह रिपोर्ट दोपहर दो बजे तक तैयार की गई थी।

अब तक कितने किए चालान

दिन	कुल चालान
8 नवंबर	532
7 नवंबर	694
6 नवंबर	709
5 नवंबर	562
4 नवंबर	271

युवक को गोली मार घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

द्वारका जिले के एंटी स्नैचिंग टीम ने हत्या की कोशिश के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शिव उर्फ अक्षय (22) के रूप में हुई है। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा जब्त किया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

जिला पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फोंस ने बताया कि बीती दो नवंबर की देर रात करीब 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि गांव शाहबाद, मोहम्मदपुर में एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मार दी है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम घायल को अस्पताल लेकर गई, जहां पुलिस को पता चला कि युवक की जांघ में गोली लगी है। घायल युवक संस्कार ने पुलिस को बताया कि उसको रघुवीर नगर निवासी अक्षय ने गोली मारी है। आगे उसने बताया कि अक्षय के अंकल विशाल से उसका पारिवारिक विवाद चल रहा है। अक्षय अपने दो साथियों के साथ आया और उसने उसको गोली मार दी।

पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच टीम को सूचना मिली कि आरोपी अक्षय शुक्रवार करीब ग्यारह बजे शाहबाद रेलवे क्रॉसिंग के पास आने वाला है। टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि वह 2016 में उसकी बहन की शादी शाहाबद निवासी विशाल से हुई थी। शादी के कुछ सालों बाद विशाल ने उसकी बहन को छोड़ दिया था। इसी वजह से वह और उसका परिवार हताश हो गया था।

पुलिस आयुक्त ने रखी हालात पर नजर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद शाम के समय दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक भी स्थिति का जायजा लेने के लिए सड़क पर आला अधिकारियों के साथ उतरे। इस मौके पर रविवार को ईद मिलाद उल नबी पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। आयुक्त दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में गए। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे स्थिति के बारे में बातें की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और पुलिस की सहायता करने की अपील की। उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों से भी स्थिति के संबंध में पूछताछ की।

राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट परिसर में उपस्थित वकील एक दूसरे को गले लगा कर बधाई देते हुए दिखे। इसी दौरान कुछ जोशिले वकील परिसर में ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उनमें से कुछ अपने साथ श्रीराम पताका भी लेकर आए थे और नारे लगाने के साथ वह उस पताका को लहराने लगे। पर वहां मौजूद अन्य वरिष्ठ वकीलों उन्हें ऐसा करने से रोका। साथ ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उन से अपील की कि वह अदालत परिसर में शांति बनाए रखें।

हवाईअड्डे पर भी गश्त

हाई अलर्ट को देखते हुए आइजीआइ एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआइएसएफ की टीमें भी अपने गश्त और निगरानी करते नजर आए। अधिकारियों ने बताया कि वैसे एयरपोर्ट की सुरक्षा 365 दिन अलर्ट पर होती है, पर शुक्रवार को एडवाइजरी जारी होने के बाद विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

दिल्ली पुलिस के दिशा-निर्देश

- किसी भी प्रकार का हथियार, डंडा- लाठी, मशाल व कोई भी शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध है।
- किसी भी स्थान पर चार व्यक्तियों का समूह बना कर जुटने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- धार्मिक उन्माद भड़काने वाली व किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री का वितरण व प्रचार प्रतिबंधित है।
- ड्रोन या ड्रोन के समकक्ष किसी भी वस्तु के उड़ाए जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
- इनका पालन ना करने वाले आरोपी पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

प्रभाष जोशी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

जनसत्ता के संस्थापक संपादक प्रभाष जोशी की दसवीं पुण्यतिथि पर आज शाम चार बजे वसुंधरा (गाजियाबाद), सेक्टर-चार स्थित मेवाड़ संस्थान ने हर बार की तरह प्रभाष परंपरा न्यास ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित की है। आयोजन में खुशाल शर्मा का गायन होगा। प्रभाष जोशी का पांच नवंबर, 2009 को निधन हुआ था। न्यास के प्रबंध न्यासी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय ने बताया कि न्यास ने पुण्यतिथि के आस-पास के एक रविवार को आयोजन करना तय किया था। उसी के तहत दस नवंबर को आयोजन किया जा रहा है।

दिल्ली में पुलिस मुस्तैदी के बीच आभूषण दुकान में लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

आयोध्या फैसला के मद्देनजर शनिवार को दिल्ली पुलिस हाई अर्लट पर थी। बावजूद इसके बेगमपुर थाना क्षेत्र में चार हथियारबंद बदमाशों ने एक आभूषण की दुकान पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 20-25 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट कर फरार हो गए। विरोध करने पर बदमाशों ने दुकान मालिक के भाई गुलशन वर्मा को पिस्तौल की बट से वारकर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित आभूषण दुकान के मालिक पवन शर्मा की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।

विरोध करने पर आभूषण विक्रेता के भाई को पिस्तौल की बट मार किया घायल
बेगमपुर थाना क्षेत्र में कार से आए चार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

जानकारी के मुताबिक बेगमपुर में पवन वर्मा की आभूषण की दुकान है। शनिवार दोपहर खाना खाने के लिए घर गए थे। उनका भाई गुलशन वर्मा दुकान पर था। इसी बीच दोपहर करीब 1:30 बजे चार लड़के उनकी दुकान में दाखिल हुए। उन्होंने आभूषण दिखाने को कहा। काफी आभूषण देखने के बाद चारों ने पिस्तौल निकाल ली और एक ने उनके कनपटी पर पिस्तौल तान दिया। उसके बाद बदमाश आभूषण लूटने लगे। विरोध किया तो एक बदमाश ने पिस्तौल की बट से वार कर गुलशन का सिर फोड़ दिया। सभी बदमाश करीब 700 ग्राम सोने के आभूषण, एक सोने की हार और नकदी लूटकर फरार हो गए। पीडित गुलशन ने बताया कि चारों लड़कों को उसने आते हुए नहीं देखा था, लेकिन जाते समय देखा था कि सभी एक कार में सवार होकर भाग रहे हैं। उसने बताया कि बदमाशों ने इस बीच उसे गोली मारने की भी धमकी दी थी। बदमाशों के फरार होने के बाद गुलशन ने इसकी जानकारी अपने भाई और पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने गुलशन को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया है और पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश कर रही है।

मुक्तधारा सभागार में होगा 'मास्टर गनेसी राम' का मंचन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

कथाकार स्वर्गीय नरेंद्र रस्तोगी 'मशरक' के लिखे नाटक 'मास्टर गनेसी राम' का मंचन गोल मार्केट स्थित मुक्तधारा सभागार में 11 नवंबर 2019 को शाम 6:30 बजे किया जाएगा। इस नाटक के निर्देशक महेंद्र प्रसाद सिंह हैं। इस कार्यक्रम में भोजपुरी के विद्वान डॉ जयकांत सिंह 'जय' मुख्य अतिथि होंगे और डॉ ब्रज भूषण मिश्र विशिष्ट अतिथि होंगे।

महेंद्र प्रसाद सिंह के मुताबिक, रंगश्री की ओर से स्वर्गीय भिखारी ठाकुर, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉ रामेश्वर सिंह 'कश्यप', स्व. भागवत शरण सिंह, डॉ जय कांत सिंह/डॉ प्रमोद कुमार, सुरेश कांटक, डॉ देवेंद्र चौबे, स्व. बरमेसर सिंह, डॉ राजेश कुमार मांझी आदि के प्रसिद्ध नाटकों का मंचन किया जा चुका है।

पार्क में शादियों पर विवाद, आरडब्लूए ने दर्ज कराई शिकायत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

शादियों का सीजन शुरू होते ही पार्क में हो रही शादियों पर विवाद शुरू हो गया है। यह मामला नई दिल्ली के सुपरपॉश क्षेत्र गोल मार्केट से सामने आया है। इस मामले में स्थानीय आरडब्लूए संगठनों ने दिल्ली सरकार समेत सभी एजंसियों के पास मामले में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज करने वाले कर्मचारी केंद्र सरकार की रिहायशी एसोसिएशन से संबंधित हैं। यह शिकायत संस्था के अध्यक्ष धर्मवीर सोनी ने दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि गोल मार्केट के फ्लैट व पार्कों की बदहाल स्थिति की तरफ सरकारी एजंसियों का कोई ध्यान नहीं है। इस वजह से

मामला नई दिल्ली के सुपरपॉश क्षेत्र गोल मार्केट से सामने आया है

स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए क्षेत्र के फ्लैट व पार्कों की हालत को सुधारने के लिए जल्द से जल्द एक विशेष अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। आरडब्लूए ने क्षेत्र में स्थिति सुधारने के लिए सरकार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उधर इस मामले में संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस पार्क के लिए अब तक आरडब्लूए संगठन ही पौधारोपण अभियान चला रहे थे और जल्द ही विभाग की तरफ से इस पार्क को अधिक हराभरा बनाने के लिए काम किया जाएगा।

बदहाल व्यवस्था

दिल में सुराख व सिकुड़े वाल्व की दिक्कत से जूझ रहा है बच्चा

इलाज के लिए एंबुलेंस में भटकता रहा नवजात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

इतनी उसकी उम्र भी नहीं जितने अस्पतालों की खाक छान ली इलाज के लिए एंबुलेंस में भटकते नवजात ने। दिल में सुराख व सिकुड़े वाल्व की दिक्कत से जूझते इस बच्चे को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर करने के अलावा कुछ नहीं मिला अभी तक। गोरखपुर के मूल निवासी इस मरीज की मां ने बिलखते हुए बताया कि वे रात भर सफर करके दिल्ली पहुंचे इस उम्मीद में कि देश की राजधानी है वहां तो मेरे बच्चे की जान बच ही जाएगी, लेकिन सुबह से ही दिल्ली की सड़कें नाप रहे नवजात को 'बिस्तर नहीं है' या 'विशेषज्ञ नहीं है', कह कर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर ही किया जा रहा है। अभी तक उसे कहीं भी इलाज मिलना शुरू नहीं हुआ। सभी कह रहे हैं कि एम्स में ही संभव है। एम्स ने भी कहा कि बिस्तर नहीं है।

सालों बाद सपना हुआ था पूरा

बच्चे के मामा अंचल द्विवेदी ने बताया कि सालों बाद सपना पूरा हुआ, गोरखपुर निवासी उनकी बहन उपासना पांडेय को जब बच्चे का जन्म हुआ। गर्भ के दौरान देखभाल अच्छे डाक्टरों से हो यह सोच कर इलाहाबाद में रखा। दो नवंबर को बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन खुशियां चार दिन भी बरकरार न रह सकीं। चार दिन में अचानक पता चला कि बच्चे के मलत्याग का रास्ता ही नहीं बना है। डफरिन अस्पताल के डॉक्टरों ने आपरेशन कर यह ठीक तो किया लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान उन्हे पता चला कि बच्चे के दिल में सुराख है और दिल का वाल्व भी सिकुड़ा हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका इलाज केवल चार जगह ही संभव है। समय न गंवाते हुए उसे एम्स दिल्ली, पीजीआइ चंड़ीगढ़ या साईं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल पिलखुआ या दक्षिण भारत ले जाने की सलाह दी।

डफरिन अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह के बाद एंबुलेंस से लेकर बड़ी उम्मीद से एम्स आए। शनिवार सुबह एम्स पहुंचने पर डाक्टरों ने बिस्तर नहीं है कह कर रेफर कर दिया कि सफदरजंग या आरएमएल ले जाओ। यहां से भाग कर आरएमएल में ले गए तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास एनआइसीयू का बिस्तर नहीं है। फिर भी बच्चे का इलाज तो शुरू कीजिए यह गुहार लगाने पर डाक्टरों ने लिख कर देने को कहा कि यहां एनआइसीयू खाली नहीं है, फिर भी हम अपने बच्चे को जबरन यहां दाखिल करना चाहते हैं। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो यह हमारी जिम्मेदारी होगी। अंचल ने कहा कि डाक्टर की यह बातें सुनकर ही हम कांप गए। लेकिन इलाज तो जरूरी है सोच कर हमने वह भी लिख दिया। लेकिन डाक्टर यही कहते रहे यहां कुछ नहीं हो पाएगा। एम्स या सफदरजंग ले जाएं। इस बीच पता किया तो

कलावती सरन बाल चिकित्सालय या सफदरजंग में भी एनआइसीयू खाली नहीं मिला।

कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो भाग कर पिलखुआ भी गए। वहां डाक्टरों ने कहा कि पहले अभी की हालत ठीक होने दे उसके बाद ओपीडी में ही हार्ट की दिक्कत की जांच व बाद में इलाज करेंगे। इस बीच बच्चे को संक्रमण भी हो गया। लेकिन उसका इलाज अभी तक शुरू नहीं हुआ। इसके बाद किसी ने नोएडा सुपर स्पेशियनिलटी अस्पताल जाने को कहा। यहां पहुंचे किसी से फोन भी करवाया लेकिन अस्पताल के बाल चिकित्सक ने कहा कि हमारे यहां बच्चों के हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं हैं। लिहाजा इसका इलाज यहां भी नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि केवल एम्स ही ऐसे बच्चों का इलाज कर सकता है।

एम्स ने कहा, बिस्तर नहीं हैं

परिजनों ने कहा कि हम बच्चे की जान बचाने के लिए भटक रहे हैं। हम फिर एम्स गए लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने फिर कहा कि यहां हमारे यहां एनआइसीयू के छह बिस्तर ही हैं वह भी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के यहां पैदा हुए बच्चों के लिए ही नाकाफी हैं। ऐसे में हम इस बच्चे को भर्ती नहीं कर सकते। आप कहीं और जाओ। हिम्मत जवाब दे रही है लेकिन अपने बच्चे को बचाने की उम्मीद कैसे छोड़ दें। हाथपांव मार रहे हैं। देर शाम तक वे अन्य अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे।

शिक्षा के निजीकरण पर सम्मेलन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

एआइडीएसओ ने शिक्षा के निजीकरण-व्यावसायीकरण के खिलाफ देश भर के छात्रों के सम्मेलन की घोषणा की है। एआइडीएसओ का यह राष्ट्रीय सम्मेलन 26-29 नवंबर को हैदराबाद में होगा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गनाईजेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल सांई ने यह जानकारी प्रेस कान्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा-इसमें देश भर के छात्रों से शिक्षा के निजीकरण-व्यावसायीकरण, सांप्रदायिकता और शिक्षा के फासीवादी केंद्रीयकरण का विरोध में प्रस्ताव भी पारित होंगे।

आज के कार्यक्रम

विविध

इंडिया हैबीटाट सेंटर : फिल्म, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोदी रोड, शाम सात बजे।

प्रदर्शनी

ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी (आइफैक्स) : ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के कलाकारों की कला प्रदर्शनी, आइफैक्स, 1 रफी मार्ग सुबह 11 बजे से 14 नवंबर तक।

अयोध्या फैसला : एक गिरफ्तारी जिससे भाजपा को हुआ लाभ

समस्तीपुर (बिहार), 9 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ पक्षों को निराशा हाथ लगी तो कुछ को राहत मिली लेकिन इस फैसले से भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी निश्चित रूप से खुश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राममंदिर का रास्ता साफ करने वाला फैसला ठीक उनके 92वें जन्मदिन के एक दिन बाद दिया है।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली थी। 23 अक्तूबर 1990 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोक दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने आने वाले वर्षों में देश की राजनीति का रुख ही मोड़ कर रख दिया और भाजपा को इसका सबसे अधिक लाभ हुआ। समस्तीपुर में जब आडवाणी की गिरफ्तारी की गई तब वह भाजपा अध्यक्ष थे और नाटकीय रूप से इसका असर पार्टी की राजनीति पर पड़ा। समस्तीपुर अध्याय के दोनों नायक अब सुर्खियों से दूर हैं। आडवाणी भाजपा के मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं जबकि लालू झारखंड की जेल में समय बिता रहे हैं।

न्यास के डिजाइन के अनुरूप ही बनेगा मंदिर

इंदौर, 9 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को संतुलित करार देते हुए विश्व हिंदू परिषद के एक शीर्ष पदाधिकारी ने शनिवार को इसका स्वागत किया। इसके साथ ही उम्मीद जताई कि संविधान पीठ के आदेश पर बनने वाला ट्रस्ट राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि न्यास के उस डिजाइन के मुताबिक ही कराएगा जिसके तहत पिछले तीन दशक से पत्थर तराशे जा रहे हैं।

विहिप को उम्मीद

विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोकजे ने कहा, 'अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब किसी भी पक्ष की हार या जीत का सवाल नहीं है, क्योंकि अदालत ने संतुलित फैसला सुनाते हुए सदियों पुराने मसले को अच्छी तरह हल कर दिया है। यह फैसला स्वागतयोग्य है, क्योंकि इसके तहत न्याय किया गया है।' कोकजे ने कहा, 'इस फैसले की रोशनी में हम समझ रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिर जरूरी फैसले शीर्ष अदालत के आदेश पर सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले ट्रस्ट की निगरानी में ही होने हैं। हालांकि, हम उम्मीद कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर उसी डिजाइन के मुताबिक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जो राम जन्मभूमि न्यास ने पहले से तैयार कर रखा है। इस डिजाइन को अपनाया जाना (प्रस्तावित) ट्रस्ट के लिए सुविधाजनक भी होगा।'

अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद काशी और मथुरा के विवादित धार्मिक स्थलों को लेकर विहिप की आगामी योजना के बारे में पूछे जाने पर कोकजे ने सीधा जवाब टाल दिया। उन्होंने संबंधित प्रश्न पर कहा, 'फिलहाल हम अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बाकी विषयों पर समाज के रुख को राम मंदिर निर्माण के बाद देखा जायेगा।' मध्य प्रदेश और राजस्थान के उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश ने कहा, 'राम जन्मभूमि न्यास ने मंदिर निर्माण के लिए काफी तैयारी कर रखी है। मंदिर का डिजाइन तैयार है और इसके मुताबिक बड़े पैमाने पर पत्थर भी तराश लिए गए हैं।'

परमहंस, सिंघल व आडवाणी रहे मंदिर आंदोलन के सूत्रधार

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

नब्बे के दशक में भाजपा को राष्ट्रीय राजनीति की मुख्यधारा में लाने वाले रामजन्मभूमि आंदोलन की पटकथा रामचंद्र परमहंस ने लिखी तो इसकी नींव रखी अशोक सिंघल ने जबकि लालकृष्ण आडवाणी इसका राजनीतिक चेहरा बने। पेशे से इंजीनियर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष सिंघल ने अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के इस आंदोलन की नींव रखी। इससे पहले रामजन्मभूमि न्यास के प्रमुख संत रामचंद्र परमहंस और कुछ छोटे हिंदू समूह इसकी लगातार पैरवी कर रहे थे।

अस्सी के दशक के आखिर में भाजपा के वरिष्ठ नेता आडवाणी इस आंदोलन का राजनीतिक चेहरा बने जिन्होंने इस आंदोलन को परवान चढ़ाया। रामजन्मभूमि आंदोलन में विभिन्न हस्तियों की भूमिका के बारे में अनुभवी पत्रकार हेमंत शर्मा ने कहा कि सिंघल उस आंदोलन की रीढ़ थे और इसकी पूरी पटकथा उन्होंने लिखी थी। उन्होंने कहा कि आडवाणी ने इसे राजनीतिक मसला बनाया जबकि रामचंद्र परमहंस आंदोलन के प्रणेता रहे।

सिंघल 1984 में विहिप के संयुक्त महासचिव के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े और पहली धर्मसंसद बुलाई। उन्होंने राम मंदिर मसले पर संतों का समर्थन जुटाया। वे बाद में विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष बने और इसे जनांदोलन बनाया। उन्होंने संतों, संघ नेताओं और भाजपा के बीच सेतु का काम किया। उन्होंने 1989 लोकसभा चुनाव में इसे भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई। सिंघल का 2015 में निधन हो गया।

बाबरी विध्वंस पर न्यायालय की टिप्पणी लिब्रहान आयोग जैसी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 को विवादित ढांचा गिराए जाने से संबंधित मामले से दूरी बनाए रखने वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी शनिवार को अपने फैसले में लिब्रहान आयोग द्वारा की गई टिप्पणी से मिलती-जुलती टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि विवादित ढांचा गिराया जाना एक सोचा-समझा कृत्य था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले संविधान पीठ ने अपने फैसले में इस तथ्य का उल्लेख किया कि विवादित भूमि को लेकर मुकदमे लंबित होने के दौरान एक सार्वजनिक इबादत स्थल को नष्ट करने के सोचे-समझे कृत्य के तहत मस्जिद का पूरा ढांचा ही गिरा दिया। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लमानों को गलत तरीके से उनकी मस्जिद से वंचित किया गया, जिसका निर्माण 450 साल से भी पहले किया गया था।

फैसले में विवादित ढांचा गिराए जाने के बारे में चंद पंक्तियां ही हैं लेकिन ये टिप्पणी अयोध्या में इस ढांचे को गिराए जाने की घटना के दस दिन के भीतर नरसिंह राव सरकार द्वारा गठित लिब्रहान जांच आयोग की टिप्पणी की याद ताजा करती है। लिब्रहान आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अयोध्या में सारा विध्वंस योजनाबद्ध तरीके से किया गया था।

अयोध्या में छह दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना की न्यायिक जांच के लिए पीवी नरसिह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश एमएस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। हालांकि, न्यायमूर्ति लिब्रहान ने अवकाश ग्रहण करने के बाद इस आयोग को पूरा वक्त दिया और 17 साल बाद जून, 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस दौरान 48 बार जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया।

लिब्रहान जांच आयोग के समक्ष पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और विश्वनाथ प्रताप सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अन्य नेताओं की गवाही हुई। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष में कहा कि इस मामले के तथ्यों से यही सबूत सामने आता है कि सत्ता और धन की संभावना से प्रलोभित दलों और संगठनों आदि के भीतर ही ऐसे नेता उभर आये थे, जो न तो किसी विचारधारा से निर्देशित थे और न ही उनमें किसी प्रकार का नैतिक संयम था।

फैसले को तथ्यों पर आस्था की जीत बताया ओवैसी ने

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

एआइएमआइएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'तथ्यों पर आस्था' की जीत करार दिया है। सांसद ओवैसी ने शीर्ष अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।

ओवैसी ने कहा- मैं फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो सबसे ऊपर है, लेकिन अपरिहार्य नहीं है। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें खैरात के रूप में पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए। हमें इस पांच एकड़ जमीन के प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए। हम पर कृपा करने की जरुरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा-अगर मस्जिद वहां पर रहती तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती! बाबरी मस्जिद नहीं गिरती तो क्या फैसला आता? जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, उन्हें ही ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर बनाने का काम दिया गया है।

मुसलिम नेताओं ने अयोध्या पर फैसले को स्वीकार किया, शांति का आह्वान

मुंबई, 9 नवंबर (भाषा)।

मुंबई के मुसलिम नेताओं ने शनिवार को अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और अपने समुदाय के सदस्यों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के महासचिव मौलाना महबूब दरयादी ने कहा कि हम खुश हैं कि अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। हम कहते आ रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा, हम स्वीकार करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय को स्वीकार करते हैं। हम इस बात से भी खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े की अपील को खारिज कर दिया। हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन देने की बात स्वीकार करते हैं।

खोजा शिया जमात के वरिष्ठ सदस्य शब्बीर सोमजी ने कहा कि उन्होंने देश के हित में फैसला स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि फैसला सभी समुदायों को कबूल होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, जो देश के हित में है। ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सैयद अथरली ने कहा कि हमें देश में कानून व्यवस्था बना कर रखनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि शांति बनी रहे। हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला है। हम इस बारे में विचार करेंगे।

माहिम दरगाह के प्रबंध ट्रस्टी और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सुहैल खंडवानी ने कहा कि गर्व की बात है कि भारतीयों ने शीर्ष अदालत के अंतिम आदेश को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित फैसला सुनाया है। यह फैसला किसी धर्म विशेष के पक्ष में नहीं है। फैसले से संदेश गया है कि भारत जाति और वर्ण से ऊपर है। धार्मिक विद्वान हजरत मुइन मियां ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प खुला है, लेकिन वह समाज की बेहतरी के लिए फैसले को स्वीकार कर रहे हैं।

यूपी में पहली बार बनाया गया इमरजंसी ऑपरेशन सेंटर

लखनऊ, 9 नवंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि अयोध्या फैसले से पहले और बाद में सोशल मीडिया, इमरजंसी 112 नंबर पर आने वाली फोन कॉल और मीडिया से प्राप्त सूचनाओं पर नजर रखने के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 मुख्यालय पर 'इमरजंसी ऑपरेशन सेंटर' बनाया गया है।

विदेश मंत्रालय ने फैसले की जानकारी विभिन्न देशों को दी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से विभिन्न देशों के राजनयिकों को अवगत कराया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों ने बताया कि फैसले के बाद मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न देशों और सहयोगी देशों के राजनयिकों को इससे अवगत कराया। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि कितने देशों के राजनयिकों को फैसले से अवगत कराया गया है और उन्हें क्या खास संदेश दिया गया।

जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : डेयर कैम्प्स, 6109, डीएलएफ फेज-IV, गुरुग्राम-122002, हरियाणा
सीआईएन : L31104HR1989PLC033561, फोन : 91 (11) 30004981/30005000, फैक्स : 91 (11) 30004999
वेबसाइट : www.jmgcorp.in, ई-मेल : info@jmgcorp.in
30.09.2019 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैण्डअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(लाख में)

क्रम	विवरण	स्टैण्डअलोन				
		समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		अलेखापरीक्षित 30.09.2019	अलेखापरीक्षित 30.09.2018	अलेखापरीक्षित 30.09.2019	अलेखापरीक्षित 30.09.2018	लेखापरीक्षित 31.03.2019
1.	प्रचालनों से सकल आय (निबल) नीचे नोट 3 देखें	13.50	12.50	13.50	30.00	52.50
2.	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर पूर्व, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदें)	-2.04	4.36	-17.16	16.91	7.31
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-2.04	4.36	-17.16	16.91	7.31
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	-2.04	4.36	-17.16	16.91	5.90
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)	-2.04	4.36	-17.16	16.91	6.56
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
7.	आरक्षियाँ (31.03.2019 के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षी को छोड़कर)					416.80
8.	आय प्रति शेयर (रु. 2.5/- प्रत्येक के) (सतत एवं असतत प्रचालन हेतु)					
	मूल :	-0.010	0.022	-0.086	0.085	0.033
	डाइल्यूटेड	-0.010	0.022	-0.086	0.085	0.033

नोट :
1. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज वर्तमान वित्तीय परिणामों तक तिमाही/वार्षिक के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वर्तमान वित्तीय परिणामों के तिमाही/वार्षिक प्रारूप का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.jmgcorp.co पर उपलब्ध है।
2. 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 09 नवम्बर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित की गयी।
3. प्रचालनों से कुल आय प्रचालनों से राजस्व को प्रदर्शित करती है।

कृते जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ह./-
अतुल कुमार मिश्रा
प्रबन्ध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 09.11.2019

पुनर्विचार याचिका की जरूरत नहीं : शाही इमाम

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने शनिवार को कहा कि अयोध्या मामले को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि अब देश में सांप्रदायिक तनाव के लिए जगह नहीं होगी और आगे से ऐसे मुद्दों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। इस मसले का सामाजिक पटाक्षेप जरूरी है।

बुखारी ने संवाददाताओं से कहा- देश कानून और संविधान के अमल पर चलता है। 134 साल से चल रहे विवाद का अंत हुआ। पांच सदस्यीय पीठ ने निर्णय लिया। गंगा जमुनी संस्कृति और सद्भाव को देखते हुए कि यह प्रयास करना होगा कि आगे देश को इस तरह के विवाद से नहीं गुजरना पड़े। देश संविधान के तहत चले, कानून का अमल होता रहे, सांप्रदायिक तनाव नहीं हो और समाज नहीं बंटे, इसके लिए सभी को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। हिंदू-मुसलिम वाली बात बंद होनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर चलें।

फैसले के खिलाफ अपील से जुड़े ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बारे में पूछे जाने पर बुखारी ने कहा- मेरा मानना है कि मामले को ज्यादा बढ़ाना उचित नहीं है। पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना बेहतर नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुसलिम समुदाय पहले से कहता रहा है कि वह फैसले का सम्मान करेगा। अब कहे पर अडिग रहने की बारी है।

फैसला उम्मीद के मुताबिक नहीं, लेकिन हम निर्णय को मानते हैं : मदनी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

देश के प्रमुख मुसलिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने शनिवार को अयोध्या मामले पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लेकिन वे इस निर्णय को मानते हैं क्योंकि यह अदालत सर्वोच्च है।

मौलाना मदनी ने एक बयान में यह भी कहा कि इस फैसले को हार-जीत के नजरिए से नहीं देखना चाहिए और सभी को अमन एवं भाईचारे का माहौल बनाए रखने में मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'यह निर्णय हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है परंतु हम इसे मानते हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च संस्था हैं।'

उन्होंने यह भी कहा, 'संविधान ने हमें जो शक्तियां दी हैं उस पर निर्भर करते हुए जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने आखिरी हद तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ताओं की सेवाएं लीं, अपने पक्ष में तमाम सबूत इकट्ठा किए गए और अदालत के सामने रखे।' मदनी ने कहा, 'मतलब यह कि अपने दावे को शक्ति प्रदान करने हेतु हम जो कर सकते थे वो किया।'

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "सेन्ट्रल" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: मेरठ रोड, सेहानी गाँव, गाजियाबाद, उ0प्र0
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, (दूसरा) अध्यादेश 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक **01/07/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्रीमती रचना जैन पत्नी मनोज कुमार जैन एवं मनोज कुमार जैन पुत्र हरि किशन**, को सूचना में उल्लिखित राशि **रु. 25,60,309/- (पच्चीस लाख साठ हजार तीन सौ नौ रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर को चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **दिनांक 05.11.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.25,60,309/- (पच्चीस लाख साठ हजार तीन सौ नौ रूपये मात्र) और उस पर ब्याज** को साथ, **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती रचना जैन पत्नी श्री मनोज कुमार जैन के नाम पर गांव शिकदरपुर, गली नं. 16 की आबादी, बलबीर नगर एक्स. इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित साम्यिक बंधक सम्पत्ति सं. 1/5519-बी, एरिया 88.46 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 21, भूमि परिमाप 88.46 वर्ग मीटर, खसरा नं. 175 का भाग, प्रवेश, गलियारे की सीढ़ियों के सामान्य अधिकार के साथ बिजली एवं पानी का कनेक्शन और भूमि में अविभाजित इम्पार्टेयल आनुपातिक स्वामित्व अधिकार तथा भूतल पर एक एसयूवी कार पार्किंग एवं 2 दोपहिया पार्किंग अधिकार।

सम्पत्ति निम्नानुसार घिरी है:
उत्तर: रोड — दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति
पूर्व: रोड — पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(4) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थान: दिल्ली
तिथि: 05.11.2019
प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

Orosil smiths India Limited — kuhjohl — SINCERE PRECIOUSLY YOURS

ओरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड
(पंजी. कार्यालय: 020, ईगहुंत चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019)
ईमेल: info@orosil.com, वेबसाइट: www.orosil.com, CIN: L74110DL1994PLC059341
30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (आंकड़े-रु लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 30.09.2019 (अनंकेक्षित)	समाप्त छमाही 30.09.2019 (अनंकेक्षित)	30.09.2018 को समाप्त पूर्व वर्ष के अनुरूप समाप्त 3 महीने (अनंकेक्षित)
1	प्रचालन से कुल आय (शुद्ध)	28.1	123.98	24.85
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक तथा/व असाधारण मदों के पूर्व)	(7.05)	(16.21)	(13.14)
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(7.05)	(16.21)	(13.14)
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/व असाधारण मदों के बाद)	(7.05)	(16.21)	(13.14)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) सहित]	(7.05)	(16.21)	(13.14)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	413.16	413.16	413.16
7	प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य प्रति रु. 1/-) (चालू और बंद प्रचालनों के लिए) बेसिक व डायलूटिड (रु. में)	(0.02)	(0.04)	(0.03)

नोट:
i) 09 नवम्बर, 2019 को आयोजित बैठक में पर्यालोचन परिणामों की लेखित कमेटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश किए गए तथा निदेशक मंडल बैठक द्वारा स्वीकृत किए गए। कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उपरोक्त तिमाही के परिणामों की सीमित समीक्षा की है।
ii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज उपरोक्त 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए वित्तीय परिणाम विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bseindia.com) में तथा कंपनी की वेबसाइट (www.orosil.com) पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते ओरासिल स्मिथ्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
(वी. के. गुप्ता)
प्रबंध निदेशक
DIN: 00003629

स्थान: नोएडा
तिथि: 09.11.2019

POLYMED MEDICAL CENTRE — We Care As We Cure
पॉली मेडिक्योर लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 232बी, तृतीय मंजिल, ओखला इण्डस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020
सीआईएन : L40300DL1995PLC066923, फोन : 011-26321889, फैक्स : 011-26321894
वेबसाइट : www.polymedicure.com, ई-मेल : investorcare@polymedicure.com
30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	स्टैण्डअलोन			समेकित		
		समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही	समाप्त तिमाही
		30.09.2019	30.09.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2019	30.09.2018
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से सकल आय	16,823.42	32,476.69	15,085.66	17,890.32	34,466.64	15,428.65
2	कर पश्चात सामान्य गतिविधियों से निबल लाभ	2,702.24	4,720.59	1,446.04	2,840.03	4,820.56	1,456.29
3	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ (असाधारण मदों के पश्चात)	2,702.24	4,720.59	1,446.04	2,840.03	4,820.56	1,456.29
4	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	2,701.93	4,714.96	1,449.00	2,839.72	4,814.93	1,459.25
5	इक्विटी प्रदत्त शेयर पूँजी	4,412.35	4,412.35	4,411.85	4,412.35	4,412.35	4,411.85
6	आय प्रति शेयर (तिमाही वार्षिकीकृत नहीं)						
	मूल (रु.)	3.06	5.35	1.64	3.22	5.46	1.65
	डाइल्यूटेड (रु.)	3.06	5.35	1.64	3.22	5.46	1.65

नोट :
1. उपर्युक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षित तथा संस्तुत किये गये और 09 नवम्बर, 2019 को आयोजित अपनी सम्बद्ध बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये गये। विधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा संचालित की।
2. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता एवं अन्य प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दर्ज 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.polymedicure.com पर उपलब्ध है।
3. 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कम्पनी ने इण्ड एएस 116 'लीजेज' को स्वीकार किया और इसे परिवर्द्धित पूर्वव्यापी विधि का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 को समस्त लीज अनुबन्धों पर इसे प्रयुक्त किया और प्रारम्भिक आवेदन की तिथि पर संचयी प्रभाव संक्रमण तिथि अर्थात 1 अप्रैल, 2019 को कम होकर प्रतिधारित आय रु. 79.86 लाख (सकल आस्थगित कर आस्ति) तक हो गयी। 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही हेतु इण्ड एएस 116 के अनुप्रयोग से ब्याज की लागत तथा लीज रेंट के व्युत्क्रम द्वारा व्ययों के मूल्यह्रास समायोजन के कारण कर पूर्व लाभ में रु. 1.14 लाख की कमी हुई। वर्तमान अवधि हेतु लाभ एवं हानि के विवरण में प्रचालन लीज के परिप्रेक्ष्य में व्ययों की प्रकृति पूर्व अवधियों में लीज रेंट से आस्ति उपयोग के अधिकार हेतु मूल्य ह्रास में परिवर्तित हो गये और ब्याज हेतु वित्तीय लागत लीज दायित्व पर उपार्जित हुए। नवीन मानक को अपनाने से 1 अप्रैल, 2019 को रु. 402.22 लाख का उपयोग अधिकार तथा रु. 524.97 लाख का लीज दायित्व प्राप्त हुआ।
4. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, कम्पनी ने 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही हेतु छमाही समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत कर दिये। चूँकि कम्पनी के छमाही समेकित वित्तीय परिणाम पहली बार जमा किये जा रहे हैं अतः 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त छमाही तथा 30 सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही जैसा कि इन वित्तीय परिणामों में प्रतिवेदित है, हेतु तुलनात्मक अवधियों के समेकित आँकड़ों प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित हैं और ये सीमित समीक्षा के विषय नहीं हैं।
5. कम्पनी ने करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक 2019 द

व्यक्ति, समाज और मर्यादा

साकेत कुमार सहाय

ईमानदारी मात्र एक गुण नहीं, बल्कि स्वस्थ आचरण है। यह परस्पर साहचर्य, विश्वास, प्रेम और प्रगाढ़ता का पर्याय है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदार है, तो सहज ही लोग उस पर विश्वास करेंगे। अगर हम अपने जीवन में कोई भी कार्य बेईमानी से करते हैं, तो उसका अपराधबोध जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता।

इसलिए जरूरी है कि हम ईमानदारी को अपनी जीवनशैली का अनिवार्य अंग बनाएं। इसके लिए शुरू से ही परिवार, समाज और संस्थानों को अनुशासित तथा ईमानदार जीवन निर्माण के तत्त्वों की स्थापना के लिए कार्य करना होगा। हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही ऐसी घटनाएं देखते हैं, जिनमें काफी लोग अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख होते हैं। कई कर्मचारी अपने कार्यालय में देर से आते हैं, मगर पूछने पर दोष किसी और पर मढ़ते हैं।

छोटे-छोटे आचरण ही हमारे अंदर भ्रष्ट आचार-व्यवहार की नींव डालते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ही ईमानदार और अनुशासित जीवन जीने का बीज रोपें और उसे सींचे। हमारी शिक्षा-व्यवस्था अपनी जड़ों की ओर लौटे। इसके लिए शिक्षा-व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। वर्तमान मानसिकता एक ज्ञानवान समाज के मुकाबले धनवान समाज को ज्यादा ललचायी नजरों से देखती है, जो हमारे समाज में व्याप्त बेईमानी और अन्य सामाजिक समस्याओं का कारण है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक आदर्श प्रतिमान स्थापित करने की कोशिश करे।

आज भ्रष्टाचार हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का हिस्सा-सा बन गया है। बिना इसके किसी काम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें आकंठ डूबा व्यक्ति अपनी गलती आसानी से दूसरे के मत्थे मढ़ देता है या उसके लिए ये सारी बातें ऐसी होती हैं, जैसे दूध में पानी मिला होता है। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार दैत्याकार रूप ले चुका है। अब व्यक्ति की पहचान सिर्फ उसके पैसे से होती है। यह पैसा उसने किस प्रकार और कैसे कमाया, यह कोई नहीं देखता। ऐसा इसलिए भी होता है कि ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में यही कर रहे हैं। जो नहीं कर पा रहा, वह इसके प्रयास में है। पद, रसूख के बावजूद जो ईमानदार है, वह बिल्कुल आज के दौर में महात्मा की तरह है। पर दुर्भाग्य यह भी है कि ऐसे लोगों को कई बार परिवार, समाज भी बर्दाश्त नहीं करता। वर्तमान में लोभ-लिप्सा की वजह से भ्रष्ट व्यवस्था शीर्ष पर विराजमान है और यह व्यवस्था देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गई है।

ईमानदार बनने के लिए हमें अपनी उन प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा, जो हमें चादर से ज्यादा पांव फैलाने को उकसाती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की अहम जरूरत है, पर हमारी ये जरूरतें लगातार बढ़ती जाती हैं और फिर हमारी सारी शक्ति उनकी पूर्ति में लग जाती है। इस तरह इन आवश्यकताओं की पूर्ति में हम खुद एक पैसा कमाने की मशीन बन कर रह जाते हैं। युवाकाल में हमारे रचनात्मकता के स्वप्न धरे के धरे रह जाते हैं। नतीजतन आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में सच्ची निष्ठा और ईमानदारी का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन के प्रत्येक पक्ष के असली मकसद से जुड़ें। असली मकसद ही इंसान को सफलता के पथ पर अग्रसर और उसकी प्रगति को चिर स्थायी बनाता है।

> राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति ईमानदार होना हमारी चरित्र निष्ठा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। यह सही है कि वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्ट परिस्थितियों से कोई भी संतुष्ट नहीं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन हो।

यह अकाट्य सत्य है कि जिंदगी की शुरुआत शून्य से होती है और शून्य पर ही खत्म हो जाती है। अंत में हमारा मूल्यांकन सिर्फ हमारे कर्मों से होता है। उसी के दम पर हम याद किए जाते हैं, न कि पैसों की वजह से। हर इंसान का यह दायित्व बनता है कि वह जब तक जिए, इस संसार में अच्छे कर्म करे, ताकि जब वह इस संसार से विदा हो तो पूरा जग उसके लिए रोए। अच्छे कर्मों की यह सोच हमें सत्य और ईमानदारी की राह की ओर उन्मुख करेगी। इससे हमारे अंदर समाज और राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा उपजेगी।

हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि हमारे समाज में सर्वत्र भ्रष्टाचार और असत्य का बोलबाला है। पर, अगर व्यापक रूप में देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि समाज में नैतिकता और मर्यादा का तेजी से क्षरण हो रहा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। समाज में भ्रष्टाचार की उपज एक दिन में नहीं हुई होगी, यह सब कुछ नया भी नहीं है, बल्कि यह सब कम या ज्यादा सदा विद्यमान रही है। पर समाज में चूंकि नैतिकता का स्तर पहले अप्रतिम था तथा अनैतिक कार्यों के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। पर समय के साथ यह स्थिति बद से बदतर होती गई। ब्रिटिश गुलामी को भी इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पर दोषी ठहराने से क्या होगा? देश तो हम सभी का है। इसलिए यह प्रवृत्ति कि यह सब दो सौ वर्षों की गुलाम मानसिकता, सामंतवादी प्रवृत्ति आदि की उपज है।

इसके लिए सबसे अधिक दोषी हमारा समाज, हमारी आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था है। आधुनिक समाज धनिकों को ही योग्य मानती है, चाहे वह धन किसी भी प्रकार से कमाया हुआ हो। शीघ्र धनवान बनने और चमक-दमक को ही तरक्की समझ लेने की मानसिकता ही हमें गलत करने को उकसाती है, जिसका परिणाम है ऐसी स्थिति। जरूरत है इस घाव के रक्त शोधन की।

समाज में ईमानदारी, निष्ठापूर्ण कार्य-व्यवहार की स्थापना के लिए जरूरी है कि भ्रष्ट परिस्थितियों के निर्माण के मूल में काम करने वाली विकृत मनस्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की जाए। अन्यथा एक समस्या का उपचार होने से पहले ही दस नई समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। हमें इन समस्याओं के समूल विनाश के लिए उनकी जड़ तक जाना और उनके मूल स्रोत को नष्ट करना होगा। इसके लिए पहली आवश्यकता है जनमानस में जड़ें जमाई हुई निकृष्ट स्वार्थपरकता को निरस्त करके चरित्र निष्ठा की उच्च स्तरीय आस्थाओं का प्रतिमान स्थापित किया जाए।

राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति ईमानदार होना हमारी चरित्र निष्ठा का महत्त्वपूर्ण पक्ष है। यह सही है कि वर्तमान में हमारे देश में व्याप्त भ्रष्ट परिस्थितियों से कोई भी संतुष्ट नहीं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन हो।

सरकारी हो या निजी, दोनों तरह की संस्थाओं में ईमानदारी की व्यवस्था कायम होना बेहद जरूरी है। इसके लिए संवैधानिक तंत्र यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाज और व्यवस्था में ईमानदारी तथा पारदर्शिता से सभी कार्य संपन्न हों। इसके साथ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि सभी अपने स्तर पर ईमानदारी के सिद्धांत का प्रतिबद्धता से पालन करें। ईमानदार जीवन शैली को अपना कर ही हम एक सशक्त समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे।

नदियों का जीवन

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली

जल जीवन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है 2024 तक हर घर तक पेयजल पहुंचाना। अभी देश के आधे घरों में ही ऐसी सुविधा है। उनमें भी पानी चौबीस घंटे नहीं, औसतन दो घंटे, कभी-कभी तो कुछ मिनट और कुछ स्थानों पर एक दो दिन छोड़ कर पहुंचता है। हालांकि भारतीय मानकों में सुचारु जल आपूर्ति व्यवस्था वह मानी गई है जब प्रति व्यक्ति प्रति दिन चालीस लीटर साफ पेयजल उपलब्ध हो। पर विकास के साथ और विकास के लिए भी पानी की मांग बढ़ जाती है। एक व्यक्ति की स्वास्थ्य जरूरतों, जैसे साफ-सफाई, खाने-पीने आदि में औसतन करीब पच्चीस लीटर पानी लग जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू आवश्यकताओं के साथ पशुओं के लिए पेयजल की जरूरत भी जुड़ी होती है। देश के करीब एक चौथाई क्षेत्रों में, जो अक्सर सूखाग्रस्त रहते हैं, आसपास जल स्रोतों के न होने से इस मानक पर खरे उतर पाना मुश्किल होता है।

फिलहाल हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए अगले पांच सालों में वर्तमान प्रयासों के चौगुने प्रयास करने होंगे। इस बीच दिक्कत यह भी बढ़ती जा रही है कि उपलब्ध जलस्रोत भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। इसलिए जल के शुद्धीकरण में बहुत अधिक समय और धन लग रहा है। पानी को बिना उपचारित किए और सुरक्षित बनाए सीधे घरों में पीने के लिए नहीं भेजा जा सकता है। पर दुखद यह भी है कि अस्सी प्रतिशत पानी, जो घरों में पहुंचता है, बेकार मान कर बहा दिया जाता है।

अभी भारत में करीब आधी जल आपूर्ति भूमिगत जल से होती है। पर अत्यधिक दोहन और सर्वत्र सतह पर सीमेंट कंकरीट से बनी सड़कों, भवनों आदि के विस्तार से बरसाती पानी के भूजल भंडारों में पहुंचने की राह मुश्किल होती जा रही है। परिणाम स्वरूप खासकर नगरों, महानगरों में भूमिगत जलस्तर बहुत गहराई में पहुंच गया है। साथ ही पास की खेती, उद्योगों या कूड़े-कचरे के भूमिगत जलभंडारों को प्रदूषित भी कर रहे हैं। इस कारण अब चिह्नित हैंडपंपों पर यह चेतावनी देने के लिए निशान भी लगाए जा रहे हैं कि इन हैंडपंपों का पानी पीना घातक हो सकता है। दूसरी तरफ उन प्रसिद्ध विशाल झीलों, तलाबों में भी, जिनसे दशकों से नगरों, महानगरों और राज्यों की राजधानियों को पेयजल आपूर्ति होती रही है, कूड़ा-कचरा, मलमूत्र और प्रदूषण का जमवाड़ा होता जा रहा है। इन झीलों का परिमाप भी कम होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है कि जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को पाने के लिए नदियों की क्षमता और संभावनाओं का भी विवेचन हो।

देश में चार सौ से ज्यादा नदियां हैं। राष्ट्रीय नदियों के संरक्षण के लिए एक अलग निदेशालय भी है। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, कुछ अरब सागर में। नदियों से निकली नहरें भी कई नगरों-महानगरों में पेयजल आपूर्ति की प्रमुख स्रोत होती हैं। मगर नदियां भी निरंतर नए संकटों में घिरती जा रही हैं। मनुष्य ही इसके लिए मुख्य रूप से दोषी है। अनुपचारित और तथाकथित उपचारित जल-मल, कूड़ा-कचरा और मलबा पहुंचने से नदियों का जल पीने की बात तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं रह गया है। आज नदियां मर रही हैं और मारी भी जा रही हैं।

अगस्त, 2018 में एनजीटी को गंगा के संदर्भ में बताया गया था कि गंगा पर स्थापित सत्तर मॉनीटिरिंग स्टेशनों में से केवल पांच के क्षेत्र में गंगा का पानी पीने और सात में नहाने योग्य है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है।

अपने में प्रचुर जल प्रवाह से कुछ हद तक स्वयं को प्रदूषण मुक्त करने की जो ताकत नदियों को मिलती है, आज वे स्थितियां भी खासकर जलविद्युत परियोजनाओं के लिए बने बांधों से खत्म होती जा रही हैं। नदियों और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर मानवीय असंवेदनशीलता और गिद्ध दृष्टि भारत में ही नहीं है। पूरे विश्व में ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए पृथ्वी और मानव मात्र को बचाने के लिए प्रकृति संरक्षण के उपायों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को जीवित मानव का दर्जा दिए जाने की मुहिम जोर पकड़ रही है।

पूरी दुनिया में नदियों को व्यक्ति के रूप में वैधानिक मान्यता देने का उद्देश्य लोगों को नदियों से उनके व्यवहार में ज्यादा जिम्मेदार बनाना है। इक्वेडर प्रकृति को वे सारे मौलिक अधिकार देता है, जो मनुष्य को हासिल हैं। इसके अंतर्गत प्रकृति को बने रहने, अपने रखरखाव और अपने तथा अपने चक्रों को पुनर्जीवित करने और अपने कार्य करने का अधिकार है। 20 मार्च, 2017 को गंगा, यमुना को जीवित मनुष्य जैसा माने जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश से भारत को भी दुनिया में विकसित होती इस वैधानिक प्रणाली और वैधानिक सोच में आगे बढ़ने का मौका मिला था, मगर वह फिलहाल इससे चूक गया है। क्योंकि इस आदेश पर केंद्र और राज्य सरकार की आपत्तियों के कारण 7 जुलाई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश मिल गया था।

> संदर्भ
>
> मानव जीवन के लिए जैसे शरीर में आक्सीजन का होना आवश्यक है, वैसे ही गंगा यमुना या अन्य नदियां भी न मरें, इसके लिए आक्सीजन का उनके पानी में होना आवश्यक है। मगर नदियों में सीवरेज और रासायनिक अपशिष्टों के बहाव से आक्सीजन की कमी से जलचरों की मौत बढ़ती जा रही है।

आदेश में कहा गया था कि नदियां सांस लेती हैं, वे जिंदा हैं। पर्वतों से लेकर सागर तक ये नदियां समुदायों के जीवन को बनाए रखती हैं। भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर लोगों का नदियों से संबंध है, इसलिए भी इनको वैधानिक मानव का दर्जा देकर समाज की आस्था को बचाना है। गंगा दुनिया की पांचवीं सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। गंगा के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने स्वयं नर्मदा नदी को वैधानिक मानव का दर्जा दे दिया था। मानव जीवन के लिए जैसे शरीर में आक्सीजन का होना आवश्यक है, वैसे ही गंगा यमुना या अन्य नदियां भी न मरें, इसके लिए आक्सीजन का उनके पानी में होना आवश्यक है। मगर नदियों में सीवरेज और रासायनिक अपशिष्टों के बहाव से आक्सीजन की कमी से जलचरों की मौत बढ़ती जा रही है।

सबको पेयजल देने के सपने को पूरा करना है, तो नदियों को जिंदा रखने की मुहिम आवश्यक है। प्रदूषित नदियां अपने पार्श्व के भूजल स्रोतों को भी क्षैतजिक रिसाव से प्रदूषित कर सकती हैं। अगर हम नदियों को जीवित व्यक्ति-सा मान लें, तो नदियों को जिंदा रखने के लिए हमारे प्रयास नई ऊर्जा और नए विकल्प पा सकते हैं। नदियां स्वस्थ और जिंदा रहेंगी, तो नदियों में आया पानी देर-सबेर घर में आए पानी का हिस्सा हो जाएगा।

देश में नदियों की सफाई की सोच 1985 में गंगा की सफाई योजना से बनी थी। नदियों को वैधानिक मानने की भी सोच को जमीन देने का काम गंगा के वैधानिक मानव स्तर को वैधानिकता देकर होनी चाहिए। हमें उन्हें केवल हमारी सेवा विकास के लिए संसाधन नहीं माना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो अक्तूबर, 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से दिए गए शपथ पत्र से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 तक गंगा प्रदूषण मुक्त कर दी जाएगी। 2020 तो दरवाजे पर ही है।

इस मंदी के दौर में

वित्तमंत्री देर से पहुंचीं एक्सप्रेस अड्डा में पिछले हफ्ते। सो, मुझे फुर्सत मिली वहां आए बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ बातें करने की। बातें शुरू होने से पहले उन्होंने मुझसे आश्वासन मांगा कि उनके नाम नहीं छपेंगे। आवाज धीमी करके उन्होंने कहा, 'माहौल खराब है इसलिए मुंह खोलने से डरते हैं हम।' आश्वासन दिया मैंने तो उन्होंने खुल कर बातें कीं। कहा कि अर्थव्यवस्था पर जो मंदी के बादल छाए हुए हैं पिछले कुछ सालों से, अब और घने हो गए हैं, इसलिए कि जो उम्मीदें उनको मोदी के दूसरे दौर के पहले बजट से थीं, वे पूरी नहीं हुई हैं। 'यही कारण है कि अब भी लोग निवेश करने से कतराते हैं और यही कारण है कि हजारों की तादाद में भारतीय निवेशक देश छोड़ कर भागे हैं। हमने सोचा था कि बजट में कुछ राहत मिलेगी हमें, लेकिन उल्टा हुआ।'

आगे उन्होंने कहा कि उनको खबर है कि बजट भारत सरकर के आला अफसरों ने तैयार करके वित्तमंत्री को दिया। 'इसमें निर्मला सीतारमण का हाथ नहीं था, ऐसा कहा जाता है, इसलिए बजट के बाद उन्होंने कई घोषणाएं की हैं निवेशकों के हौसले बढ़ाने के लिए। शायद इनसे थोड़ा-बहुत फर्क पड़ेगा माहौल में, लेकिन फिलहाल मायूसी फैली हुई है।'

एक्सप्रेस अड्डा एक पांच सितारा होटल के आलीशान, चमकते महलनुमा कमरे में रखा गया था। मैं वहां जल्दी पहुंची थी इस इरादे से कि मंच के पास जगह मिल जाए, ताकि वित्तमंत्री से मैं उस सवाल को पूछ सकूं, जो कई दिनों से पूछना चाहती थी। सवाल वित्तमंत्री के एक बयान से जुड़ा हुआ था। बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री से जब पूछा गया कि उन्होंने 'सुपर-रिच' (अति-अमीर) लोगों पर क्यों एक नया टैक्स लगाया है, जो उनकी मुश्किलें और बढ़ाएगा, तो वित्तमंत्री ने जवाब दिया कि इस सुपर-रिच श्रेणी में सिर्फ पांच हजार लोग आते हैं। इस तरह कही यह बात मंत्रीजी ने जैसे उनको गर्व है कि हमारे इस 'समाजवादी' देश में अमीरों की तादाद इतनी थोड़ी है। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उनको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती है कि सवा सौ करोड़ आबादी वाले इस देश में इतने थोड़े लोग इस श्रेणी में आते हैं। सो, मौका मिलते ही मैंने यह सवाल मंत्रीजी से पूछा। पट जवाब आया- 'मुझे खुशी होगी जब इस श्रेणी में लाखों लोग शामिल होंगे।' एक्सप्रेस अड्डा में मंत्रीजी ने उस दिन स्पष्ट किया कि वे अपने आप को समाजवादी नहीं मानती हैं।

> गरीबी हटाने का एक दूसरा तरीका है, जिसे वे लोग अपनाते हैं जो अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। यह तरीका है ऐसा आर्थिक माहौल बनाना, जिसमें निवेशक दौड़े-दौड़े सामने आएं और निवेश इतने बड़े पैमाने पर करने लगें कि करोड़ों नई नौकरियां पैदा होने लग जाएं।

अच्छा लगा इस बात को सुन कर, क्योंकि मोदी के दौर में गलती यही हुई है कि जिन समाजवादी आर्थिक नीतियों ने देश को गरीब रखा है, उनको मोदी ने त्यागने के बदले अपनाया है। इन नीतियों की बुनियाद है गरीबों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं तैयार करना, जिनमें इतने सूराख होते हैं कि गरीबों तक पहुंचने से पहले आधा पैसा गायब हो जाता हैं। गरीबी हटाने का एक दूसरा तरीका है, जिसे वे लोग अपनाते हैं जो अपने आप को समाजवादी नहीं मानते हैं। यह तरीका है ऐसा आर्थिक माहौल बनाना, जिसमें निवेशक दौड़े-दौड़े सामने आएं और निवेश इतने बड़े पैमाने पर करने लगें कि करोड़ों नई नौकरियां पैदा होने लग जाएं। ऐसा दौर तब देखा हमने जब लाइसेंस राज हटा कर निजी निवेशकों को प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने आमंत्रित किया था, अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए।

देखते-देखते माहौल ऐसा बदला कि कम से कम तीस करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आकर माध्यवर्ग में शामिल हो गए थे। भारतीय निजी कंपनियां इतनी धनी हो गई थीं इस दौर में कि विकसित देशों में निवेश करने लायक हो गई थीं। भारत की छवि बनने लगी थी एक आर्थिक महाशक्ति की। फिर सोनिया गांधी जब आईं तो उन्होंने उन्हीं गरीबी हटाओ आर्थिक नीतियों को अपनाया, जो उनकी सास इंदिरा गांधी की पहचान हुआ करती थीं। सो, मनरेगा जैसी योजनाएं बनने लग गईं, जो रोजगार देने के बदले बेरोजगारी भत्ता देने का काम करने लगीं।

मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने खुल कर मनरेगा की आलोचना की थी लोकसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद इस योजना में निवेश कम करने के बदले उन्होंने दुगना कर दिया। वही समाजवादी आर्थिक माहौल बना रहा है। इसको बदलने के लिए वित्तमंत्री को साबित करना होगा अपनी नीतियों से कि उनकी सोच समाजवादी नहीं है।

तू डाल डाल मैं पात पात

जब समाज लंपटाय जाता है तो वही होता है, जो तीस हजारी में हुआ। चैनलों ने जो सीन लाइव दिखाए, वे साफ बताते थे कि जरा-सी बात पर वकीलों और पुलिस में मारा-मारी हो गई। वकील दौड़ा-दौड़ा कर पुलिस कर्मियों को मारते दिखते थे। एक व्यक्ति सीसीटीवी का तार खींचता दिखा। कुछ वकील एक पुलिस अफसर को मारते, धक्का देते दिखे। पुलिस भी 'एक्शन' में दिखी, लेकिन ज्यादातर चैनलों की प्रसारित कहानी में पुलिस पर वकील हावी नजर आए।

दिन भर सब कुछ लाइव आता रहा। सब खबर चैनलों पर एक से सीन रहे। पढ़े-लिखे सभ्रांत लोग आपस में गुंथे दिखते थे! ऐसी गुंडई को देख दर्शक अफसोस और डर महसूस करते थे कि यह क्या हो रहा है? जो हमारी रक्षा के लिए नियुक्त है, वही सरेआम पिट रही है। जब पुलिस असुरक्षित है, तो बाकी की क्या औकात? हम सोचते कि क्या वकील ऐसे ही होते हैं? क्या पुलिस इतनी दयनीय है? क्या आम आदमी का अदालत जाना सुरक्षित है?

चैनलों ने जम के इस तरह की गुंडई की निंदा की। चर्चाओं में रिटायर्ड पुलिस अफसर अफसोस जताते और कहते रहे कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। एक एंकर कहता रहा कि यह बहुत दिनों की दमित भावना है, जो अचानक बाहर आ गई है।

पुलिस की बेचारगी अगले दिन और साफ हुई, जब दिल्ली पुलिस के अधिकांश सिपाही ड्यूटी छोड़ पुलिस मुख्यालय के सामने बारह घंटे तक न्याय की गुहार लगाते रहे। ये दृश्य अभूतपूर्व किंतु भीषण थे। आइटीओ की सड़कें पुलिस वालों से भरी थीं उनके बीवी बच्चे तक न्याय की मांग की पट्टी लिए नारे लगाते थे। चैनलों में पूरे दिन बार-बार प्रसारित उनकी पिटाई ने उनको अपमानबोध और क्षोभ से भर दिया था। यह इतना अधिक था कि जब पुलिस आयुक्त उनको शांत करने आए। पुलिसवालों ने उन तक को 'हूट' किया। फिर एक के बाद एक कई जूनियर अफसरों ने पुलिसवालों को समझाना चाहा। वे तब भी न माने। उनका कहना था कि जो सबकी रक्षा के लिए हैं, अगर वही असुरक्षित हैं, तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? हमारे कई अफसरों को मारा गया, उनको चोटें आईं। पुलिस की गाड़ियां जलाई गईं। उनकी बंदूकें छीनने की कोशिश की गई। वे अपने दो अफसरों के सस्पेन्शन से नाराज थे। उनके बड़े अधिकारी उनको न्याय दिलाने के लिए बड़ी अदालत में अपील नहीं किए, इस पर वे बहुत नाराज थे।

शाम को सारे सीन इंडिया गेट से आए। देर तक वहां भी प्रदर्शन किया, उनकी नाराजी बनी रही। मुश्किल से वे वहां से टले।

इस बीच साकेत कोर्ट के वीडियो ने बहुत कुछ प्रमाणित कर दिया। सीन में आन ड्यूटी, अपनी मोटर साइकिल पर सवार एक पुलिस अफसर की पीठ पर सफेद कमीज पहने एक तगड़े से आदमी ने पहले दो बार कोहनी मारी, फिर गाल पर दो तमाचे मारे, फिर उसे हेलमेट मारा। जवाब में उसने मोटर सइकिल भगा कर अपनी जान बचाई!

> एक चैनल ने हवा में कुल आठ किस्म के जहरीले पदार्थ घुले होने का दावा कर हमारे जैसों को तो एकदम डरा दिया कि अब गए बेटा! मगर ज्यों ही हमने हवा विशेषज्ञों, एंकरों और रिपोर्टरों के स्वस्थ चेहरों को देखा, त्यों ही तसल्ली हुई कि यह सब एनजीओबाजी है।

तीस हजारी का एक और वीडियो फुटेज दिखा कर एक एंकर ने बताया कि किस तरह कुछ वकील एक महिला पुलिस अधिकारी का कालर खींचते हुए उसे धकियाते दिखे।

प्रतिक्रिया में अगला दिन वकीलों का रहा था। उन्होंने दिल्ली की सभी अदालतों के अंदर पुलिस की ज्यादती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। कैमरों में आकर वकील पुलिस की क्रूरता के बारे में बताते रहे और न्याय की मांग करते रहे।

उसके बाद यह कहानी जांच समिति के हवाले हो गई और खबर खामोश हो गई।

लेकिन तीस हजारी कांड ने एक उपकार किया। दिल्ली की हवा के जहरीलेपन के सूचकांक को व्यवसाय बना देने वाले एनजीओज और एंकरों-रिपोर्टरों की सारी हवा निकाल दी। ऐसा लगा कि उस दिन दिल्ली की हवा शुद्ध हो गई हो। तीस हजारी की कहानी ने हवा की कहानी बजाने ही नहीं दी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरा दिल्ली की हवा को अति जहरीला सिद्ध करने वाले आ बैठे। एक चैनल ने हवा में कुल आठ किस्म के जहरीले पदार्थ घुले होने का दावा कर हमारे जैसों को तो एकदम डरा दिया कि अब गए बेटा! मगर ज्यों ही हमने हवा विशेषज्ञों, एंकरों और रिपोर्टरों के स्वस्थ चेहरों को देखा, त्यों ही तसल्ली हुई कि यह सब एनजीओबाजी है। अगर हवा इतनी ही जहरीली होती तो उसे रिपोर्ट करने वाले क्या अब तक रिपोर्ट करने लायक होते?

यारो! प्रदूषण को राक्षस बना कर 'मास्क' और 'एअर प्यूरीफायर' न बेचो। जो क्रिकेटर कल तक धुंए के खतरे बेचता था, आजकल एअरप्यूरीफायर बेचता नजर आता है। आदरणीय मुफ्त में तो कृपा न कर रहे होंगे!

यह सब कुछ नखरे वाली नाजुक मिजाज मध्यवर्ग की खातिर और उसी के नजरिए से किया जा रहा है। दिल्ली में जो लाखों मजदूर किसान रिक्शेवाले, आटोवाले, झल्लीवाले खोंमचेवाले आदि को रोज कमाना-खाना है, तुम्हारी खतरनाक कहानी में वह कैसे जिंदा है इसकी तो बात करो!

लेकिन इस बार के अभियान ने भक्त और भगवान तक को डरा दिया और वाराणसी के शिवभक्तों ने जहरीली हवा से बचाने के लिए शिवलिंग को भी मास्क पहना दिया! क्यों न पहनाएं! जब नंदी दूध पी सकते हैं, तो भगवान भी जहरीली हवा की चपेट में आ सकते हैं! इसे कहते हैं भक्ति की भक्ति और मजाक का मजाक!

यह सप्ताह महाबली भाजपा की रोज की महाफजीहत देखने में गुजरा। धन्य है शिवसेना कि उसने बिग ब्रदर की सारी अकड़ निकाल दी। संजय राउत रोज सीएम के लिए 'पूर्व निश्चित' फिफ्टी-फिफ्टी की शर्त रखते रहे और रोज भाजपा प्रवक्ता चैनलों के जरिए अपनों को तसल्ली देते रहे कि जल्दी ही फडणवीस की सरकार बन जाएगी!

मगर अभी तक सब कुछ अधर में है! एबीपी ने बताया कि शनिवार तक सरकार बन जानी जरूरी है, वरना राष्ट्रपति शासन लग जाना है!

इस बीच शिवसेना ने अपने विधायकों को पांच सितारा होटल में टिका कर पोचिंग के रास्ते भी बंद कर दिए। तू डाल डाल मैं पात पात इसी को कहते हैं।

किताबें मिलीं

ज्ञान का ज्ञान

बकौल लेखक 'ज्ञान का ज्ञान शब्दों से नहीं मिला, लेकिन शब्द ही सहारा है। शब्द मार्ग संकेत है। उपनिषदों के शब्द संकेत जिज्ञासा को तीव्र करते हैं– छुरे की धार की तरह। सो मैंने, अपनी समझ बढ़ाने के लिए ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद व माण्यूक्योपनिषद के प्रत्येक मंत्र का अपना भाष्य लिखा है। उपनिषद ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। विश्व दर्शन पर उनका प्रभाव पड़ा है। भारत को समझने का लक्ष्य लेकर यहां आए विदेशी विद्वानों को भी उपनिषदों से प्यार हुआ है। मूलभूत प्रश्न है कि क्या तेज रफ्तार जीवन में सैकड़ों वर्ष प्राचीन ज्ञान अनुभूति की कोई उपयोगिता है?'

इस पुस्तक में किसी ज्ञान का दावा नहीं किया गया है। पहला अध्याय 'ज्ञान का ज्ञान' है। यहां ज्ञान के अंतस में प्रवेश की अनुमति चाही गई है। दूसरा अध्याय ब्राह्मण, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र है। यह तीनों का परिचयात्मक है। ईशावास्योपनिषद के विवेचन वाले अध्याय के एक अंश में ईश्वर को भी विवेचन का विषय बनाया गया है। यह भाग लेखक ने अपनी ही लिखी पुस्तक 'सोचने की भारतीय दृष्टि' से लिया है। प्राक्विवरण के लिए इतना काफी है। इसके बाद चार उपनिषदों को रखा गया है। उपनिषद अध्ययन का अपना रस है। यही रस आनंद बांटने, मित्रों को इस ओर प्रेरित करने के प्रयोजन से इस पुस्तिका की आधारशिला रखी गई है।

ज्ञान का ज्ञान : हृदयनारायण दीक्षित; वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नई दिल्ली; 499 रुपए।

झील में चांद

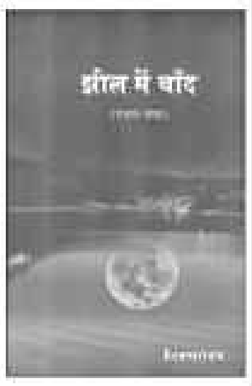

झील में चांद' हिंदी के विशिष्ट कवि और आलोचक शिवनारायण का गजल-संग्रह है। गजल के लहजे में बात करना एक आंतरिक साधना है। शिवनारायण की शायरी में भाषा की साधना और वैचारिक अभिव्यक्ति की कुशलता दिखती है। गजल के छंदशास्त्र को साध पाना दुष्कर माना जाता है, लेकिन इस चुनौती को भी सहजता से साधते हुए वे अपने इस प्रथम गजल-संग्रह के साथ हाजिर हैं। उनकी गजलों से गुजरकर जो बात तत्क्षण जेहन में आती है, वह यह कि उन्होंने हिंदी गजल की परंपरा, समझ और अपने समय की वैचारिकी की मुख्यधारा को समझा ही नहीं, उसे आत्मसात भी किया है। उनकी गजलें क्रांतिधर्मा ही नहीं, रिश्तों की कांति से भी ओतप्रोत हैं। उनकी गजलों में जगह-जगह जो चमक और रूहानी तड़प मौजूद है, उसका रसास्वादन प्राप्त कर पाठक निश्चय ही इस गजल-संग्रह को सिर-आंखों पर रखेंगे–

खेत में बारूद की फसलें उगाई जा रहीं
आंखों में खौफ का दरिया बहाया जा रहा

000

इतनी जल्दी क्या है साहिब ठहरो भी कुछ बात करो
तुमको भी घर जाना है तो हमको भी घर जाना है

शिवनारायण का यह गजल-संग्रह भाव-पक्ष के साथ-साथ उनके विचार-पक्ष का भी साक्षी बनेगा। उनके इस संग्रह के माध्यम से ही गजल की दुनिया में उनके द्वारा नायाब और विशिष्ट शायरी करने के दरवाजे खुलते हैं और इसीलिए पाठक इंतजार करेंगे कि उनकी रचनाओं में शायरी का उत्तरोत्तर गहरा और अधिक आकर्षक रंग चढ़ता जाए, जो इस दुनिया को गुलजार और मालामाल कर दे।

झील में चांद : शिवनारायण; संजना प्रकाशन, डी-70/4, अंकुर इंक्लेव, करावल नगर, दिल्ली; 150 रुपए।

नमकसार

आज हिंदी साहित्य में चार पीढ़ियां एक साथ सृजनरत हैं। इनमें जिन नए कथाकारों ने तेजी से अपनी जगह बनाई है, उनमें रजनी मोरवाल एक प्रमुख कथाकार हैं। पिता से विरासत में मिले लेखन के संस्कार को आगे बढ़ाते हुए रजनी मोरवाल कहानी लेखन में लगातार सक्रिय हैं। उनमें प्रयोग करने का भरपूर उत्साह है और साहस भी। उनकी नजर समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंचती है और उनके भीतर झांक कर वह नए-नए कथानकों की रचना करती हैं।

जीवन को समग्रता से देखने के प्रयास में रजनी मोरवाल अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, सवर्ण-दलित, हिंदू-मुसलमान, शिक्षित-अशिक्षित सबकी बारीकी से पड़ताल करती हैं और अपने चरित्र और उनके परिवेश को कहानियों में पूरी प्रामाणिकता और सजीवता के साथ पिरोती हैं। यहां रजनी मोरवाल लेखक से चित्रकार बन जाती हैं। वह जो बात शब्दों में लिखती हैं उसे कहानी पढ़ते हुए हम आंखों से देखते हैं।

इनकी कहानियों में भरपूर धैर्य है। रजनी मोरवाल अपनी कहानी को मंजिल तक पहुंचाने की जल्दबाजी या हड़बड़ी कभी नहीं करतीं। अच्छी बात यह है कि उनकी कहानियों के अधिकतर पात्र अपने आपमें बेहद मजबूत और संवेदनशील हैं। ये कहानियां हमारे भीतर उतरकर हमारी संवेदना को झकझोर देती हैं। इनकी कहानियों में संवेदना और मानवीय चिंताएं सर्वोपरि हैं। रजनी मोरवाल को कथा के परिवेश की बखूबी समझ है। यही कारण है कि आज का हर उम्र का पाठक इन कहानियों में अपने आसपास की दुनिया पाएगा।

नमकसार : रजनी मोरवाल; सामयिक प्रकाशन, 3320-21, जटवाड़ा, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली; 395 रुपए।

मेरी प्यारी मोंटो

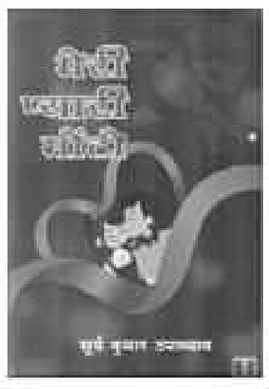

मेरी प्यारी मोंटो' उस दौर की कहानी है, जब मोबाइल का युग नहीं था। विचारों के आदान-प्रदान के लिए फेसबुक और वाट्सएप जैसे प्लेटफार्म भी नहीं थे। उन दिनों प्यार के इजहार करने का सबसे लोकप्रिय जरिया लव लेटर हुआ करता था। लेकिन इस कहानी के नायक-नायिका ने कभी अपने प्यार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेमपत्र का सहारा नहीं लिया। अपने जज्बाती स्वभाव के लिए मोंटो ने न केवल सूर्या के दिल में अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी मोहब्बत को आखिरी पड़ाव तक भी ले गई।

कहानी की नायिका मोंटो अपने पहले प्यार के साथ बिताए एक-एक पल को बिंदास अंदाज में जीना चाहती है। वह अपने अल्हड़पन और नटखट स्वभाव को बैसाखी बना कर कहानी के नायक सूर्या का दिल जीतने की कोशिश करती है। जिंदगी में एक मुकाम हासिल करने के बाद भी मोंटो को अपने प्यार को हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मोंटो अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद सूर्या का हर कदम पर साथ देती है ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

यह कहानी न केवल पाठकों को रोमांचित करती है, बल्कि उनकी आंखें भी भिगो देती है। रोमांस और रोमांच के दीवानों के लिए 'मेरी प्यारी मोंटो' एक भावनात्मक कहानी साबित हो सकती है।

मेरी प्यारी मोंटो : सूर्य कुमार उपाध्याय; टिंगल बुक्स, बी-37, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड़; 200 रुपए।

अनुवाद और बाजार

अनुवाद की परंपरा तभी से शुरू मानी जाती है, जब मनुष्य की एक भाषाभाषी क्षेत्र से दूसरे भाषाभाषी क्षेत्रों में आवाजाही शुरू हुई होगी। फिर कारोबारी, कार्यालयी और राजनयिक जरूरतों के चलते अनुवाद की आवश्यकता बढ़ी, जिससे अनुवाद कर्म ने एक पेशे का रूप ले लिया। अब यह केवल व्यक्तिगत रुचि का क्षेत्र न रह कर पेशागत कौशल बन चुका है। जिस गति से व्यावसायिक-वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, मनोरंजन और सूचना के साधन बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से अनुवाद का बाजार भी बढ़ रहा है। इस बार की चर्चा बाजार में अनुवाद और अनुवाद के बाजार पर। – संपादक

विश्व बाजार में अनुवाद

देवशंकर नवीन

अनुवाद की उपादेयता जन-संवाद के आरंभिक काल में ही सिद्ध हो गई थी। जनजीवन में भाषिक-प्रतीक के आगमन काल से ही। पर उस दौर में इसका उपयोग जनजीवन की समझ बनाने तथा ज्ञान-फलक का विस्तार करने में होता था। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों की मुखर शृंखला चली; तो यह राजनीतिक-संवाद के लिए महत्त्वपूर्ण हो गया। भारत की बहुभाषिकता, अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों की अनिवार्यता, सीमावर्ती स्वायत्तता के मद्देनजर इसकी पहले से ही व्यवस्थित उपादेयता सुनिश्चित हो गई। आगे के दिनों में भारतीय उपमहाद्वीप में संचालित ब्रिटिश शासन की कुटिलता ने इसे दूषित कर दिया। भारतीय ग्रंथों के अंग्रेज संपोषित अनुवाद के कारण दुनिया भर के बौद्धिकों का सामना पहली बार दूषित अनुवाद से हुआ। यहां से अग्रसर अनुवाद-कर्म की परख राजनीतिक उद्यम/ तिकड़म के हिस्से के रूप में होने लगी। अब अनुवाद ज्ञान-विस्तार का साधन भर नहीं रह गया। साम्राज्य-विस्तार के आखेटकों ने मूल-पाठ के भाव को जुगाड़ तकनीक से लक्ष्य-भाषा के पाठ में तोड़ना-मरोड़ना शुरू किया। अब वाक्यों, पदों, शब्दों, वर्णों, विराम चिह्नों के बीच छिपी हुई अर्थ-ध्वनियों की तलाश और व्याख्या होने लगी।

अनुवाद-कर्म और अनुवादकों को इस व्याख्या की चतुराई का घातक परिणाम भोगना पड़ा। पर भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण के अग्रदूतों ने पाठ चयन के अपने कौशल से प्रदूषित अनुवाद से प्रसारित इन 'विचित्र धारणाओं' को ध्वस्त कर दिया। राजा राममोहन राय से शुरू हुई भारतीय ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद की परंपरा आरसी दत्त, दीनबंधु मित्र, श्रीअरविंद, रवींद्रनाथ ठाकुर और आगे के अनुवादकों तक आई। इसी तरह राष्ट्रीय भावना, देशदशा, आधुनिक चिंतन और ज्ञान-विज्ञान से भारतीय समाज को परिचित कराने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल से शुरू हुई अंग्रेजी ग्रंथों के हिंदी अनुवाद की परंपरा आगे बढ़ी। मर्चेंट ऑफ वेनिस (शेक्सपियर), एजुकेशन (हर्बर्ट स्पेंसर), ऑन लिबर्टी (जान स्टुअर्ट मिल), रिडिल ऑफ यूनीवर्स (जर्मन वैज्ञानिक अर्न्स्ट हैकल), स्वदेशी भावना और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाली पुस्तक 'देशेर कथा' के हिंदी अनुवाद ने भारत के स्वाधीनता सेनानियों को आत्मगौरव से पुष्ट किया। फिर तो यूरोपीय और भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद की लहर-सी चल पड़ी। भारतीय भाषाओं में अनेक पारस्परिक अनुवाद भी शुरू हुए।

राजनीतिक हित-साधन में अनुवाद की उक्त कुटिल प्रयुक्ति का दुष्परिणाम हुआ कि स्वातंत्र्योत्तरकालीन भारत में अनुवाद-कर्म एक जोखिम भरा काम हो गया। इस वृत्ति पर अनाहूत आशंकाओं का इतना बोझ लाद दिया गया कि सुदक्ष अनुवादकों के लिए भी यह काम संवेदनशील हो गया। इसके साथ-साथ एक अच्छी बात यह भी हुई कि शासनाध्यक्षों और व्यवसायियों की नजर में अनुवादकों का महत्त्व बहुत बढ़ गया। स्वाधीनता-पूर्व के दिनों में भारतीय बौद्धिक समुदाय जो अनुवाद स्वांतःसुखाय और राष्ट्रहित में अनासक्त रूप से कर रहे थे, स्वातंत्र्योत्तरकाल में वह सत्ता-संचालन का आनुषंगिक कार्य हो गया। शासन-व्यवस्था में संलिप्त लोगों को अनुवाद-कर्म की जरूरत समझ में आने लगी।

राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति और त्रिभाषा-सूत्र लागू होने से अनुवाद की महत्ता और ऊंची हुई। आगे चल कर सरकारी/ गैरसरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ भी बने। इन शासकीय प्रयासों से अनुवाद-कर्म से रोजगार और उपार्जन के अवसर सामने आए। जन-संचार और प्रकाशन व्यवसाय के विकास के कारण भी अनुवाद के अवसर बढ़े। पर्यटन के विकास से अनुवादकों/ दुभाषियों की मांग बढ़ी। सरकारी कामकाज में हिंदी की अनिवार्यता के कारण अनुवाद-कार्य लाभदायी दिखने लगा। व्यवस्था संचालन और सभ्यता संचरण के लिए अनुवाद अनिवार्य साधन बन गया। आधुनिक समय के सूचना-संपन्न नागरिक होने के लिए इसकी महत्ता तो पहले ही प्रमाणित हो चुकी थी।

उल्लेखनीय है कि बाजार के विस्तार में इस बौद्धिक पहल की बड़ी भूमिका सिद्ध हुई। स्वयं में तो इसका बाजार मूल्य ऊर्जस्वित था ही; जीवन-व्यवस्था के सारे क्षेत्रों में इसकी उपादेयता स्वतः प्रमाणित थी;

चर्चा

चित्र : राजेश खान

वैश्विक व्यवसाय के क्षेत्र-विस्तार में अनुवाद की अनिवार्य भूमिका है। अनुवाद का सहारा लिए बगैर आज के व्यवसायी आम जनता तक पहुंच ही नहीं सकता। अनुवाद के बिना इस समय उत्पादक-उपभोक्ता के बीच संवाद-संबंध स्थापित होना असंभव है।

अनुवाद कौशल हासिल कर आज बहुत सारे लोग रोजगार पा रहे हैं। स्वच्छंद काम करते हुए भरण-पोषण के संसाधन आराम से जुटा रहे हैं। अनुवाद-एजेंसियों की बेशुमार निर्मितियां देख कर यकीन करना सहज है कि इस समय भारत और दुनिया के अन्य देशों में भी अनुवाद एक उपयोगी कौशल है। इस कौशल को हासिल कर लेने वाला व्यक्ति अपने समय का आत्मनिर्भर नागरिक होगा, और भव्य कुलीन सफल जीवन बिताने वालों के बीच गर्व से गरदन ताने जीवन बसर करता रहेगा।

यह सुखद है कि विगत पांच-छह दशकों में निजी उपादेयता के तौर पर अनुवाद की पहचान शासन-व्यवस्था, राष्ट्रनिर्माण के संदेश, मानवीय सौहार्द के संवर्द्धन, वाणिज्य, औद्योगिक विकास, प्रबंधन पद्धति, विचार विनिमय, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, कला-साहित्य-संस्कृति के विकास के अनिवार्य घटक के रूप में बनी है। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में बेहतर उच्च शिक्षा और पेशेगत ज्ञान में दक्षता हासिल करने में अनुवाद के सूक्ष्मतर उपयोग हो रहे हैं। शुद्ध अनुवाद के अलावा अध्यापन, प्रशिक्षण, प्रशासन, राजनीति, अंतरराज्यीय संस्कृतिक जनसंपर्क, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध, संचार माध्यम, व्यापार, पारंपरिक व्यवसायों के प्रोन्नयन, कृषि, स्थापत्य, साहित्यिक-सांस्कृतिक-राजनीतिक आदान-प्रदान, प्रकाशन, सिनेमा सब टाइटलिंग, रूपांतरण, दूरदर्शन, विज्ञापन, पर्यटन, खेल-कूद सभी क्षेत्रों में इस कौशल की उपादेयता प्रमुख हो गई है। यकीनन इस कारण सुदक्ष अनुवादकों के लिए रोजगार के मार्ग प्रशस्त हुए हैं।

इसके साथ-साथ यह बड़ा सच है कि कोई मनुष्य अपने समय के वैश्विक परिदृश्य का सूचना संपन्न जागृत नागरिक अनुवाद के सहयोग के बिना हो ही नहीं सकता। लिहाजा, अनुवाद का अपना बाजार-मूल्य तो वर्चस्व में है ही, बाजार की परिपुष्टि में भी यह जबर्दस्त योगदान दे रहा है।

वैश्विक व्यवसाय के क्षेत्र-विस्तार में अनुवाद की अनिवार्य भूमिका है। अनुवाद का सहारा लिए बगैर आज के व्यवसायी आम जनता तक पहुंच ही नहीं सकता। अनुवाद के बिना इस समय उत्पादक-उपभोक्ता के बीच संवाद-संबंध स्थापित होना असंभव है। बाजार और सियासत की इस विचित्र गांजामिलानी से कम लोग परिचित होंगे कि भाषाई फूट से एक पक्ष जन-जन में द्रोह फैलाता है, तो दूसरा अपने उत्पाद के विज्ञापनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर उनके कानों में सम्मोहन का जादू भरता है। जन-जन तक अपने उत्पाद की सूचना पहुंचाने का हर संभव प्रयास आज के व्यवसायी कर रहे हैं। विज्ञापन के पाठ की वस्तुनिष्ठता को भली-भांति समझ कर उसके अनुवाद की चेष्टा करने, लक्षित उपभोक्ता समूह को सम्मोहित करने की तरकीब रचने में आज के अनुवादक कुशल हो रहे हैं। विज्ञापनों के अनुवाद का भरा-पूरा बाजार व्यवस्थित हो रहा है। व्यवसाय की संपुष्टि एवं संवर्द्धन में अनुवाद का चमत्कार व्यावहारिक तौर पर स्पष्ट दिख रहा है, बाजार और सियासत की जुगलबंदी का प्रभाव आज के समाज में साफ दिख रहा है।

दुनिया भर के बड़े-बड़े व्यवसायी अनुवाद की इस उपादेयता से सम्मोहित होकर इस ओर आकर्षित हुए हैं। उपभोक्ता समूह तक उत्पाद की पहुंच और गुणगान उसके विक्रय का मूल आधार है। इन दोनों कामों के लिए उपभोक्ता समूह की भाषा में लुभावने पदों के साथ उत्पाद का विवरण अनिवार्य है। लुभावने नारों से लक्षित क्रेता-समाज में उत्पाद के लिए सम्मोहन पैदा करने को ही विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन जितना लुभावना होगा, जन-मन पर उसका असर जितना सम्मोहक होगा, उत्पादन की बिक्री उतनी ही अधिक होगी। बाजार की इस लोलुप वृत्ति के कारण सम्भवतः पहली बार पूंजीपतियों को जनभाषा का महत्त्व समझ में आया। उन्हें लगा कि खरीदार की भाषा में उत्पाद का विज्ञापन सर्वाधिक लाभप्रद है।

अंतर्भाषिक क्षेत्रों के व्यवसायियों के बीच पारस्परिक संबंधों की निरंतरता के लिए अनुवाद की यह महत्ता तो पहले से थी; किंतु बाजार के भौतिक क्षेत्र में भी अनुवाद का महत्त्व वैश्विक व्यवसाय पद्धति से जगजाहिर हुआ। लुभावने विज्ञापन के सहारे दुनिया के कोने-कोने के उपभोक्ताओं तक उत्पाद का सम्मोहन पहुंचाने के लिए हर व्यवसाय में अनुवाद की महत्ता इसी तरह काबिज हुई।

अनुवाद का बढ़ता बाजार

हरीश कुमार सेठी

आज के दौर में बाजारवादी व्यवस्था ने विभिन्न देशों के बीच उत्पादों को खरीदने-बेचने या फिर सेवाएं देने-लेने की सुविधा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा और सरल भी कर दी है। इस व्यवस्था को विस्तार देने में कंप्यूटर-इंटरनेट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी अपनी केंद्रीय भूमिका निभा रही है। पर यह तब तक संभव नहीं, जब तक कि वह भाषा के साथ सार्थक रूप से न जुड़े।

भाषा और बाजार एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। भाषा का बाजार के साथ नया और अनिवार्य संबंध अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पा रहा है। उत्पाद की जानकारी देनी हो, उसका प्रचार-प्रसार करना या फिर किसी भी प्रकार की आउटसोर्स सहायता-सेवाओं का लेन-देन ही क्यों न हो, यह सब भाषा के बिना संभव नहीं। यह स्थानीयता की सीमाएं लांघ कर प्रदेश ही नहीं, विदेशों तक भी चला जाता है। बाजार को सही दिशा में विस्तार तब मिल पाता है जब वह भाषा की बाधा को पार पाने के लिए अनुवाद को माध्यम बनाता है। एक से अधिक भाषा-क्षेत्रों में कारोबार के सार्थक तरीके से फैलाव में अनुवाद की अनिवार्य रूप से जरूरत होती है। इसके लिए, उत्पादक सबसे ज्यादा विज्ञापनों और अन्य प्रचार सामग्री का सहारा लेकर उपभोक्ता तक पहुंचता है, जिसमें वह अनुवाद को शस्त्र बनाता है।

एक से अधिक भाषाभाषी क्षेत्रों के बाजार तक पहुंच बनाने के कारण अनुवाद सिर्फ आधुनिक समय की जरूरत नहीं है। अनुवाद का आरंभ तभी हो गया होगा जब दो अलग-अलग भाषा-भाषियों में किसी प्रकार का संपर्क और संवाद स्थापित हुआ होगा। यह संवाद मौखिक या लिखित, किसी भी स्तर पर संभव है। इसीलिए अनुवाद का मौखिक और लिखित रूपों में अस्तित्व प्राचीनकाल से ही माना जा सकता है। आधुनिक समय में इसका विस्तार बहुत मुखर रूप में सामने आ रहा है।

वैश्विक बाजारवादी व्यवस्था ने इंटरप्रेटरों की सेवाओं में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपसी संबंधों को बनाने-मजबूत करने में अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसके अलावा, इंटरप्रिटेशन के रूप में मौखिक अनुवाद संबंधी यह कार्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, संयुक्त राष्ट्र की सभाओं, भारतीय संसद आदि में भी किया जाता है। आधुनिक विकास के चलते कॉल सेंटरों जैसी अवधारणाओं का मूर्त हो पाना और कारगर तरीके से काम कर पाना मौखिक अनुवाद पर भी निर्भर करता है।

भारत जैसे बहुभाषिक समाज में तो यह अनिवार्य आवश्यकता है। हमारे जीवन-व्यवहार के प्रत्येक नए-पुराने क्षेत्र में अनुवाद का महत्त्व है। यही महत्त्व इसे विभिन्न क्षेत्रों तक व्यापक विस्तार देता है। आज वाणिज्य-व्यापार, शासन-प्रशासन, न्यायपालिका, ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन, जनसंचार माध्यम, विज्ञापन, बैंक, बीमा आदि मानव जीवन के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में इसकी पैठ बढ़ती जा रही है। भारत में राजभाषा संबंधी द्विभाषिक व्यवस्था के कारण प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों और उसकी कार्य-प्रणाली में अनुवाद की अनिवार्य उपस्थिति बनी हुई है।

अनुवाद के कारण विभिन्न भाषाएं एक-दूसरे के निकट आती हैं। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद, स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इससे राष्ट्रीय साहित्य की अवधारणा मूर्त हो पाती है। अनुवाद द्वारा तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में भी बड़ी मदद मिलती है। धर्म के प्रचार-प्रसार में तो अनुवाद का महत्त्व निर्विवाद है, जो धार्मिक साहित्य के अनुवाद से संभव हो पाता है। वस्तुस्थिति यह है कि आज अनुवाद भी बाजारोन्मुखी होता जा रहा है। बाजार को ध्यान में रखते हुए अनुवाद कार्य एक राजनीति के तहत भी हो रहे हैं ताकि उपयोग के साथ-साथ चिंतन जगत में भी अपने यहां के विमर्शों का विस्तार हो। इतिहास साक्षी है कि साम्यवाद-मार्क्सवाद के विस्तार में अनुवाद की अपनी भूमिका रही है।

अनुवाद की दृष्टि से जनसंचार माध्यम एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। नव-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने कंप्यूटर अनुवाद जैसे 'अनुवाद के नवीनतम क्षेत्र' को हमारे सामने उभारा है। जन-सामान्य तक गूगल आदि द्वारा इसे व्यवहार में ला रहा है। इसके अलावा, जनसंचार माध्यमों में उल्लेखनीय स्थान रखने वाला 'विज्ञापन' का क्षेत्र तो अनुवाद से ही ऑक्सीजन लेता है। एक से अधिक भाषाओं में विज्ञापन तैयार करते समय अक्सर अनुवाद का ही सहारा लिया जाता है।

चित्र : राजेश खान

अनुवाद की व्यापकता बताती है कि अनुवाद कर्म अब सिर्फ व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं रह गया है, सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित अनिवार्य गतिविधि हो गई है। इस स्थिति में अनुवाद, व्यक्ति परिधि से निकलकर सामाजिक आवश्यकता की जरूरत बन गई है।

मीडिया और खासकर फिल्म जगत और टेलीविजन धारावाहिकों आदि में अनुवाद एक नए कलेवर के साथ विकसित हो रहा है। यह कलेवर डबिंग, सबटाइटलिंग, वॉयस ओवर आदि के रूप में नजर आता है। इन्हें व्यवहार में लाकर किसी की भी अपनी भाषा में जो कुछ परोसा जा रहा है, उसके मूल में भाषा की सीमा तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश काम करती है। इन आयामों ने अनुवाद को एक नई दिशा दी है। इसकी महत्ता का अंदाजा लगाते हुए पाश्चात्य चिंतक निकोलस बूरियो ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि आने वाला युग डबिंग-सबटाइटलिंग का है, अनुवाद के इस प्रकार के अन्य रूपों को विशेष महत्त्व प्राप्त होगा।

अनुवाद के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने 'भाषा प्रौद्योगिकी' जैसी अवधारणा को भी विकसित किया है। इसने विश्व पटल पर अंग्रेजी रूपी भाषायी साम्राज्यवाद के फैलाव को सार्थक चुनौती दी है। भाषा प्रौद्योगिकी, आज की भाषा और तकनीकी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करने वाला महत्त्वपूर्ण विषय क्षेत्र बन रहा है, जो मूलतः प्रौद्योगिकी में भाषिक नियम-व्यवस्था के प्रयोग से संबंधित है। यह 'प्रौद्योगिकी को माध्यम भाषा के रूप में अपनी भाषा से जोड़ने' और 'प्रौद्योगिकी का अपनी भाषा के संदर्भ में उपयोग करने' जैसे दो आयामों को व्यक्त करता है।

अनुवाद का बढ़ता व्यवहार-क्षेत्र और नए-नए आयाम, भाषा के विकास में भी सहायक हो रहे हैं। यह विकास नए शब्दों-अभिव्यक्तियों का लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार होने, उनके माध्यम से भाषा की अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ने पर आधारित होना चाहिए। अगर नए शब्द या अभिव्यक्तियां लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप नहीं हैं और वे उसके सहज विकास में बाधक हैं, तो ऐसे में भाषा का विकृत विकास होगा। अगर अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा कृत्रिम भाषा का रूप ले लेती है, तो वह भाषिक विकास का नकारात्मक पक्ष माना जाता है। इसलिए गुणवत्ता के स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए।

वास्तव में आज की बाजारवादी व्यवस्था में अनुवाद की अनिवार्य स्थिति बन गई है और व्यवसाय की 'रीढ़' बनते जा रहे अनुवाद का महत्त्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। पर, हमें इतने से संतोष करके नहीं बैठ जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि आज के बाजारवादी दौर में अनुवाद को अभी और अधिक विस्तार देने की जरूरत है। भारत के संदर्भ में इसे हिंदी भाषा तक सीमित रखना ही काफी नहीं है। भारत की विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं तक इसकी पहुंच को बढ़ाने से बाजार के आकार और आयाम में वृद्धि होगी। जैसे, उत्पादों के विज्ञापन, उसकी पैकिंग सामग्री आदि तक में दिए गए निर्देशों में भाषायी परिवर्तन नजर आए। हालांकि इस दिशा में कुछ कोशिशें भी हुई हैं। जैसे, पैंफलेट और पोस्टर आदि बाजार की प्रचार सामग्री को प्रादेशिक भाषा के साथ-साथ द्विभाषिक बना कर तैयार किया जाता है।

भाषायी परिवर्तन लाने के लिए बेहतर प्रयास तो यह कहा जा सकता है कि देश-भर के लिए हिंदी में तथा जिस राज्य में उत्पाद भेजा जा रहा हो, उसकी प्रादेशिक भाषा को माध्यम बनाया जाए ताकि उपभोक्ताओं से सार्थक संवाद स्थापित किया जा सके। इससे उपभोक्तावादी बाजार का विस्तार होगा और उसे मजबूती प्राप्त होगी। ई-मार्केटिंग के क्षेत्र में भी अब भाषा के प्रति और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है, ताकि अनुवाद के माध्यम से गतिशील संवाद स्थापित करने की स्थिति बन सके।

अनुवाद की व्यापकता बताती है कि अनुवाद कर्म अब सिर्फ व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं रह गया है, सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं पर आधारित अनिवार्य गतिविधि हो गई है। इस स्थिति में अनुवाद, व्यक्ति परिधि से निकलकर सामाजिक आवश्यकता की जरूरत बन गई है। इस पर अपरिहार्य निर्भरता के कारण समाज में अनुवाद कर्म को अब संगठित रूप में किया जाने लगा है, उसका स्वरूप संगठित व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। यही कारण है कि आज अनुवाद एक व्यवसाय बन गया है। अनुवाद एजेंसियों की स्थापना या फिर आउटसोर्सिंग इसके उदाहरण हैं। लेकिन, इसकी यही व्यावसायिकता चुनौती भी खड़ी कर रही है। जरूरत अनूदित पाठों की गुणवत्ता की ओर ध्यान देने की भी है। बाजारवाद के इस दौर में अनुवाद को सशक्त बनाना, आज के समय की जरूरत है। वैसे, सभ्यता के विकास के साथ-साथ लगातार व्यापक और विस्तृत होते जा रहे अनुवाद के क्षेत्र, वास्तव में हमें यह संकेत दे रहे हैं कि अनुवाद आज की जरूरत है और कल का स्वाभाविक विकास-उपकरण। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद का ही वर्चस्व होगा।

पुनर्विचार याचिका के पक्ष में मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

ऑल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के संकेत दिए हैं। लेकिन कई दूसरे प्रमुख मुसलिम नेताओं एवं संगठनों का कहना है कि इस विषय पर आगे अपील की जरूरत नहीं है। मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव एवं वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि फैसला संतोषजनक नहीं है और आगे वकीलों के साथ एवं संगठन की कार्य समिति की बैठक में विचार-विमर्श करके पुनर्विचार याचिका पर फैसला होगा। मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कि वह विवादित जमीन को मंदिर के लिए देने से जुड़े फैसले से असंतुष्ट है और पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार किया जाएगा।

फैसले को चुनौती नहीं देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देगा। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं और बोर्ड का इस फैसले को चुनौती देने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा- अगर कोई वकील या अन्य व्यक्ति बोर्ड की तरफ से न्यायालय के फैसले को चुनौती देने की बात कह रहा है तो उसे सही न माना जाए। दरअसल, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जीलानी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर संवाददाताओं कहा था कि अयोध्या मामले में न्यायालय के फैसले को चुनौती दी जाएगी।

हालांकि, जीलानी ने बाद में साफ किया कि वह आल इंडिया मुसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड का संवाददाता सम्मेलन था और उन्होंने वह बात इसी बोर्ड के सचिव की हैसियत से कही थी, न कि वक्फ बोर्ड के वकील की हैसियत से।

पांच एकड़ जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड ने दावा जताया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए निर्णय के आधार पर मुसलमानों को मस्जिद निर्माण के लिए मिलने वाली पांच एकड़ जमीन पर बोर्ड का दावा जताया।

बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने अपने बयान में कहा कि अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि विवादित स्थल पर बनाई गई मस्जिद शिया मुसलमान मीर बाकी ने बनाई थी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो पांच एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए देने की बात कही है उस पर शिया वक्फ बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बोर्ड को राम मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई इमारत के बदले कोई नाजायज जमीन मस्जिद बनाने के लिए नहीं चाहिए।

हो गया हिंदू-मुसलिम विवाद का अंत : इकबाल अंसारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

इस मामले के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए ऐलान किया कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे। विवाद के मुदई इकबाल अंसारी ने फैसले पर खुशी जताई। इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से हिंदू-मुस्लिम विवाद का अंत हो जाएगा। इकबाल अंसारी ने कहा कि फैसला जो भी आया है, हम उसका सम्मान करेंगे।

फैसला ऐतिहासिक : राजनाथ

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 9 नवंबर।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। वे देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए थे। सिंह ने कहा कि राम जन्मभूमि के बारे में देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला दिया है, उसका सुप्रीम सम्मान होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सर्वधर्म समभाव को और अधिक मजबूती मिलेगी,।

स्वागत योग्य फैसला : हसन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

सामाजिक कार्यकर्ता नाइश हसन ने कहा कि फैसला संवैधानिक होते हुए भी स्वागत योग्य है। मस्जिद में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन यह कोई आम मंदिर नहीं। उनके भगवान का घर है। लंबे विवाद का यह शांतिपूर्ण हल है। अब मुसलमानों को पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। अपने वादे के मुताबिक, फैसले का स्वागत करना चाहिए। आगे बढ़ने में ही बेहतरी है।

मेरे रुख की पुष्टि हुई, धन्य महसूस कर रहा हूं : आडवाणी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि आंदोलन के शिल्पकार व भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने शनिवार को कहा कि वे पूरे दिल से अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके रुख की पुष्टि हुई है और वह खुद को धन्य मानते हैं।

आडवाणी ने बयान जारी कर कहा कि अयोध्या के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की ओर से दिए गए ऐतिहासिक फैसले का खुले दिल से स्वागत करने के लिए मैं देशवासियों के साथ खड़ा हूं।'

उन्होंने कहा, 'मैं अपने रुख पर कायम हूं और खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एकमत से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया।' इस पल को मनोकामना पूर्ण होने वाला बताते हुए 92वर्षीय आडवाणी ने कहा कि यह क्षण मेरी कामना पूर्ण होने का है, ईश्वर ने मुझे विशाल आंदोलन में योगदान देने का अवसर दिया जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था।

आडवाणी ने कहा कि लंबे समय से अयोध्या में चल रहे मंदिर-मस्जिद विवाद का पटाक्षेप हो गया और समय आ गया है कि विवाद व कटुता को पीछे छोड़कर सांप्रदायिक एकता और सहमति को गले लगाया जाए।

पुस्तक के रूप में प्रकाशित की जाएगी एएसआइ की रिपोर्ट : प्रह्लाद पटेल

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़े रहे स्थान पर खुदाई के बाद तैयार की गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की रिपोर्ट को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद पटेल ने शनिवार को यह जानकारी दी। गौरतलब है कि एएसआइ की रिपोर्ट को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए पटेल ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए एएसआइ की टीम की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, 'एएसआइ की रिपोर्ट अब तक न्यायालय की संपत्ति थी। उसे जल्दी ही जनता के लिए पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। मैं उन विशेषज्ञों का आभारी हूं जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की। मैं उनके प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूं।' एएसआइ के दल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर राम जन्मभूमि स्थल की 2003 में खुदाई की थी।

'गुरु नानक देव की अयोध्या यात्रा हिंदू आस्था का पुख्ता प्रमाण'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शनिवार को कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए सन 1510-11 में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अयोध्या की यात्रा की थी, जो हिंदुओं की आस्था और विश्वास को और दृढ़ करता है कि यह स्थल भगवान राम का जन्मस्थान है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए जनम साखी में गुरु नानक देवजी की अयोध्या की यात्रा का वर्णन है, जहां उन्होंने भगवान राम के जन्मस्थान का दर्शन किया था।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाले पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि पांच जजों में से एक ने इसके समर्थन में एक अलग से सबूत रिकॉर्ड किया कि विवादित ढांचा हिंदू भक्तों की आस्था और विश्वास के अनुसार भगवान राम का जन्म स्थान है। संबंधित जज ने कहा कि राम जन्मभूमि की सही जगह की पहचान करने के लिए कोई सामग्री नहीं है, लेकिन राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए गुरु नानक देवजी की अयोध्या यात्रा एक ऐसी घटना है, जिससे पता चलता है कि 1528 ईसवी से पहले भी तीर्थयात्री वहां जा रहे थे। शीर्ष अदालत में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में करवाया था।

जज ने कहा, '1510-11 में गुरु नानक देवजी की अयोध्या यात्रा और भगवान राम की जन्मभूमि का दर्शन करना हिंदुओं की आस्था और विश्वास को और दृढ़ करता है।' उन्होंने कहा कि इसलिए यह माना जा सकता है कि भगवान राम के जन्मस्थान के संबंध में हिंदुओं की जो आस्था और विश्वास वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण सहित धर्मग्रंथों और पवित्र धार्मिक पुस्तकों से जुड़े हैं, उन्हें आधारहीन नहीं ठहराया जा सकता। जज ने कहा, 'इस प्रकार, यह पाया गया है कि 1528 ईस्वी से पहले की अवधि में लिखे गए पर्याप्त ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो राम जन्मभूमि के वर्तमान स्थल को भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में मानते हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था को मान्यता मिलती है।'

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 9 नवंबर।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या में राम मंदिर को लेकर दिए गए फैसले से संतों में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिद्वार और ऋषिकेश में साधु-संतों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि महाराज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है और इसी तरह के फैसला आने की हमें उम्मीद भी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर निर्माण के लिए बनने वाले ट्रस्ट में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री को पदेन रूप से शामिल करना चाहिए और साधु-संतों को राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद ने सभी हिंदू धर्मावलंबियों से हनुमान चालीसा पाठ करने की अपील की थी, सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसका प्रतिफल आज सबको मिला है। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महंत हरि गिरि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सारी विवादित जमीन रामलला को दे दी गई है और मुसलिम भाइयों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया गया है।

मील का पत्थर साबित होगा फैसला : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 नवंबर।

अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि फैसले का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया है। अमित शाह ने कहा कि सर्वोच्च अदालत का फैसला एक ऐतिहासिक निर्णय है और यह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा।अमित शाह ने कहा कि इस फैसले से सर्वधर्म समाज का ताना-बाना और मजबूत होगा। इस निर्णय से न केवल वर्षो से चले आ रहे विभिन्न मुद्दों का समाधान हुआ है बल्कि यह निर्णय देश में शांति, एकता और सद्भावना की महान परम्परा को और भी बल देगा। उन्होंने कहा कि मेरी सभी धर्मो से अपील है कि हम इस निर्णय को सहजता से स्वीकारें। उन्होंने कहा कि दशकों से चले आ रहे श्रीराम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। इसके लिए भाजपा ने देश की न्याय प्रणाली व सभी न्यायमूर्तियों का भी अभिनंदन किया है।

उधर भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या मामले पर निर्णय को बहुत अहम बताया। उन्होंने कहा कि यह सर्वसम्मति के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की मदद से जहां एक तरफ रामजन्म भूमि को लेकर सामने आ रहे जमीनी विवादों का खात्मा होगा बल्कि दूसरी तरफ भारतीय सांस्कृतिक धरोहर व एकता मजबूत होगी।

फैसला भारत के गौरव को मजबूत करता है : फडणवीस

मुंबई, 9 नवंबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम के फैसले का शनिवार को स्वागत करते हुए इसे 'देश के गौरव को मजबूत करने वाला' बताया।

फडणवीस ने भाजपा मुख्यालय में कहा, 'न्यायालय का फैसला देश के गौरव को मजबूत करता है। यह किसी समुदाय की हार या जीत नहीं है।' उन्होंने कहा, 'यह फैसला ऐतिहासिक है क्योंकि यह सर्वसम्मति से लिया गया। यह लोगों की भावनाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है।' फडणवीस ने कहा, 'मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इस फैसले को किसी एक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है।

मस्जिद से मिले अवशेष हिंदू प्रकृति के : न्यायालय

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अपने फैसले में स्पष्ट रूप से यह कहा कि अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल के नीचे एएसआइ की खुदाई से संकेत मिलता है कि अंदर जो संरचना थी वह 12वीं सदी की हिंदू धार्मिक मूल की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 23 अक्तूबर, 2002 को खुदाई और विवादित स्थल पर वैज्ञानिक जांच का काम सौंपा था।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के नेतृत्व में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आम सहमति से अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया और राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। पीठ ने कहा कि बहुस्तरीय खुदाई के दौरान एक गोलाकार संरचना सामने आई जिसमें 'मकर प्रणाला' था, जिससे संकेत मिलता है कि आठवीं से दसवीं सदी के बीच हिंदू वहां पूजा-पाठ करते थे। पीठ ने कहा कि अधिसंभाव्यता की प्रबलता के आधार पर अंदर पाई गई संरचना की प्रकृति इसके हिंदू धार्मिक मूल का होने का संकेत देती है जो 12 वीं सदी की है। पीठ ने कहा कि एएसआइ की खुदाई से यह भी पता चला कि विवादित मस्जिद पहले से मौजूद किसी संरचना पर बनी है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि मस्जिद का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ कि पहले से मौजूद ढांचे की दीवारों का इस्तेमाल कर स्वंतत्र नींव बनाने से बचा गया। उसने कहा कि एएसआई की अंतिम रिपोर्ट बताती है कि खुदाई के क्षेत्र से मिले साक्ष्य दर्शाते हैं कि वहां अलग-अलग स्तरों पर अलग-अलग सभ्यताएं रही हैं जो ईसा पूर्व दो सदी पहले 'उत्तरी काले चमकीले मृदभांड' तक जाती है। न्यायालय ने कहा कि एएसआइ की खुदाई ने पहले से मौजूद 12वीं सदी की संरचना की मौजूदगी की पुष्टि की है। संरचना विशाल है और उसके 17 लाइनों में बने 85 खंभों से इसकी पुष्टि भी होती है।

भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन : उद्धव

मुंबई, 9 नवंबर (भाषा)।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रशंसा की और इसे भारत के इतिहास में 'स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन' बताया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पवित्र नगरी में राम मंदिर निर्माण की राहें खुल गई हैं।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद साझा करने के मुद्दे पर सरकार गठन को लेकर ठाकरे की पार्टी का भाजपा के साथ जबरदस्त विवाद चल रहा है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह 24 नवंबर को अयोध्या की यात्रा कर सकते हैं। ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि फैसले से आखिरकार भगवान राम के जन्मस्थान को लेकर विवाद खत्म हो गया।

ठाकरे ने कहा, 'प्रत्येक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उम्मीद थी। मैं शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे किसी की भावनाओं को आहत किये बगैर फैसले का जश्न मनाएं।' उन्होंने कहा कि उन्हें याद है जब उनके पिता और शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे, विहिप नेता दिवंगत अशोक सिघल, भाजपा के

देशभर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त

पेज 1 का बाकी

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी परामर्श में कहा गया है कि शरारती तत्वों के खिलाफ अथवा उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी जो शांति और व्यवस्था भंग करने या इस तरह की अन्य गतिविधि में शरीक होते हैं।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजधानी में सुरक्षा के चाक-चौबंद उपाय किए गए हैं। लखनऊ की सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और अर्धसैनिक बल की गश्त जारी है। पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि प्रदेश में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जरूर लागू है लेकिन इसका असर परंपरागत आयोजनों पर नहीं पड़ेगा। इनमें रविवार को निकाला जाने वाला जुलूस-ए-मोहम्मदी शामिल है। उन्होंने साफ किया कि केवल गैर परंपरागत जुलूसों पर ही रोक लगाई गई है। अगर कोई विजय जुलूस या गम में जुलूस निकालने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा। कुमार ने कहा कि बारावफात पर निकाले जाने वाले जुलूस-ए-मोहम्मदी पूरे प्रदेश में हर साल की तरह इस बार भी निकाले जाएंगे। इस बीच, मेरठ के नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण ने बताया कि नौचंदी और ब्रह्मपुरी मेंआतिशबाजी करने के आरोप में पुलिस ने छह युवकों को पकड़ा है। इसके अलावा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में पुलिस ने लक्ष्मण शर्मा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है।

नए भारत में कटुता की जगह नहीं : मोदी

पेज 1 का बाकी

आज नौ नवंबर है। यह वही तारीख थी जब बर्लिन की दीवार गिरी थी। दो विपरीत धाराओं ने एकजुट होकर नया संकल्प लिया था।'

राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कहा, आज अयोध्या पर फैसले के साथ ही नौ नवंबर की यह तारीख हमें साथ रहकर आगे बढ़ने की सीख भी दे रही है। आज के दिन का संदेश जुड़ने का, जोड़ने का और मिलकर जीने का है।' प्रधानमंत्री ने विभिन्न समुदायों के बीच किसी भी प्रकार की सामाजिक कटुता मिटाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'नए भारत में भय, कटुता और नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए।' मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से यह संदेश भी दिया है कि कठिन से कठिन मसले का हल संविधान और कानून के दायरे में ही आता है। उन्होंने हर परिस्थिति में देश के संविधान, न्याय प्रणाली की महान परंपरा पर अपने विश्वास को बरकरार रखने की अपील की। मोदी ने कहा, 'भारत के सामने चुनौतियां, लक्ष्य, मंजिलें और भी हैं। हर भारतीय साथ मिलकर और साथ चलकर ही मंजिलों तक पहुंचेगा।' उन्होंने रविवार को ईद और अन्य पावन पर्व की बधाई दी। मोदी ने कहा, 'आज दुनिया ने यह भी जान लिया है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत है। फैसला आने के बाद जिस प्रकार हर वर्ग और हर समुदाय सहित पूरे देश ने खुले दिल से इसे स्वीकार किया है, यह भारत की पुरातन संस्कृति और सद्भाव की भावना को प्रतिबंबित करता है।'

विधिसम्मत और 'अंतिम निर्णय' हुआ : संघ प्रमुख

पेज 1 का बाकी

आंदोलन करना संघ का काम नहीं है। उन्होंने काशी और मथुरा के सवाल पर सीधे जवाब नहीं देते हुए कहा- संघ आंदोलन नहीं करता, संघ का काम मनुष्य निर्माण है। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे अखिल भारतीय पदाधिकारी बनने के पहले, उसके कारण संघ इस (रामजन्मभूमि) आंदोलन में एक संगठन के नाते जुड़ गया जो एक अपवाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अयोध्या जमीन विवाद के फैसले को जीत-हार के रूप में बिलकुल न देखें। यह समय देशभक्ति को और मजबूत करने का है। यह फैसला न्याय प्रक्रिया को और मजबूत करता है।

महाराष्ट्र : राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए भाजपा को बुलाया

पेज 1 का बाकी

पूछा कि क्या वह महाराष्ट्र में सरकार बनाने की इच्छा और क्षमता रखते हैं? देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मुंबई में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बताया कि पार्टी की कोर कमेटी रविवार को बैठक करेगी और भविष्य के कदम पर फैसला करेगी। इससे पहले दिन में एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी राजभवन में राज्यपाल कोशच्यारी से मिले। महाराष्ट्र की 13 वीं विधानसभा का कार्यकाल शनिवार मध्यरात्रि को समाप्त हो गया है।

फैसले का आधार बनीं ये दलीलें

पेज 1 का बाकी

उठाया जा सकता। यह भी कहा था कि अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनवाई गई, बल्कि खाली जगह पर मस्जिद बनवाई। अपने फैसले में अदालत ने प्रमुख रूप से ये चार तर्क रखे :

खाली जमीन पर नही बनी थी मस्जिद

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एएसआइ की खुदाई से निकले सबूतों की अनदेखी नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह पारदर्शी था। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। मस्जिद के नीचे विशाल संरचना थी। एएसआइ ने इसे 12वीं सदी का मंदिर बताया था। जो कलाकृतियां मिली थीं, वह इस्लामिक नहीं थीं। विवादित ढांचे में पुरानी संरचना की चीजें इस्तेमाल की गईं। अदालत ने एएसआइ की रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि इस पर शक नहीं किया जा सकता। उसके निष्कर्षों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

1856 से पहले नमाज साबित नही

मुसलिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि वहां विवादित स्थल पर 1934 से 1949 तक नमाज पढ़ी जाती थी। हालांकि, अदालत ने उसके इस दावे को नहीं माना। दूसरी तरफ हिंदू पक्ष यह साबित करने में कामयाब रहा कि बाहरी चबूतरे पर लगातार हिंदुओं का कब्जा था और वे वहां पूजा किया करते थे।

राम के जन्मस्थान के दावे का विरोध नहीं

अदालत ने कहा कि अयोध्या में राम के जन्मस्थान के दावे का किसी ने विरोध नहीं किया। विवादित जगह पर हिंदू पूजा करते रहे थे। गवाहों से जिरह में हिंदुओं का दावा गलत साबित नहीं हुआ। हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम का सही जन्मस्थान मनाते हैं। रामलला विराजमान ने ऐतिहासिक ग्रंथों के विवरण रखे। हिंदू परिक्रमा भी किया करते थे। चबूतरा, सीता रसोई, भंडारे से भी दावे की पुष्टि होती है।

1857 से पहले स्वामित्व का दावा साबित नहीं

संभावनाओं के संतुलन पर स्पष्ट साक्ष्य है जो संकेत देता है कि बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा करते थे जो 1857 से पहले भी निर्बाध जारी थी। मुसलिम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे संकेत मिले कि 1857 से पहले मस्जिद पूरी तरह उनके कब्जे में थी। हिंदुओं का यह विश्वास निर्विवाद है कि ढहाए गए ढांचे की जगह ही भगवान राम का जन्म हुआ था।

करतारपुर गलियारा देश को समर्पित किया प्रधानमंत्री ने

पेज 1 का बाकी

550 रुपए का सिक्का जारी किया। उन्होंने पांच डाक टिकट भी जारी किए।अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि करतारपुर गलियारे को देश को समर्पित करते हुए कार सेवा जैसी अनुभूति हो रही है।

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आभार व्यवक्त करते हुए कहा, 'मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मियांजी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने करतारपुर गलियारे के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया।' उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के गलियारे को पूरा करने में मदद की।'

रामलला की पैरवी की 'भीष्म पितामह'ने

पेज 1 का बाकी

पराशरण ने सबरीमला मंदिर विवाद के दौरान एक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश नहीं देने की परंपरा की वकालत की थी।

रामसेतु मामले में दोनों ही पक्षों ने उन्हें अपनी ओर करने के लिए सारे तरीके आजमाए लेकिन धर्म को लेकर संजीदा रहे पराशरण ने सरकार के खिलाफ गए। ऐसा उन्होंने सेतुसमुद्रम प्रोजेक्ट से रामसेतु को बचाने के लिए किया। उन्होंने अदालत में कहा, 'मैं अपने राम के लिए इतना तो कर ही सकता हूं।'

नौ अक्टूबर 1927 को जन्मे पराशरण पूर्व राज्यसभा सांसद और 1983 से 1989 के बीच भारत के अटार्नी जनरल रहे।

मंदिर वहीं

पेज 1 का बाकी

को खारिज करते हुए सिर्फ रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही पक्षकार माना। साथ ही, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित जमीन को तीन पक्षों में बांटने के फैसले को अतार्किक करार दिया।

अयोध्या में संबंधित स्थल पर विवाद सदियों पुराना है। हिंदुओं का मानना है कि मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार ने हमला कर वहां स्थित राम मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बना दी थी। यह मामला 1885 में तब कानूनी विवाद में तब्दील हो गया था, जब एक महंत ने अदालत पहुंचकर मस्जिद के बाहर छत डालने की अनुमति मांगी। यह याचिका खारिज कर दी गई थी। दिसंबर 1949 में अज्ञात लोगों ने मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति रख दी।

ढांचा गिराए जाने को लेकर अदालत ने कहा कि जो गलत हुआ, उसका निवारण किया जाए और पवित्र नगरी अयोध्या में मुसलमानों को मस्जिद के लिए पांच एकड़ का भूखंड आबंटित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन अब केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी, जो इसे सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ट्रस्ट को सौंपेंगे। जजों ने केंद्र सरकार से कहा कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अदालत ने कहा कि यह धर्म और विश्वास से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसकी जगह मामले को तीन पक्षों-रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी मुसलिम वक्फ बोर्ड के बीच भूमि के स्वामित्व से जुड़े वाद के रूप में देखा गया। जजों ने कहा, 'यह विवाद अचल संपत्ति जैसे मामलों के ऊपर है। अदालत स्वामित्व का निर्धारण धर्म या आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि साक्ष्यों के आधार पर करती है।... लेकिन विवादित ढांचे में ही भगवान राम का जन्म होने के बारे में हिंदुओं की आस्था अविवादित है। यही नहीं, सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की उपस्थिति इस स्थान के धार्मिक तथ्य की गवाह हैं।'

यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सुनवाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि संभावनाओं के संतुलन पर, स्पष्ट साक्ष्य है जो संकेत देता है कि बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा करते थे जो 1857 से पहले भी निर्बाध जारी थी जब अंग्रेजों ने अवध क्षेत्र को अपने साथ जोड़ लिया।...मुसलिम ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाए जिससे संकेत मिले कि 1857 से पहले मस्जिद पूरी तरह उनके कब्जे में थी। हिंदू यह साबित करने में सफल रहे हैं कि विवादित ढांचे के बाहरी बरामदे पर उनका कब्जा था और उप्र सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद में अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

अयोध्या मामले पर वकीलों ने फैसले को संतुलित बताया

मुंबई, 9 नवंबर (भाषा)।

नामी-गिरामी वकीलों ने शनिवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपने फैसले में संतुलन कायम रखने की कोशिश की। फौजदारी मामलों के चर्चित वकील अमित देसाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 'ठोस न्याय' दिया है। उन्होंने कहा कि प्रमाणों की अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इस तरह के मामले में साक्ष्यों के आकलन में शीर्ष न्यायालय ने व्यापक जनहित में इस पर विचार किया और ठोस न्याय दिया है। वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि मंदिर की मौजूदगी के संबंध में मान्यता के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा रखे गए ऐतिहासिक प्रमाणों को आधार के तौर पर लिया।

अदालत ने इस तथ्य को भी माना कि विवादित जमीन के भीतरी हिस्से का उपयोग मुसलिम नमाज अदा करने के लिए करते थे। 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में अभिनेता संजय दत्त की तरफ से पेश हो चुके मानशिंदे ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना अवैध था। यह संदेश दिया गया कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए।

मुंबई के विस्फोट मामले में विशेष लोक अभियोजक रहे उज्जवल निकम ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है। शीर्ष न्यायालय ने किसी परंपरा या आस्था पर भरोसा नहीं किया, बल्कि ठोस प्रमाण और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया और सभी समुदायों के हितों में संतुलन लाने की कोशिश की। विस्फोट मामलों में कुछ आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकील माजिद मेमन ने कहा कि फैसले की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब कोई भी मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर पाएगा। राज्यसभा सदस्य मेमन ने कहा कि देश में दो बड़े समुदायों के बीच छह दिसंबर, 1992 के काला दिन (जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था) से शुरू हुई वैमनस्यता अब खत्म होनी चाहिए।

भड़काऊ संदेश साझा करने वाले दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

कोच्चि, 9 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर कथित भड़काऊ पोस्ट साझा करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि कोच्चि आयुक्तालय के साइबर डोम के सोशल मीडिया व इंटरनेट निगरानी प्रकोष्ठ ने शुक्रवार को पाया कि दो लोगों ने अयोध्या मामले में फैसले से पहले फेसबुक पर सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ संदेश साझा किया है। एक अन्य व्यक्ति के फेसबुक पेज पर इन संदेशों का पता लगाया गया।

इंडियन बैंक Indian Bank Your own bank GREATER NOIDA BRANCH

एस -7, गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर गामा 1, ग्रेटर नोएडा, यूपी।
ई-मेल: greaternoida@indianbank-co-in

परिशिष्ट-4 (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **19.08.2019** जारी कर उधाककर्ता/ों **श्री विनोद वर्मा पुत्र श्री प्रीतम वर्मा (उधारकर्ता/बंधककर्ता) और श्रीमति मीना कुमारी पत्नी श्री विनोद वर्मा (सह-उधारकर्ता)** द्वारा हमारी ग्रेटर नोएडा शाखा से ली गयी राशि के लिए मांग नोटिस में वर्णित धनराशि **रूपये 4,41,871.00 (रूपये चार लाख इक्तालीस हजार आठ सौ इक्हत्तर मात्र)** को नोटिस दिये जाने के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता इस राशि को लौटाने में विफल रहे, अत: एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **06 नवम्बर 2019** को वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय **रूपये 4,41,871.00 तथा 31.07.2019** से भुगतान तिथि तक उस पर ब्याज लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे की राशि के लिए **इंडियन बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

न.	सर्वे नम्बर	फ्री होल्ड/लीज होल्ड	क्षेत्र (एकड़/हेक्टेयर में)	स्थान	सीमा
1	फ्लैट न.-जी-1, ग्राउण्ड फ्लोर बिना छत के अधिकार के	फ्री होल्ड	46.45 वर्ग मीटर	प्लॉट नम्बर-59, विक्रम एन्क्लेव साहिबाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी में स्थित घर	उत्तर- 40 फीट रोड़, दक्षिण -सर्विस लेन, पूरब- प्लॉट न. -60, पश्चिम- प्लॉट न.-58

दिनांक: 06.11.2019 स्थान: ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

इंडियन बैंक Indian Bank Your own bank GREATER NOIDA BRANCH

एस -7, गामा शॉपिंग मॉल, सेक्टर गामा 1, ग्रेटर नोएडा, यूपी।
ई-मेल: greaternoida@indianbank-co-in

परिशिष्ट-4 (नियम 8(1)) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि **08.08.2019** जारी कर उधाककर्ता/ों **मैसर्स 3डी मार्किटिंग एण्ड एडवरटाइजिंग क. (फर्म/उधारकर्ता), श्री साजिद अली पुत्र श्री सैद अहमद (प्रोपराइटर/उधारकर्ता/बंधककर्ता) और श्रीमति सुम्मया पत्नी श्री साजिद अली (जमानती)** द्वारा हमारी ग्रेटर नोएडा शाखा से ली गयी राशि के लिए मांग नोटिस में वर्णित धनराशि रूपये **45,69,004.00 (रूपये पैतालीस लाख उन्हत्तर हजार चार मात्र)** को नोटिस दिये जाने के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ता इस राशि को लौटाने में विफल रहे, अत: एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **05 नवम्बर 2019** को वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी तरह का व्यवसाय **रूपये 46,48,266.00 तथा 31.10.2019** से भुगतान तिथि तक उस पर ब्याज लागत, चार्जेज तथा उस पर अन्य खर्चे की राशि के लिए **इंडियन बैंक** के चार्ज के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

न.	सर्वे नम्बर	फ्री होल्ड/लीज होल्ड	क्षेत्र (एकड़/हेक्टेयर में)	स्थान	सीमा
1	खसरा नम्बर-860	फ्री होल्ड	प्लॉट का क्षेत्रफल 562.58 वर्ग मीटर	खसरा नंबर 860 मिन गाँव महिउद्दीनपुर, ढबारसी, परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद	उत्तर- मुर्करम का प्लॉट, दक्षिण -विक्रेता का प्लॉट (श्री जाहिद अली पुत्र हाजी मुस्ताक, पूरब- 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम- अन्य की संपत्ति

दिनांक: 05.11.2019 स्थान: ग्रेटर नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी (इंडियन बैंक)

शुद्धिपत्र (अपत्र-ए)

मै. कॉसमोपॉलिटन टेक्नोफाब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों का ध्यान आकर्षित [illegible] के दिल्ली एवं एनसीआर संस्करण में दिनांक 9 नवम्बर 2019 को प्रकाशित "प्रपत्र-ए" सार्वजनिक घोषणा में निम्न संशोधन के और 30 दिन की अवधि आमंत्रित किया जाता है। कृपया कॉलम नंबर 9 में ई-मेल : harishdaneja78@gmail.com और कॉलम नंबर 10 में ई-मेल cirp.cosmofab@gmail.com पढ़ें। अन्य विवरण पूर्ववत तथा अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक : 09 नवंबर 2019 — हरीश दनेजा
स्थान : नई दिल्ली — आधिकारिक समाधान प्रोफेशनल
IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

शुद्धिपत्र

फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण में 04.11.2019 को प्रकाशित जे.एल. निट इण्डिया लि. के ईओआई के परिप्रेक्ष्य में आईबीसी कोड के प्रावधान के तहत क्रम सं. 16 पर तिथि को 02.12.2019 के बजाय 02.01.2020 पढ़ा जाए।

सीएमए संदीप कुमार भट्ट
समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

इंडियन टोनर्स एण्ड डेवलपर्स लिमिटेड

CIN: L74993UP1990PLC015721
पंजी. कार्यालय: 10.5 कि.मी. माइलस्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर-244901
वेबसाईट: www.indiantoners.com, ई-मेल: info@indiantoners.com, फोन: 011-45017000

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनंकेक्षित स्टेण्डएलान एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सार

(जब तक अन्यथा वर्णित नहीं हो (रु. लाखों में)

विवरण	स्टैण्ड एलान						समेकित					
	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
	30 सित. 2019 (अनंकेक्षित)	30 जून, 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2018 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2018 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2018 (अंकेक्षित)	30 सित. 2019 (अनंकेक्षित)	30 जून, 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2018 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2019 (अनंकेक्षित)	30 सित. 2018 (अनंकेक्षित)	31 मार्च, 2019 (अंकेक्षित)
परिचालनों से आय	2,469.97	2,330.28	3,217.02	4,800.25	5,872.16	11,548.08	2,541.07	2,288.84	3,219.62	4,829.91	5,856.93	11,528.67
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर तथा विशिष्ट मदों से पूर्व)	446.16	357.15	560.88	803.31	1,148.72	2,547.51	436.85	346.12	545.69	782.97	1,128.33	2,499.23
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट मदों के बाद	446.16	357.15	560.88	803.31	1,148.72	2,516.83	436.85	346.12	545.69	782.97	1,128.33	2,468.55
कर तथा विशिष्ट मदों के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	374.56	282.60	448.68	657.16	1,030.83	2,041.50	365.25	271.57	433.49	636.82	1,010.44	1,993.22
अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए लाभ (हानि) (कर से बाद) तथा अन्य व्यापक आय (कर से बाद) से शामिल	368.33	276.92	445.43	645.25	1,024.63	2,019.24	360.64	266.74	428.87	627.38	1,004.21	1,971.99
इक्विटी शेयर पूंजी	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16	1316.16
रु. 10/- प्रति का आय प्रति शेयर												
(क) मूल (रु.)	2.85	2.15	3.41	4.99	7.83	15.51	2.78	2.06	3.29	4.84	7.68	15.14
(ख) तरल (रु.)	2.85	2.15	3.41	4.99	7.83	15.51	2.78	2.06	3.29	4.84	7.68	15.14

टिप्पणी:

उपरोक्त अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन तथा वित्तीय परिणामों की कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा समीक्षा की गई, ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 8 नवम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर उसे अभिलेख में लिए गए। सांविधिक अंकेक्षकों की समीक्षा रिपोर्ट बम्बई स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की जा रही है।

उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अनंकेक्षित स्टैडएलॉन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप के साथ सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट वेबसाईट www.indiantoners.com के निवेशक खंड तथा www.bseindia.com के कॉर्पोरेट खंड में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत उपलब्ध है।

बोर्ड के आदेश से
इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(सुशील जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 00323952

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 8 नवमबर, 2019

शुद्धिपत्र

आईबीसी की संहिता के प्रावधान के अंतर्गत पद्म इन्टरनेशनल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड के लिये फाइनांसियल एक्सप्रैस एवं जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण में 8.11.2019 को प्रकाशित सार्वजनिक उद्घोषणा प्रपत्र बी में विज्ञापन के सबसे ऊपर प्रपत्र ए पढ़ें।

रश्मि अगरवाल
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P0461/2018-19/12281
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 9.11.2019

शुद्धिपत्र

फाइनेंशियल एक्सप्रेस एवं जनसत्ता, नई दिल्ली संस्करण में 04.11.2019 को प्रकाशित केएमजी ए टू जेड सिस्टम्स प्रा. लि. के ईओआई के परिप्रेक्ष्य में आईबीसी कोड के प्रावधान के तहत क्रम सं. 16 पर तिथि को 02.12.2019 के बजाय 02.01.2020 पढ़ा जाए।

सीएमए संदीप कुमार भट्ट
समाधान प्रोफेशनल
पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-003/IP-N00038/2017-18/10298

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF GENERAL GARMENTS DELHI PRIVATE LIMITED

	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of corporate debtor	GENERAL GARMENTS DELHI PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	20.12.1993
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U74899DL1993PTC055833
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	9-10/19 Mohan Co operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi 110014
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	08.11.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	08.05.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	CA Ritu Rastogi Regd No. IBBI/IPA-001/IP-P00204/2017-18/10383
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	D-18, 9A, D-Block, Janakpuri, New Delhi 110058 rita_rastogi1@yahoo.co.in
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	D-18, 9A, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058 cirpgeneralgarment@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	22.11.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the classes) Nil
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorised representatives	(a) https://ibbi.gov.in/downloads (under Insolvency Resolution Process For Corporate Persons) (b) Not Applicable

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal Principal Bench, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **General Garments Delhi Private Limited** on 8/11/2019.

The creditors of **General Garments Delhi Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 22/11/2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10. The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No 13 to act as authorised representative of the class (specify class in Form CA).

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Sd/-
Name and Signature of Interim Resolution Professional: Ritu Rastogi
Date and Place: 09.11.2019 and New Delhi — IBBI Reg. No. IBBI/IPA-001/IP-P00204/2017-18/10383

MC2 MOMENTO COMMUNICATIONS

एस्कॉर्ट्स
एस्कॉर्ट्स लिमिटेड
(CIN – L74899HR1944PLC039088)
सदस्यों के लिए सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा बनाये गए निर्मित नियमो के अनुसार एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ("कंपनी") ने पोस्टल बैलेट सूचना दिनांक 2 नवंबर, 2019 में उल्लिखित व्यवसाय के संबंध में पोस्टल बैलट (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है) के माध्यम से सदस्यों की सहमति लेने के लिए स्व-संबोधित डाक प्री-पेड लिफाफा अनुमत मोड के माध्यम से पोस्टल बैलट सूचना के साथ संबंधित व्याख्यात्मक वक्तव्य, पोस्टल बैलेट फॉर्म का प्रेषण कार्य 9 नवंबर, 2019 को पूरा कर लिया है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने पोस्टल बैलट / ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करने के लिए श्री जयंत गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव की नियुक्ति की है।

पोस्टल बैलेट अनुसूची का विवरण :-

क्रम सं.	विवरण	कार्यक्रम
(क)	सूचना प्रेषण की पूर्णता तिथि	9 नवंबर 2019
(ख)	भौतिक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान	
	- मतदान शुरू होने की तिथि	12 नवंबर 2019
	- मतदान समाप्त होने की तिथि	11 दिसंबर, 2019
(ग)	रिमोट ई-वोटिंग	
	- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान शुरू होने की तिथि एवं समय	12 नवंबर, 2019 9.00 पूर्वा. अपराह्नकाल
	- इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय	11 दिसंबर, 2019 5.00 सायं अपराह्नकाल
	उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी।	

11 दिसंबर, 2019 के बाद प्राप्त पोस्टल बैलेट फॉर्म को माना जाएगा जैसे कि संबंधित सदस्य से जवाब नहीं मिला है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, वे कम्पनी को आवेदन कर उसकी प्रतिलिपि प्राप्त करे।

पोस्टल बैलेट सूचना तथा पोस्टल बैलेट प्रपत्र कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होगी तथा साथ ही कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com या https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी ने पोस्टल बैलट सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेजी है, जिनके नाम कट-ऑफ की तारीख यानी 1 नवंबर, 2019 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड से प्राप्त सदस्यों के रेजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज किया गया है। ऐसे सदस्य सूचना की टिप्पड़ियों तथा पोस्टल बैलट प्रपत्र के निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेट का परिणाम 13 दिसंबर, 2019 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को सूचित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.escortsgroup.com और कार्वी की वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक नहीं हों, ऐसे सदस्य कम्पनी के पंजीकृत कार्यलय के पते पर अथवा पर ईमेल द्वारा कम्पनी के अधोहस्ताक्षरी को अनुरोध भेज कर उक्त सूचना तथा भौतिक पोस्टल बैलेट प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य श्री जी रमेश देसाई, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 दूरभाष नं .: +91 40 6716 2222; टोल फ्री नं .: 1800 345 4001; फैक्स नंबर: +91 40 2300 1153; ई-मेल: evoting@karvy.com या अधोहस्ताक्षरी से corpsl@escorts.co.in तथा फोन नं 0129-2250222 पर संपर्क कर सकते हैं।

पंजी. कार्यालय:
15 / 5, मथुरा रोड,
फरीदाबाद - 121 003, हरियाणा
वेबसाइट: www.escortsgroup.com,
ई-मेल: corpsl@escorts.co.in
फोन: - + 91-129-2250222,
फैक्स: + 91-129-2250060

बोर्ड के आदेश से
एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
अजय जगा
ग्रुप जनरल कॉउंसल
एवं कम्पनी सचिव

स्थान: फरीदाबाद
दिनांक : 9/11/2019

JAYPEE INFRATECH

पंजी. कार्यालय: सेक्टर-128, नोएडा-201304 (उ.प्र.), CIN: L45203UP2007PLC033119, फोन: +91 (120) 4609000, 2470800,
फैक्स: +91 (120) 4963122, ई-मेल: jpinfratech.investor@jalindia.co.in, वेबसाईट: www.jaypeeinfratech.com

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिये स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

(ईपीएस छोड़कर रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैंडएलॉन परिणाम						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		समाप्त वर्ष
		30.9.2019 अनंकेक्षित	30.6.2019 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	30.9.2019 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित	30.9.2019 अनंकेक्षित	30.6.2019 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	30.9.2019 अनंकेक्षित	30.9.2018 अनंकेक्षित	31.3.2019 अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय	44,747	59,144	21,161	103,891	56,700	129,279	52,292	66,956	29,606	119,248	72,837	161,332
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(40,913)	(42,387)	(35,191)	(83,300)	(65,024)	(130,383)	(43,452)	(44,809)	(36,816)	(88,261)	(68,798)	(138,030)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(40,913)	(42,387)	(35,191)	(83,300)	(65,024)	(130,383)	(43,452)	(44,809)	(36,816)	(88,261)	(68,798)	(138,030)
4.	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(40,913)	(42,387)	(35,191)	(83,300)	(65,024)	(132,569)	(43,452)	(44,809)	(36,816)	(88,261)	(68,798)	(140,216)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	(40,915)	(42,387)	(35,192)	(83,302)	(65,025)	(132,573)	(43,465)	(44,808)	(36,814)	(88,273)	(68,793)	(140,217)
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893	138,893
7.	अन्य इक्विटी (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	-		-	-		(21,738)	-	-	-	-	-	(57344)
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं):												
	- मूल (रु. में)	(2.95)	(3.05)	(2.53)	(6.00)	(4.68)	(9.54)	(3.13)	(3.23)	(2.65)	(6.35)	(4.95)	(10.10)
	- तरल (रु. में)	(2.95)	(3.05)	(2.53)	(6.00)	(4.68)	(9.54)	(3.13)	(3.23)	(2.65)	(6.35)	(4.95)	(10.10)

टिप्पणी:

1. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल की गई 30 सित. 2019 को समाप्त तिमाही/छमाही के स्टैंडएलॉन एवं समेकित अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण प्रारूप का सार है। 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही/छमाही के उपरोक्त परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाईटों (www.nseindia.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाईट (www.jaypeeinfratech.com) पर उपलब्ध है।
2. कम्पनी के स्टैंडएलॉन परिणामों में केवल एक ही खंड अर्थात् यमुना एक्स्प्रैसवे प्रॉजेक्ट, एक एकीकृत तथा अविभाजनीय परियोजना शामिल है जिसमें अन्य बातों के अलावा यमुना एक्स्प्रैसवे का निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव तथा एक्स्प्रैसवे से लगे 25 मिलियन वर्ग मी. के भूमि का विकास शामिल है।
3. यह कम्पनी माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तिथि 9 अगस्त, 2018 के अनुसार कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सीआईआरपी) से गुजर रही है। अपने आदेश तिथि 6 नवम्बर, 2019 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रॉफेशनल (आईआरपी) को पुनः निर्देश दिया है कि वह उसके आदेश तिथि अर्थात् 6 नवम्बर, 2019 से 90 दिनों के भीतर कॉर्पोरेट दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया (सीआईआरपी) पूरा करे। दिवाला एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) की धारा 20 के अनुसार कम्पनी के प्रबंधन तथा प्रचालनों का प्रबंध ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर आईआरपी के द्वारा किया जा रहा है।
4. आईबीसी की धारा 25 (2) (i) के साथ पठित धारा 66,43,45 एवं 60 (5) (i) के अंतर्गत राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) इलाहाबाद में प्रस्ताव प्रॉफेशनल द्वारा दाखिल एक आवेदन जिसमें अन्य बातों के अलावे 858 एकड़ भूमि पर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के लैण्डर्स के पक्ष में कम्पनी द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित की मुक्ति अथवा डिस्चार्ज की बात की गई है, के अनुपालन में अपने आदेश तिथि 16 मई, 2018 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी ने 758 एकड़ भूमि पर निर्मित प्रतिभूति हित की मुक्ति तथा डिस्चार्ज का आदेश पारित किया है तथा आगे फिर कहा है कि गिरवी रखी गई सम्पत्ति आदेश की तिथि से कम्पनी में निहित मानी जायेगी। अब जेएएल के लैण्डर्स तथा जेएएल ने माननीय एनसीएलएटी के समक्ष उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दाखिल किया है। अपने आदेश तिथि 1 अगस्त, 2019 के द्वारा माननीय एनसीएएलटी ने माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित उक्त संदिग्ध आदेश तिथि 16 मई, 2018 को रद्द कर दिया। होम बायर्स, आईआरपी तथा इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कम्पनी लिमिटेड (जेआईएल के लैण्डर) द्वारा माननीय एनसीएलएटी के आदेश को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है। सुनवाई की अगली तिथि 15 नवम्बर, 2019 है।
5. रियायत अनुबंध तिथि 7.2.2003 तथा कम्पनी की अनुषांगिक देयता के भाग के संदर्भ में 64.7% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित यमुना एक्स्प्रैसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) के दावे के मामले में विवाचन कार्यवाहियों का निर्णय अब कर दिया गया है। माननीय विवाचन अधिकरण द

Syndicate Bank

POSSESSION NOTICE
(For Immovable Property) Rule-8(1)

जैसा कि प्रतिभूतिकरण व वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद–13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नाम के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणियों / गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है। ऋणियों / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्तियों में किसी प्रकार का लेन–देन सिंडिकेट बैंक, संबंधित शाखाओं को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम एवं ऋणी / गारन्टर के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा लेने की तिथि	बकाया राशि
1.	ऋणी: दिनेश चन्द जोशी, सीमा जोशी। शाखा: सेक्टर–61, नोएडा।	आवासीय फ्लैट नं0. जी–8, भूमि तल, टावर ए, गौड़ ग्लोबल गार्ड, प्लॉट नं0. जीएच–4, कोसिंग रिपब्लिक कूडेसा, गाजियाबाद, यू0पी0, मालिक दिनेश चन्द जोशी और श्रीमति सीमा जोशी। सिमावी सीमाऐं– उत्तर में फ्लैट नं0.5, दक्षिण में खुला, पूर्व में पार्क और पश्चिम में इण्टरेन्स और फ्लैट नं0. 7.	03.06.2019	07.11.2019	रू0. 8,67,541.40 + ब्याज एवं अन्य व्यय
2.	ऋणी: ब्लू रिवर टूर्स एण्ड ट्रैवल्स, दिनेश चन्द जोशी। शाखा: सेक्टर–61, नोएडा।	आवासीय फ्लैट नं0. जी–8, भूमि तल, टावर ए, गौड़ ग्लोबल गार्ड, प्लॉट नं0. जीएच–4, कोसिंग रिपब्लिक कूडेसा, गाजियाबाद, यू0पी0, मालिक दिनेश चन्द जोशी और श्रीमति सीमा जोशी। सिमावी सीमाऐं– उत्तर में फ्लैट नं0.6, दक्षिण में पार्क, पूर्व में पार्क और पश्चिम में इण्टरेन्स और फ्लैट नं0. 7.	04.07.2019	07.11.2019	रू0. 8,59,357.45 + ब्याज एवं अन्य व्यय

दिनांक: 07-11-2019 क्षेत्रीय कार्यालय: नोएडा। प्राधिकृत अधिकारी

कार्पोरेशन बैंक

आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल पार्क नगर, मेरठ–250001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक अधोहस्ताक्षरी ने निम्नित बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति से 60 (साठ) दिनों के अन्दर जमा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा उक्त राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिग्रहण प्रतिभूति अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के प्रपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणियों / गारन्टरों को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई लेनदेन / संव्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी लेनदेन / संव्यवहार कार्पोरेशन बैंक को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे वर्णित है उसके अधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
हापुड़	ऋणकर्ता: – 1 (ए) मैसर्स अविरल डिस्टीब्यूटर्स प्रो. वेमल जैन मकान नंबर–12 दादा बाड़ी, गढ़ रोड हापुड़–245101 (यूपी) गारन्टर: – 2 (ए) श्रीमती अंजु जैन मकान नंबर – 12 दादा बाड़ी, गढ़ रोड हापुड़–245101 (यूपी) (बी) श्रीमती लता जैन मकान नंबर–12 दादा बाड़ी, गढ़ रोड हापुड़–245101 (यूपी)	05.11.2019	08.07.2019	रुपये 24,69,986.80 (रुपये चौबीस लाख उनहत्तर हजार नौ सौ छियासी और अस्सी पैसे केवल) + ब्याज एवं अन्य खर्चे

बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण–आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान नंबर– 33 / 403 (पुराना नगरपालिका नंबर– 16–3 / 208 / 16 मौहल्ला दादाबाड़ी जैन मंदिर के पास जिला हापुड़ श्रीमती अंजु जैन पत्नी श्री नरेश जैन और श्रीमती लता जैन पत्नी श्री अशोक जैन के नाम पर रजिस्ट्री का क्षेत्रफल 82.00 वर्ग गज सीमायें पूर्व– आम चक रोड, पश्चिम– दिनेश कुमार का मकान, उत्तर–गली 18 फुट चौड़ा, दक्षिण– ज्ञान सिंह की मकान

दिनांक – 05.11.2019 स्थान– हापुड़ प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेशन बैंक

सिडबी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही (लेखापरीक्षित)	30 सितंबर, 2018 को समाप्त तदनुरूपी छमाही (लेखापरीक्षित)	31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछला लेखावर्ष (लेखापरीक्षित)
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	5316	4240	9482
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	5101	4168	9128
(ख) निवेशों पर आय	13	22	53
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	202	50	301
(घ) अन्य	-	-	-
2. अन्य आय	452	217	434
3. कुल आय (1+2)	5768	4457	9916
4. ब्याज व्यय	3762	3108	6903
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	303	245	512
(i) कर्मचारी लागत	192	183	369
(ii) अन्य परिचालन व्यय	111	62	143
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	4065	3353	7415
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	1703	1104	2501
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल)	791	53	-2
9. असाधारण मदें	371	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8+9)	1283	1051	2503
11. कर संबंधी व्यय (डीटीए / डीटीएल के पश्चात निवल)	297	159	551
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+) / हानि (-) (10-11)	986	892	1952
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	986	892	1952
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	532	532	532
16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	15863	14078	15863
17. विवेकपूर्ण अनुपात			
(i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	23.25%	25.46%	27.11%
(ii) प्रति शेयर आमदनी	18.53	16.78	36.70*
18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात			
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	1148.90	805.03	867.91
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	625.47	199.30	292.54
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.79	0.61	0.63
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.43	0.15	0.21
ङ) आस्तियों पर प्रतिलाभ (कर पश्चात)	0.63%	0.71%	1.43%*

*वार्षिकीकृत

टिप्पणियाँ:

1) बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।

2) निदेशक मंडल द्वारा 09 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।

3) 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' मद प्रावधान, निवेश मूल्यह्रास संबंधी प्रावधान आदि के समायोजन के बाद निवल प्रावधान है।

4) भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यह्रास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान अनुमानित / समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्ष के समायोजन के अधीन हैं।

5) असाधारण मदें एकमुश्त अवरण समायोजन खाते में पड़े हुए ₹171 करोड़ के अतिरिक्त देयता / प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पुनर्गणित किया गया है क्योंकि अब इसे बही में अग्रसारित करने की अपेक्षा नहीं है।

6) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने गैर-निष्पादक आस्ति / गैर-निष्पादक निवेश हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप, विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹28.57 करोड़ के पास प्रावधान का उपयोग किया है।

7) निवल अन्तर्क आस्तियों के परिकलन के लिए मात्र प्रावधान को नहीं लिया गया है।

8) निवेशकों की शिकायत संबंधी स्थिति: यथा 01 जुलाई, 2019 को 2 शिकायतें लंबित थीं। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 9 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं 11 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। तदनुसार, यथा 30 सितंबर, 2019 को कोई शिकायत निवारण के लिए लंबित नहीं है।

9) पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

10) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफ आई के लिए अर्जेंसी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।

11) सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-
(मोहम्मद मुस्तफा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 09 नवंबर, 2019
स्थान : नई दिल्ली

SIDBIOfficial कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें। @sidbiofficial

APL APOLLO TUBES LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023445
Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092
Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Delhi-NCR 201010
Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com
Tel: 0120-4041400 | Fax: 0120-4041444

APLAPOLLO STEEL PIPES

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

(₹ in Crs. except earning per share data)

S.No.	Particulars	Quarter ended Sep 30, 2019	Half year ended Sep 30, 2019	Quarter ended Sep 30, 2018
1	Total Income from Operations	1647.28	3718.88	1690.47
2	EBIDTA	76.60	206.14	88.11
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.77	106.81	41.00
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.77	106.81	41.00
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	59.83	111.96	26.68
6	Total Comprehensive income for the period	59.78	114.07	26.85
7	Equity Share Capital	24.25	24.25	23.73
8	Earnings Per Share (face value of ₹ 10/- not annualised for quarterly figures)			
	Basic:	24.67	46.21	11.24
	Diluted:	23.91	44.84	11.03

Notes:

(₹ in Crs.)

	Particulars	Quarter ended Sep 30, 2019	Half year ended Sep 30, 2019	Quarter ended Sep 30, 2018
1	Brief of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30 Sep. 2019:			
	Income from Operations	1292.81	2945.06	1371.02
	Profit/(Loss) Before Tax	(3.47)	29.07	57.86
	Profit/(Loss) After Tax	26.79	47.38	49.30
2	The above is an extract of the detailed format of Consolidated and Standalone results for the quarter and Half year ended 30 September, 2019 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Consolidated and Standalone results for the quarter and Half year ended 30 September, 2019 are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com".			

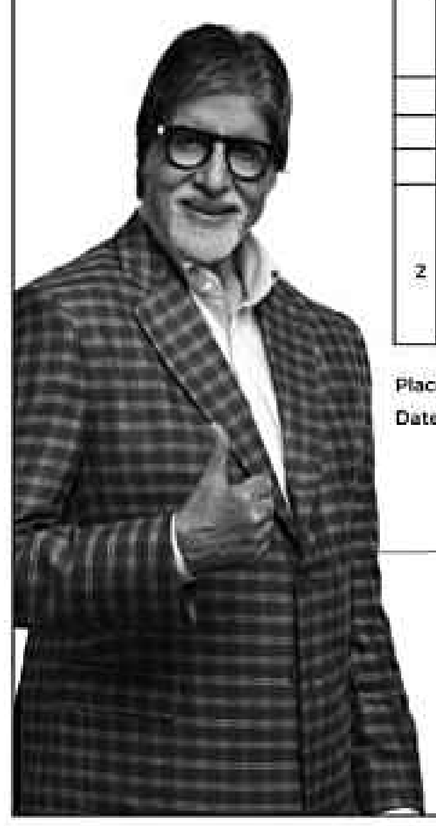

Place: Ghaziabad
Date: 09 November, 2019

For APL Apollo Tubes Limited
Sd/-
Ashok Kumar Gupta
Managing Director

DESH KI ANDEKHI TAQAT

मुथूट होमफिन (इंडिया) लि.

Muthoot Finance

कॉर्पोरेट कार्यालय: 1201 एवं 1202, 12 वाँ तल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेट पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्स्प्रेस हाईवे, गोरेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. (एमएचआईएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित ऋणधारक (कों)/गारन्टर(रों) को जारी कर उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक (कों)/सह-ऋणधारकों/ को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक/भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय यहां नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. के चार्ज के अधीन होगा।

क्रम सं.	ऋणधारक(कों)/सह-ऋणधारक का नाम/ऋण खाता सं./शाखा	प्रतिभूत परिसम्पत्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं कुल बकाया राशि (रु.)	कब्जा की तिथि
1.	रिषभ राजीव पाण्डेय मंजू राजीव पाण्डेय 056-05600057/गाजियाबाद	फ्लैट नं. 412, 3 रा तल, माप 680 वर्ग फीट, नंद वाटिका कॉलोनी, फेज-3, खसरा नं. 191, निकट कृष्ण माधव हाउसिंग सोसायटी, ग्राम सुमारसी, परगणा एवं तहसील दादरी, गिरधापुर-गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201301 जिसका विशेष रूप से विवरण दादरी, उत्तर प्रदेश के उप-रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत वही नं. 1, जिल्द नं. 11543, पेज नं. 204 में बिक्री प्रलेख पंजीकरण सं. 4532/2018 तिथि 9.3.2018 में वर्णित है। सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तर: अन्य भूमि दक्षिण: 18 फीट रोड पश्चिम: अन्य भूमि पूर्व: प्लॉट नं. 411	11 फरवरी 19 रु. 8,85,233/- (रुपये आठ लाख पचासी हजार दो सौ तैंतीस मात्र)	4.11.2019
2.	अरूण शर्मा निहारिका शर्मा 056-05600001/गाजियाबाद	प्लॉट नं. 61, खसरा नं. 302, प्रिन्स फार्म कॉलोनी, जलालपुर रोड, मुरादनगर, निकट वेनस क्रिकेट अकादमी, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश जिसका विशेष रूप से विवरण उप-रजिस्ट्रार मोदीनगर, के कार्यालय में क्रम सं. 1484/2018 तिथि 2.2.2018, बुक नं. 1, वॉल नं. 9784, पेज नं. 381 से 412 में बिक्री प्रलेख पंजीकरण दस्तावेज में वर्णित है। सम्पत्ति की चौहद्दी: उत्तर: 18 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण: अन्य कॉलोनी पूर्व: अन्य कॉलोनी पश्चिम: प्लॉट नं. 60	9 फरवरी 19 रु. 11,36,552/- (रुपये ग्यारह लाख छत्तीस हजार पांच सौ बावन मात्र)	4.11.2019

स्थान: उत्तर प्रदेश
तिथि: 4.11.2019

हस्ता./-
प्राधिकृत अधिकारी
मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. के लिये

MAJESTIC AUTO LIMITED

MAJESTIC AUTO LIMITED

CIN: L35911DL1973PLC353132, Regd. Office: 10, Southern Avenue, Maharani Bagh, New Delhi-110065
Corporate Office: A-110, Sector-4, Noida-201301 Contact: 0120-4348907, www.majesticauto.in, email: info@majesticauto.in

EXTRACT OF THE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

(Rs. in Lakhs)

Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter ended			Half Year Ended		Year ended	Quarter ended			Half Year Ended		Year ended
	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	1,166	974	967	2,139	1,619	9,168	2,039	1,854	1,707	3,890	3,399	12,693
Net Profit/(Loss) from continuing operation before Tax	390	192	238	582	117	4,519	618	545	358	1,163	839	5,659
Net Profit/(Loss) from discontinued operation before Tax	-	-	(2)	-	(50)	(1,263)	-	-	(2)	-	(50)	(1,263)
Net Profit/(Loss) from continuing operation after Tax	363	157	253	520	96	4,743	521	491	362	1,001	698	5,649
Net Profit/(Loss) from discontinued operation after Tax	-	-	50	-	(112)	(1,148)	-	-	50	-	(112)	(1,148)
Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,247	367	(3,597)	1,614	(4,426)	(3,390)	1,404	691	(3,496)	2,095	(3,835)	(2,498)
Equity Share Capital	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
Other equity (as shown in the Audited Balance Sheet)						38,828						37,862
Earning Per Share (EPS) Face value of Rs.10/- each) Earnings Per Share in Rs. (from continuing and discontinued operations)												
Basic	3.50	1.51	2.92	5.00	(0.15)	34.57	5.01	4.62	3.87	9.63	5.53	43.28
Diluted	3.50	1.51	2.92	5.00	(0.15)	34.57	5.01	4.62	3.87	9.63	5.53	43.28

Note:

a) The unaudited consolidated and standalone financial results for the quarter and half year ended on September 30, 2019 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on November 08, 2019.

b) The above is an extract of the detailed format of the Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019 filed with the Stock Exchanges under regulations 33 of the SEBI (Listing obligations and other disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and Company's website: www.majesticauto.in.

For Majestic Auto Ltd.
Sd/-
(Mahesh Munjal)
Managing Director

Place : Noida
Date : 08.11.2019

फार्म संख्या आईएनसी-26

[कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) एवं कम्पनीज (निगमन) नियमन, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामले में

एवं

इनकर्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड (पूर्व में विसू लीजिंग एण्ड फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से विदित) (दि कम्पनी) (CIN: U74899DL1991PLC042659) जिसका पंजीकृत कार्यालय 406, चौथी मंजिल, कम्पीटेन्ट हाऊस, मिडिल सर्कल, एफ-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में स्थित है, के मामले में .....याचिकाकर्त्ता

सार्वजनिक सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की बुधवार 25 सितम्बर, 2019 को सम्पन्न वार्षिक साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प में कम्पनी के मैमोरन्डम ऑफ एसोशियेसन के क्लॉज II में बदलाव कर केन्द्रीय सरकार से पुष्टीकरण हेतु आवेदन का प्रस्ताव कर रही है ताकि कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय **राष्ट्रीय क्षेत्र ऑफ दिल्ली से मुम्बई, महाराष्ट्रा राज्य** में बदला जा सके।

किसी भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के प्रस्तावित पंजीकृत कार्यालय के बदलाव से हित प्रभावित होता हो, वह अपनी आपत्ति के कारणों अथवा अपनी आपत्तियाँ अपने हित के विरोध स्वरूप को या तो एमसीए-21 के पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र में शपथपत्र के साथ पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, नई दिल्ली– 110003 को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से चौदह के दिनों के भीतर भेजे, सीथ में उसकी एक प्रतिलिपि बावेदक कम्पनी के उसके निम्न वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर भी भेजे।

पताः 406, चौथी मंजिल, कम्पीटैन्ट हाऊस, मिडिल सर्कल, एफ-ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

इनकर्ड फाईनेन्शियल सर्विसेस लिमिटेड की ओर से उनके लिए
हस्ता०/–
भूपीन्दर सिंह
पूर्णकालिक निदेशक एण्ड सीईओ
DIN : 07342318

तिथि: 08.11.2019
स्थान : मुम्बई

SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.

CIN: L74899DL1985PLC021445; Website: www.selanoil.com
Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110 043
E-mail : investors@selanoil.com; Telefax No. : 0124-4200326

Extract of Unaudited Financial Results for the Period ended Sep 30, 2019

(₹ in Lakhs)

	PARTICULARS	Quarter Ended Sep 30, 2019 (Unaudited)	Quarter Ended Sep 30, 2018 (Unaudited)	Six Months Ended Sep 30,2019 (Unaudited)	Six Months Ended Sep 30,2018 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations (net)	2,234	2,456	4,484	5,148
2.	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	840	1,397	1,672	2,822
3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	840	1,397	1,672	2,822
4.	Total Comprehensive Income (after tax)	838	1,401	1,670	2,825
5.	Equity Share Capital (face value Rs. 10/-)	1,520	1,640	1,520	1,640
6	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)				
7.	Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of Rs. 10/- each				
	Basic :	5.53	8.52	10.89	17.21
	Diluted :	5.53	8.52	10.89	17.21

Notes :

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange website : www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website : www.selanoil.com.

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.
R. KAPUR
Chairman
DIN:00017172

Place : New Delhi
Date : 09 November 2019

www.selanoil.com

फार्म नं. आईएनसी–28

[कम्पनी (निगम) नियम 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) और नियम 30(4) (ए) कम्पनीज (निगमन) नियम, 2014]

तथा

फीनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : ग्रेस एनेक्सी, लेवल 2, इंडिया आर्केड सिटिज़न सेंटर, बंसल महल के पीछे ग्रेस सिनेमा दिल्ली सेंटर 110025 में है, के मामले में।

.....आवेदक कंपनी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी इसके पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "महाराष्ट्र राज्य" में स्थानान्तरण हेतु कम्पनी को सक्षम बनाने के लिए 27 सितम्बर 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संबंध में कम्पनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि करने के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन केन्द्रीय सरकार को आवेदन करना प्रस्तावित करते हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो विशेषज्ञ शिकायत प्रपत्र फाइल कर शिकायत करने का समर्थन / या शपथपत्र के साथ पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिन के भीतर बी–2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली–110003 को या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या मुहरे कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उसके निम्नलिखित रजिस्टर्ड कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

फीनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ग्रेस एनेक्सी, लेवल 2, इंडिया आर्केड सिटिज़न सेंटर, बंसल महल के पीछे ग्रेस सिनेमा दिल्ली ग्रेस दिल्ली 110025

कृते कम्पनी लिए और उसकी ओर से
ह०/–
श्री दीपक केसरवानी
निदेशक : 08 नवम्बर 2019 — कम्पनी सचिव
स्थान : दिल्ली — एसीएस : 42040

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED

CIN: L24124UP1981PLC005282
REGD. OFFICE: 51/47 NAYAGANJ, KANPUR - 208 001

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2019 (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30.09.2019 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2019 (Unaudited)	Corresponding 3 Months ended 30.09.2018 (Unaudited)
1.	Total income from operations	-	-	424.81
2.	Net Profit/(Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.45)	(25.59)	5.74
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.45)	(25.59)	5.74
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(12.45)	(25.59)	5.74
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(12.11)	(25.25)	5.74
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs 10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	-	-	-

Notes:

1. Due to seasonal nature of business the tax provision is considered at the year end, hence profit/loss figures shown above are before tax and EPS also not calculated.
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly/Half Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website, www.bseindia.com and on the Company's website, www.khandelwalextractions.com

For and on behalf of the Board of Directors
Dinesh Khandelwal
Director (Finance & CFO)
DIN: 00161831

Place: KANPUR
Date: 09.11.2019

प्रपत्र – 'जी'
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	इंटेलिजिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	09/11/2012
3.	प्राधिकारी जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / कंपनी सदस्य पहचान संख्या	U45400DL2012PTC244744
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	एफ-47, विकासपुरी, विकास मार्ग के पास, नई दिल्ली-110018
6.	कार्पोरेट देनदार को ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि	13/08/2019 (कार्पोरेट एप्लीकेंट द्वारा पीठ आदेश दिनांक 27/08/2019 का, 13/09/2019 को आदेश हुआ)
7.	प्रोफोर्मा की प्रस्तुत किए के आवेदन की तिथि	09/11/2019 (पहले 24/10/2019 और 29/09/2019)
8.	साइट की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता	कृपया आईबीबीआई की वेबसाइट https://www.ibbi.gov.in/webforms/legal_framework.php पर देखें और www.intellicityerp.com पर भी उपलब्ध है। विवरण ईमेल intellicityerp@gmail.com पर भी प्राप्त किया जा सकता है।
9.	धारा 29ए के अधीन आवेदक के पात्रता	जैसा कि धारा 29ए के तहत परिभाषित
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	25/11/2019 (पहले 07/11/2019 और 12/10/2019)
11.	संभावित समाधान आवेदकों को अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	30/11/2019 (पहले 12/11/2019 और 22/10/2019)
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05/12/2019 (पहले 17/11/2019 और 26/10/2019)
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06/12/2019 (पहले 26/11/2019 और 01/11/2019)
14.	संभावित समाधान आवेदकों के सुलभ प्रारूप, सूचनाज्ञापन मेमोरेंडम तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	06/12/2019 (पहले 17/11/2019 और 26/10/2019)
15.	समाधान योजना, सूचनाज्ञापन मेमोरेंडम, सूचना प्रारूप तथा अभिरुचि सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त करने की तिथि	समाधान ऐसे आवेदक जो धारा 29ए के अनुसार समाधान योजना, सूचनाज्ञापन मेमोरेंडम और सूचना प्रारूप के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम के माध्यम से अनुरोध पत्र प्राप्त की जाएगी। अभिरुचि अभिव्यक्ति के लिए आवेदक ईमेल द्वारा सम्पर्क, विवरण को ईमेल कर सकते हैं intellicityerp@gmail.com
16.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06/01/2020 (पहले 16/12/2019 और 27/11/2019)
17.	समाधान आवेदकों का समाधान योजना देने की तिथि	समाधान आवेदक अंतिम सूची में शामिल समाधान योजना या योजनाओं को, जो भी समाधान पेशेवर के मत में अनुपालन योजना के पात्र हों, इलेक्ट्रानिक माध्यम से और उस संख्या में जो समिति को उचित लगेगा, विचारार्थ में भेजा जाएगा। समाधान योजना में अंतर के विचार अनुसार का प्रदान किए जाएंगे।
18.	समाधान योजना अनुमोदन हेतु अंतिम तिथि	20/01/2020 या उससे पहले सीओसी द्वारा अनुमोदित (पहले 31/12/2019 और 15/12/2019)
19.	समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	श्री सतीश कपूर रजिस्ट्रेशन नंबर : IBBI/IPA-001/IP-N00127/2017-2018/10294
20.	समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-मेल, जिसके अंतर्गत वह पंजीकृत है	श्री सतीश कपूर कुमार पार्क – 7, डीडीए फ्लैट्स, ई-ब्लॉक, इंडस्ट्रीयल सेक्टर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – 110085 ईमेल: sanveer1_dlan@yahoo.com
21.	क्या फीस ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साथ पंजीकृत के लिए उपयुक्त किया जाना है	फीस कि धारा 29ए के अधीन किया गया है
22.	प्रपत्र 'जी' के प्रकाशन की तिथि	09/11/2019

नोट : इस "फॉर्म जी" में उल्लिखित समाधान समाधान प्रोफेशनल इसके पश्चात के विवरण के अनुसार के अधीन है।

ह०/–
सतीश कपूर
समाधान पेशेवर
इंटेलिजिटी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के लिए
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-001/IP-N00127/2017-2018/10294
पूजा पार्क – 7, डीडीए फ्लैट्स, ई–ब्लॉक, इंडस्ट्रीयल सेक्टर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – 110085

तिथि: 09/11/2019
स्थान : नई दिल्ली

यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केन्द्र, ल.वि.वि., लखनऊ

पत्रांक: 501/यू.जी.सी.–एच.आर.डी.सी./एल.यू. दिनांक 08.11.2019

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए भोजन व्यवस्था हेतु दिनांक 15.11.2019 को सायं 4.00 बजे तक अल्पकालीन निविदा आमंत्रित है। निविदा का विस्तृत विवरण कार्यालय की वेबसाइट www.ascllko.ac.in से प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक

---

3 नवम्बर, 2019 को प्रकाशित प्रपत्र ए का शुद्धिपत्र
सार्वजनिक उद्घोषणा

(भारत दिवाली तथा दिवालिया मंडल (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाली प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत)

मै. हॉरिजन कंसेप्ट प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

रॉ नं. 10 को इस प्रकार पढ़ें (जहां पत्राचार के लिये ईमेल आईडी गलत था)

10	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने के लिये पता तथा ईमेल	पताः एमपीआर एंड क., ई–62, एलजीएफ, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024 ईमेल का पताः irp.horizonconcept@gmail.com ऑनलाइन दावे जमा करनाः https://www.marketclear.in/#/HORIZON-CONCEPT

मनीश गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-19/11826

स्थानः दिल्ली
तिथिः 9.11.2019

इलाहाबाद बैंक
मण्डलीय कार्यालय, मेरठ, 55 दी माल, मेरठ कैन्ट

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्रतिभूत अधिकारी, इलाहाबाद बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता / जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कॉलम में सूचना में उल्लिखित धनराशि को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने हेतु बुलाते हुए एक मांग सूचना निर्गत की जाती थी।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक को **कब्जा** कर लिया है।

जनता को विशेष रूप से और बैंक को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के संव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई व्यवहार इलाहाबाद बैंक के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा राशि
1. श्री परमिन्दर सिंह खुराना पुत्र जगजीत सिंह 2. श्रीमती दलजीत कौर खुराना पत्नि श्री परमिन्दर सिंह खुराना 3. श्री मनमोहन सिंह खुराना पुत्र श्री परमिन्दर सिंह खुराना सभी निवासी जिला नं. 38, सुपरटेक सीन विलेज, नूर नगर, हापुड़ बाईपास रोड, मेरठ	एक आवासीय जिला नं. 38, क्षेत्रफल 2886 वर्ग फुट स्थित सुपरटेक सीन विलेज, नूर नगर, हापुड़ बाईपास रोड, मेरठ, जिला मेरठ। सीमायें:– पूर्व– रोड, पश्चिम– खुला क्षेत्र, उत्तर – जिला नं. 39, दक्षिण– जिला नं. 37	04.05.2019	05.11.2019	रु. 66,47,286.00 + ब्याज व अन्य खर्च

दिनांक– 08.11.2019 — स्थान – मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank

शाखाः मॉडल टाउन, रेवाड़ी, हरियाणा–123401

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)
[अधिनियम–नियम 8(1) के अंतर्गत परिशिष्ट IV]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक (शाखाः मॉडल टाउन, रेवाड़ी) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/गारन्टरों/सम्पत्ति के स्वामी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 नवम्बर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस पर आगे के ब्याज, लागतों आदि के साथ यहां नीचे वर्णित राशि के लिये सिंडिकेट बैंक (शाखाः मॉडल टाउन, रेवाड़ी) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों/गारन्टरों का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः श्री वीरेन्दर कुमार पुत्र श्री बनारसी दास गारन्टरः श्री कुलदीप नरूला पुत्र श्री राम मूर्ति	श्री वीरेन्दर कुमार के स्वामित्व में मोहल्ला कायस्थवारा, रेवाड़ी में स्थित शॉप नं. 215/871 (पार्ट)। सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः श्री पवन गुप्ता की दुकान, पश्चिमः रास्ता/गली, उत्तरः बंद गली, दक्षिणः पुर्षोत्तम दास की दुकान	रु. 14,01,443.70 (रुपये चौदह लाख एक हजार चार सौ तैंतालिस तथा पैसे सत्तर मात्र) 31.10.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, लागत आदि।	9.5.2018 कब्जा सूचना की तिथि 6.11.2019
ऋणधारकः मै. बनारसी दास हरीश कुमार, प्रॉप. श्री हरीश कुमार, पुत्र श्री बनारसी दास, एच. नं. 3931/32 (भूतल) मोहल्ला, टंडुवारा, रेवाडी–123401 गारन्टर(रों): 1) श्री कुलदीप नरूला, पुत्र श्री राम मूर्ति, एच. नं. 3299–ए, मोहल्ला बंजरवाला, रेवाड़ी–123401 2) श्री सतीश कुमार, पुत्र श्री बनारसी दास, एच. नं. 3931/32, मोहल्ला टंडुवारा, रेवाड़ी–123401	श्री हरीश कुमार, पुत्र श्री बनारसी दास के स्वामित्व में मकान सं. 3931/32 (भूतल) जो शिव मंदिर, मोहल्ला टंडुवारा, रेवाड़ी–123401 में स्थित है। **सम्पत्ति की चौहद्दीः** पूर्वः गंदी गली, पश्चिमः रास्ता तथा सतीश + हरीश का मकान एवं आर.के. कौशिक, उत्तरः चुन्नी लाल का मकान, दक्षिणः सतीश + हरीश एवं आर.के. कौशिक का मकान	रु. 19,23,645.65 (रुपये उन्नीस लाख तैईस हजार छः सौ पैंतालिस तथा पैसे पैंसठ मात्र) 31.7.2019 को तथा उस पर आगे का ब्याज, लागत आदि	**मांग सूचना तिथि** 27.8.2019 कब्जा सूचना की तिथिः 6.11.2019

तिथिः 10.11.2019 — स्थानः रेवाड़ी — प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक

SHALIMAR PAINTS LIMITED

CIN No.: L24222HR1902PLC065611
Regd. Office: Stainless Centre, 4th Floor, Plot No. 50, Sector 32 Gurugram -122001, Haryana
Website: www.shalimarpaints.com
Email: askus@shalimarpaints.com Ph No. : +91 124 4616600

REGULATION 47 (1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015
EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2019

(Rs in Crore except for Shares and EPS)

Consolidated Financial Results

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Six Months Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Six Months Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	82.08	85.06	71.74	167.14	123.19	287.62
2	EBITDA#	0.15	0.26	(6.29)	0.42	(18.20)	(59.68)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.50)	(6.16)	(14.90)	(13.66)	(35.18)	(93.50)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(7.50)	(6.16)	(14.90)	(13.66)	(35.18)	(109.18)
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(5.27)	(5.35)	(10.10)	(10.62)	(24.85)	(81.78)
6	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profits /(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	(5.28)	(5.35)	(10.13)	(10.63)	(24.91)	(82.35)
7	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	10.86	10.86	4.50	10.86	4.50	10.73
8	Other Equity				-	-	284.54
9	Earnings Per Share (Face Value of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations)-						
	Basic:	(0.97)	(0.99)	(4.49)	(1.96)	(11.30)	(15.24)
	Diluted*	(0.97)	(0.99)	(4.49)	(1.96)	(11.30)	(15.24)

Standalone Financial Information

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Six Months Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Six Months Ended 30.09.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1	Total Income from Operations	82.08	85.06	71.74	167.14	123.19	287.62
2	EBITDA#	0.23	0.33	(6.22)	0.56	(18.17)	(59.40)
3	Net Profit for the period before tax	(7.42)	(8.08)	(14.85)	(15.50)	(35.06)	(108.89)
4	Net Profit for the period after tax	(5.17)	(5.32)	(10.06)	(10.49)	(24.76)	(81.57)

* Anti-dilutive
#EBITDA= Earning before Interest, Tax and Depreciation & Amortization

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half yearly Financial Results for the quarter/ half year ended September 30, 2019, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half year Financial Results for the quarter/half year ended September 30, 2019 is available on the website of Stock Exchanges at (www.bseindia.com / www.nseindia.com) as well as on the Company's Website at (www.shalimarpaints.com).
2. On 4th Jan 2019, The parent company has allotted 3,11,43,042 equity shares of face value Rs. 2/- each at the price of Rs. 64.50/- per share (including premium of Rs. 62.50/- per share) aggregating to Rs. 200.87 Crore to the eligible equity shareholders on right basis in the ratio of 3 equity shares for every 2 equity shares held.

Proceeds from the right issue have been utilised in the following manner -

Particulars	Proposed to be utilised as per Letter of offer	Proposed to be utilised (revised)*	Utilised during the financial year 2018-19	Utilised during six month ended 30.09.2019	To be utilised
Project of reinstatement of paint manufacturing plant at Nashik	45.68	44.92	20.35	19.08	5.49
Setting up of Regional Distribution Centre (RDC) at Nashik	3.40	0.40	-	0.09	0.31
Long Term Working Capital Requirements	117.38	121.14	87.09	34.05	-
General Corporate purposes	34.15	34.15	11.37	22.78	-
Expenses for Rights Issue	0.26	0.26	0.26	0.00	-
Total	**200.87**	**200.87**	**119.07**	**76.00**	**5.80**

* There is increase in the allocation of funds towards Long Term Working Capital Requirement, and the same has been allocated through reduction in Nashik project (including RDC) cost.

3. These Consolidated Unaudited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on November 9, 2019. Limited Review of these results are in accordance with Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 has been carried out by the Statutory Auditors.

For and on behalf of the Board
Ashok Kumar Gupta
Director
DIN: 01122395

Place: Gurugram
Date: Nov 09, 2019

फार्म-ए
सार्वजनिक सूचना

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन)

विक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संक्षिप्त विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणी का नाम	विक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणी के समावेश की तिथि	03.07.2015
3.	प्राधिकारी जिसके अधीन कॉर्पोरेट व्यक्ति समावेश/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज
4.	कॉर्पोरेट पहचान नंबर/ कॉर्पोरेट ऋणी का सीमित देयता पहचान नंबर	U74110DL2015PTC282392
5.	कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	पंजीकृत कार्यालयः बी–4, धवाला, अंकर गार्डन, विकास पुरी, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली–110018
6.	कॉर्पोरेट ऋणी के परिसमापन की शुरुआती तिथि	आदेश की तिथि: 31.10.2019, आदेश प्राप्त की तिथि: 07.11.2019
7.	दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने की तिथि से 180 दिन (05.05.2020)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में कार्यरत दिवालियापन पेशेवर का नाम व पंजीकरण नंबर	आदित्य कुमार रजि. नं.: IBBI/IPA-001/IP-N00338/2017-18/10609
9.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता व ई-मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है।	आदित्य कुमार, 103, प्रताप भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ईमेल: aditya@ashwaniassociates.in
10.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर से पत्राचार के लिए प्रयोग की जाने वाली ईमेल तथा पता	आदित्य कुमार, 103, प्रताप भवन, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 ईमेल: victronics@ashwaniassociates.in
11.	दावों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.11.2019
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा विनियम धारा 21 की उप-धारा (6ए) के खण्ड (बी) के अधीन ऋणी की श्रेणी, यदि कोई है	लागू नहीं
13.	श्रेणी में ऋणी के प्रतिभूत प्रतिभूति के रूप में चिह्नित दिवालियापन पेशेवर के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(क) संचित फार्म और (ख) प्रतिभूत प्रतिभूति का विवरण का प्रारूप है:	(क) वेबसाईट: https://ibbi.gov.in/downloadform.html (इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 अंतर्गत फॉर्म) (ख) लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि 07.11.2019 को आइ.डी.बी.आई. बैंक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के आदेश नं. सीपी नं. (आईबी)-2341(एनडी) 2019 के द्वारा दिनांक 31.10.2019 को विक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड की कार्पोरेट दिवालियापन प्रस्ताव प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है।

विक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेशन्स प्राई

विदेशी मुद्रा भंडार 446.09 अरब डॉलर की रेकॉर्ड ऊंचाई पर

मुंबई, 9 नवंबर (भाषा)।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार एक नवंबर को समाप्त सप्ताह में 3.52 अरब डॉलर बढ़कर 446.09 अरब डॉलर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताहांत में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.83 अरब डॉलर बढ़कर 442.58 अरब डॉलर हो गया था।

रिजर्व बैंक ने कहा कि आलोच्य सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 3.201 अरब डॉलर बढ़कर 413.65 अरब डॉलर हो गई।

लक्ष्मी विलास बैंक का दूसरी तिमाही में घाटा बढ़कर 357 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक का घाटा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 357.18 करोड़ रुपए हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में बैंक को 132.31 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था।

शेयर बाजार को उपलब्ध कराई जानकारी के अनुसार समीक्षावधि में बैंक की कुल आय 665.33 करोड़ रुपए रही जो पिछले साल इसी अवधि में 800.50 करोड़ रुपए थी। इस दौरान बैंक की ब्याज से आय घटकर 607.33 करोड़ रुपए रह गई। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 729.29 करोड़ रुपए थी। समीक्षावधि में बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 12.31 फीसद से घटकर उसके सकल ऋण के 21.25 फीसद पर पहुंच गई। इस अवधि में बैंक का शुद्ध एनपीए उसके सकल ऋण का 10.47 फीसद हो गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6.88 फीसद था।

इस दौरान बैंक का फंसे कर्ज के लिए प्रावधान 303.07 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 146.05 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में बैंक का घाटा 594.42 करोड़ रुपए रहा जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 256.17 करोड़ रुपए था। इस दौरान बैंक की कुल आय 1,342.50 करोड़ रुपए हो गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1,588 करोड़ रुपए था।

उद्योग जगत ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

अयोध्या भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के शनिवार के फैसले का भारतीय उद्योग जगत ने एक 'पुराने कानूनी विवाद का समाधान' और न्यायपालिका का 'साहसिक फैसला' बताते हुए इसका स्वागत किया है।

उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे दशकों के कानूनी विवाद का हल बताया। महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने इसे न्यायालय का अभूतपूर्व साहस बताया। महिंद्रा ने ट्वीट कर कहा कि वह पीठ के पांचों न्यायाधीशों के अभूतपूर्व साहस को सराहते हैं। उन्होंने लिखा- पांच न्यायाधीश, एक फैसला, जिसका इंतजार 130 करोड़ लोगों को था। इस फैसले पर पहुंचने के लिए पीठ को कितने असाधारण साहस और मस्तिष्क के अद्भुत प्रयोग की जरूरत पड़ी होगी। मैं उनकी कर्तव्य परायणता और अपने देश में न्याय को लागू करने के लिए उनको सलाम करता हूं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का एकमत से लिया गया स्वागत योग्य फैसला है। इस फैसले ने दशकों पुराने कानूनी वाद का अंत कर दिया है। उन्होंने अपील भी की कि लोगों को न्यायालय का फैसला स्वीकार करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। न्यायालय का यह ऐतिहासिक फैसला हमारी संस्कृति, परंपरा और एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका के साथ उन सभी संगठनों, लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मसले को सुलझाने में मदद की।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया- हमें अयोध्या के मुद्दे पर न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए।

इफ्को के प्रबंध निदेशक यूएस अवस्थी ने ट्वीट किया- सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विवादित स्थल राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने और मुसलिमों को पांच एकड़ की दूसरी भूमि देने के फैसले का स्वागत करते हैं। यह पूरे मुद्दे का अच्छा शांतिपूर्ण हल है। हमें शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए।

उद्योग मंडल पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। इसके लिए चेंबर के अध्यक्ष डीके अग्रवाल ने देश के हर नागरिक को बधाई दी है।

मूडीज के क्रेडिट रेटिंग घटाने पर भारत की सख्त प्रतिक्रिया

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

वैश्विक रेटिंग एजंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के क्रेडिट रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से घटाकर नकारात्मक कर दिया। उसने कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर जारी सुस्ती को दूर करने में नाकाम रही है। इस कारण आर्थिक वृद्धि के नीचे बने रहने का जोखिम बढ़ गया है। उधर, सरकार ने मूडीज के भारत की रेटिंग का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक करने पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।

मूडीज ने भारत के लिए दीर्घावधि में स्थानीय मुद्रा जारी करने की रेटिंग और विदेशी मुद्रा रेटिंग को बीएए-2 रखा है। यह निवेश के लिहाज से दूसरा निचला ग्रेड स्कोर है। रेटिंग एजंसी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.7 फीसद पर रहने का अनुमान है। यह सरकार के राजकोषीय घाटे के 3.3 फीसद पर रखने के लक्ष्य से काफी नीचे है। सुस्त आर्थिक वृद्धि और कॉरपोरेट कर में अचानक की गई कटौती से राजस्व वृद्धि कमजोर रहने का अनुमान लगाया गया है।

मूडीज ने एक बयान में कहा कि यह परिदृश्य आंशिक रूप से आर्थिक सुस्ती को दूर करने में सरकार और नीति की अक्षमता को दर्शाता है। इसके कारण कर्ज का बोझ बढ़ रहा है जो पहले से ही उच्च स्तर पर है। इसमें कहा गया- नकारात्मक परिदृश्य इस ओर इशारा करता है कि निकट अवधि में परिदृश्य में सुधार होने की उम्मीद नहीं है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में गिरकर पांच फीसद पर आ गई है। यह 2013 के बाद सबसे कम वृद्धि दर है।

रेटिंग एजंसी ने कहा कि रेटिंग परिदृश्य को स्थिर से बदलकर नकारात्मक करना इस जोखिम को दर्शाता है कि आर्थिक वृद्धि पहले की तुलना में कम रह सकती है। यह लंबे समय से चली आ रही आर्थिक व संस्थागत आर्थिक कमजोरी को दूर करने में सरकार की प्रभावी नीति में कमी को दर्शाता है। इनकी वजह से देश का कर्ज धीरे-धीरे बढ़ेगा, जोकि पहले से ही उच्च स्तर पर है।

रेटिंग घटाने पर वित्त मंत्रालय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक मजबूत बने हुए हैं और सरकार की ओर से किए गए उपायों से निवेश में तेजी आएगी। वित्त मंत्रालय ने मूडीज के रेटिंग घटाने का जवाब देते हुए कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्तीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कई उपाय किए हैं।

बीएसएनएल-एमटीएनएल के 60 हजार कर्मियों ने किया वीआरएस के लिए आवेदन

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 60,000 से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए आवेदन कर चुके हैं। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कंपनी के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक पीके पुरवार ने कहा कि अब तक बीएसएनएल और एमटीएनएल के 60,000 से अधिक कर्मचारी वीआरएस का विकल्प अपना चुके हैं। इसमें बीएसएनएल के अकेले 57,000 से अधिक कर्मचारी हैं। प्रकाश ने कहा कि वीआरएस योजना को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। सरकार ने कुल 94,000 कर्मचारियों को वीआएस देने का लक्ष्य रखा था। इसका मकसद विलय के बाद बनने वाली संयुक्त कंपनी को दो साल के भीतर लाभ में लाना है।

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LTD.
CIN NO.L51909DL1933PLC009509
Regd. Office : 4-A, Hansalaya, 15, Barakhamba Road New Delhi 110 001
Phone No.011-23316409, 23310414 Fax No. 011-23322473
Email: udsm_shamli@sirshadilal.com : website www.sirshadilal.com

Abstract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30th September, 2019
(Rs. In Lacs)

Particulars	Quarter ended			Six Months ended		Previous Accounting Year ended
	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
Total Income from Operations	12464.21	15028.26	7090.30	27492.47	15810.24	37360.47
Net Profit(+)/Loss(-) for the period[before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+) 58.32	(-) 64.70	(-)755.49	(-) 6.38	(-) 1568.58	(-) 3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period before tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+) 58.32	(-) 64.70	(-) 755.49	(-) 6.38	(-) 1568.58	(-) 3501.60
Net Profit(+)/Loss(-) for the period after tax [after Exceptional and/ or Extraordinary items]	(+) 58.32	(-) 64.70	(-) 755.49	(-) 6.38	(-) 1568.58	(-) 3501.60
Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income for the period (after tax)	(+) 45.96	(+) 77.34	(-) 696.76	(+) 123.30	(-) 1490.87	(-) 3488.82
Paid-up Equity Share Capital	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00
Earning per share (not annualized of Rs. 10/-) Basic and Diluted	+1.111	-1.232	-14.390	-0.121	-29.878	-66.697

Note:
1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com and the Company's website at www.sirshadilal.com
2. The above result have been subject to "Limited Review" by Auditors of the Company and have been reviewed and recommended by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 9th November, 2019.

for Sir Shadi Lal Enterprises Ltd.
Sd/-
(Rajat Lal)
Managing Director

Place : New Delhi
Dated : 9th November,2019

दक्षिण मध्य रेलवे
द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाईट www.scr.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है

39 ऐसे प्रयोज्य बाजी डीजल लोकोज जो दक्षिण मध्य रेलवे की आवश्यकताओं से अधिशेष हैं, को जैसा है जहां है आधार पर निपटान करने का प्रस्ताव है (काजीपेट -27 नगः गुण्टाकालः 5 नग, गूटीः 4 नग, मौलालीः 3 नग)
इच्छुक पार्टी प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, 6ठा तल, रेल निलायम, दक्षिण मध्य रेलवे-500071 के पास अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा कर सकते हैं। उनसे यह भी अनुरोध है कि आईआरईपीएस की वेबसाईटः www.ireps.gov.in में अग्रिम में अपना पंजीकरण कराऐं।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक, कार्यालयः पीसीएमएम/दक्षिण मध्य रेलवे, 6ठा तल, रेल निलायम, सिकन्दराबाद-500071, सम्पर्क नं.: 9701370754
A1840 प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/सिकन्दराबाद

Kohinoor Foods Ltd.
Regd./Corporate Office: Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Suraj Kund, Faridabad, Haryana-121001, Ph. No. 0129-4242222, Fax No. 0129-4242233
E-Mail: info@kohinoorfoods.in, Visit us at: www.kohinoorfoods.in
CIN - L52110HR1989PLC070351

NOTICE
Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 14th day of November, 2019 at the Registered Office of the Company situated at Pinnacle Business Tower, 10th Floor, Shooting Range Road, Surajkund, Faridabad, Haryana - 121001 to inter-alia consider and approve the following business:
1. The Un-audited Financial Results of the Company for the Quarter/Half Year ending on 30th September, 2019 and
2. Any other matter as may be considered appropriate by the Board

By Order of the Board of Directors
For Kohinoor Foods Ltd.
Sd/-
Deepak Kaushal
Company Secretary & Manager (Legal)

Place: Faridabad
Date: 8th November, 2019

S CHAND AND COMPANY LIMITED
Registered Office: A-27, 2nd Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044; Email: investors@schandgroup.com
Website: www.schandgroup.com; Phone: +91 11 49731800
Fax: +91 11 49731801; CIN: L22219DL1970PLC005400

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 12, 2019 at the Registered Office of the Company to, inter-alia, consider and approve the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2019.
The said information is also available on the Company's website at www.schandgroup.com and on the website of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For S Chand And Company Limited
Sd/-
Jagdeep Singh
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Dated: October 30, 2019

Genus
energizing lives
GENUS PAPER & BOARDS LIMITED
CIN: L21098UP2012PLC048300
Regd. Office : Vill. Aghwanpur, Kanth Road, Moradabad-244001, Uttar Pradesh
Corporate Office: D-116, Okhla Industrial Area, Phase-I , New Delhi-110020
Ph.:0591-2511171 | Fax: 0591-2511242 | E-mail: cs@genuspaper.com | Website: www.genuspaper.com,

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019
(Rs. in Lakhs)

S. No.	PARTICULARS	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED	
		30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)	30-Sep-19 (Unaudited)	30-Sep-18 (Unaudited)
1	Total income from operations	7708.60	13248.74	14762.33	25597.85
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	354.48	270.34	692.85	997.73
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	354.48	270.34	692.85	997.73
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	567.88	144.71	778.99	651.70
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	567.88	144.71	778.99	651.70
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	2571.26	2571.26	2571.26	2571.26
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Face value of Re.1/- each) - (not annualised) (amount in Rs.)				
	Basic :	0.22	0.06	0.30	0.25
	Diluted:	0.22	0.06	0.30	0.25

Notes:
1. The above unaudited financial results of Genus Paper & Boards Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on November 09,2019. Limited review of these results has required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 , has been completed by the statutory auditors of the Company. The Statutory Auditor has issued an unqualified review report thereon.
2. The Above financial results of the Company have been prepared in accordance with India Accounting Standards (IND AS) prescribed under section of The Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
3. Company's business activity falls within a single line of business segment,i.e, Kraft paper, in terms of Ind AS 108 "Operating Segments".
4. The turnover of the current quarter and half year has decreased as compared to corresponding quarter and half year of last year due to the termination of the lease agreement for Kraft Paper Manufacturing facility located at Kashipur, Uttrakhand.
5. Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, Wherever necessary to conform to those current year Classification.

For and on behalf of the Board of Directors
(Himanshu Aganwal)
Whole Time Director
DIN: 00065185

Place: Moradabad
Date : November 09, 2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank
BRANCH - BADALPUR.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.07.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें ऋणधारकों [illegible] बरसाबाद, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर 203207 और गारन्टर [illegible] नगर गांव कपेरा बरसाबाद, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर 203207 खातापारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रु.- 13,26,035.82/- (रुपये तेरह लाख छब्बीस हजार तीस और बासठ पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर दिनांक 01.07.2019 से ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05 नवम्बर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, बादलपुर शाखा को देय धनराशि रु.- 13,26,035.82/- अदा करने को तथा उस पर दिनांक 01.07.2019 से ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण
भूमि और इमारत जिसकी माप 0.0291 हे0, आई.ई. 291 कार्पेयर मीटर, खसरा नं0 252, गांव बिरानूली, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर-प्रदेश मालिक अनीता नागर। जिसकी सीमाऐं- उत्तर में अन्य सम्पत्ति, दक्षिण में रास्ता और फैक्ट्री, पूर्व में रास्ता और पश्चिम में देवेन्द्र की सम्पत्ति।

दिनांक: 05.11.2019
स्थान: बादलपुर।
प्राधिकृत अधिकारी, सिंडिकेट बैंक।

उत्तरांचल लीजिंग लिमिटेड
सीआईएन : L65920DL1984PLC018830
पंजीकृत कार्यालय : डी-5/105, एफ/एफ, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
दूरभाष : 011-40564147
ई-मेल : uttaranchalleasingltd@gmail.com
वेबसाइट : www.uttaranchalleasing.in
बोर्ड की बैठक की सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा छमाही के लिए अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन तथा रिकार्ड के लिए तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यापार के लेन-देन के लिए कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बृहस्पतिवार, 14 नवम्बर, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न डी-5/105, अवध कॉम्पलेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 पर आयोजित की जायेगी। पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन के अनुसार आन्तरिक ट्रेडिंग की रोकथाम हेतु आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभूतियों में संव्यवहार न करने हेतु ट्रेडिंग विंडो 11 नवम्बर, 2019 से 15 नवम्बर, 2019 तक (दोनों तिथियाँ शामिल) बन्द रहेंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया वेबसाइट देखें।
कृते उत्तरांचल लीजिंग लिमिटेड
ह./-
अनिता पँवार
निदेशक
डीआईएन : 05175806
स्थान : दिल्ली
तिथि : 09.11.2019

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED
Regd. Office : Sector 128, Noida 201 304 [U.P]
Head Office: "JA House", 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057
Phone : + 91 (120) 4609000; FAX : + 91 (120) 4609464; CIN : L14106UP1995PLC019017 Website : www.jalindia.com, E-mail: jal.investor@jalindia.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2019
(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter Ended 30.09.2019 [Unaudited]	Half Year Ended 30.09.2019 [Unaudited]	Quarter Ended 30.09.2018 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2019 [Audited]	Quarter Ended 30.09.2019 [Unaudited]	Half Year Ended 30.09.2019 [Unaudited]	Quarter Ended 30.09.2018 [Unaudited]	Year Ended 31.03.2019 [Audited]
1.	Total Income from Operations	102263	222251	190388	683323	215658	457619	284740	1082075
2.	Net Profit / (Loss) for the period [before Tax, Exceptional and Extraordinary Items]	(20755)	(36638)	(4053)	(35024)	(76897)	(151761)	(51851)	(219676)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(16181)	(32064)	(4068)	(77368)	(72323)	(147187)	(51849)	(252494)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax [after Exceptional and Extraordinary Items]	(16181)	(32064)	(4068)	(77368)	(71060)	(146154)	(51849)	(270951)
5.	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(16181)	(32064)	(4068)	(77057)	(71072)	(146164)	(51847)	(270613)
6.	Equity Share Capital [of ₹ 2/- per share]	48649	48649	48649	48649	48649	48649	48649	48649
7.	Other Equity [excluding Revaluation Reserve]				826697				56937
8.	Earnings Per Share [of ₹ 2/- per share] [for continuing and discontinued operations]:								
	Basic	₹ (0.67)	₹ (1.32)	₹ (0.17)	₹ (3.18)	₹ (2.21)	₹ (4.57)	₹ (1.54)	₹ (8.68)
	Diluted	₹ (0.67)	₹ (1.32)	₹ (0.17)	₹ (3.18)	₹ (2.21)	₹ (4.57)	₹ (1.54)	₹ (8.68)

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended 30th September, 2019 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended 30th September, 2019 Financial Results are available on the Stock Exchanges Website www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's Website, www.jalindia.com.

JAYPEE GROUP
NO DREAM TOO BIG

MANOJ GAUR
Executive Chairman
DIN 00008480

Place : Noida
Dated : 9th November, 2019

HDB FINANCIAL SERVICES
पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009, शाखा कार्यालयः बिल्डिंग नं. 59, 1ला एवं IIरा तल, पंचकुइयाँ रोड, आर.के. आश्रम मेट्रो के निकट, नई दिल्ली-110001

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

आप नीचे वर्णित ऋणधारक तथा सह-ऋणधारक तथा गारन्टरों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभूतियों) को गिरवी रखकर एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस से ऋण(णों)/वित्तीय सुविधा(एँ) प्राप्त की है तथा उसे वापस लौटाने में चूक की है। आपकी चूक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदुपरान्त, कम्पनी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसका विषय-वस्तु प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (2) के अनुसार प्रकाशित किया जा रहा है तथा वैकल्पिक सेवा के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है।
ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, ऋण खाता सं., ऋण राशि, धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि, सूचना में दावा की गई राशि, एनपीए तिथि एवं प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

1. **ऋणधारक एवं सह-ऋणधारकों का नामः** सुपर सिटी डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, एच. नं. 70, हरगोविन्द एन्क्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110042, साथ ही: 6, भारती आर्टिस्ट कॉलोनी, नई दिल्ली-110092, साथ ही: प्लॉट नं. 82, ब्लॉक-सी, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, सूरज मिगलानी (ऋण खाता संख्या 598088), एच. नं. 22, भूतल, चित्रा विहार, नई दिल्ली-110092, दीपक मिगलानी, सी-82, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, शिवानी मिगलानी (ऋण खाता संख्या 598088), एच. नं. 22, भूतल, चित्रा विहार, नई दिल्ली-110092, मीनू मिगलानी,सी-82 प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, खाता नं. 598088, 1492208 तथा 950906 जो यूनिक आईडी नम्बर 543790 से जुड़ा है, ऋण राशिः रु. 80000000/- (रुपये आठ करोड़ मात्र); मांग सूचना तिथिः 23.10.2019, **मांग की गई राशिः** 12 अक्टूबर, 2019 को रु. 61987586 (रुपये छः करोड़ उन्नीस लाख सतासी हजार पांच सौ छियासी मात्र) तथा अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के साथ वास्तविक वसूली तक अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज; एनपीए तिथिः 3.9.2019, प्रतिभूति का विवरणः मीनू मिगलानी तथा दीपक मिगलानी के नाम में दर्ज प्लॉट नं.-82, ब्लॉक-सी, प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092, माप 309.63 वर्ग मी. का सभी भाग तथा हिस्सा, पंजीकरण दस्तावेजः वॉल्यूम नं. 3071, पेज 86 से 119 तथा 120 से 169 पर क्रमांग 10645 तथा 10646, तिथि 22.10.2017 को उप-रजिस्ट्रार, नई दिल्ली कार्यालय में; सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. 81, उत्तरः सर्विस लेन, दक्षिणः रोड।

अतएव, आप ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों तथा गारन्टरों को निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित आगे के ब्याज के साथ उपरोक्त मांग की गई सम्पूर्ण राशि का भुगतान करें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाई करने के लिए बाध्य होंगे।
(ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।)
कृपया, ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अंतर्गत आप हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूतियों को अंतरित करने के अधिकार से वंचित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 (13) का उल्लंघन उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए सम्पर्क करेंः श्री हरदीप संभरवाल, फोनः 9654965496
अथवा श्री यज्ञेश मेधावी, फोनः 9310890352

हस्ता./-
एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए
(प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः मुम्बई
तिथिः 9.11.2019

सिख समुदाय के सम्मान में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव पेश

वाशिंगटन, 9 नवंबर (भाषा)।

अमेरिका के शीर्ष सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को मान्यता देने और देश के प्रति अमेरिकी सिखों के योगदान को सम्मान देने की बात कही गई है।

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व से पहले पेश इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अमेरिका और दुनियाभर में रहने वाले सिख उन मूल्यों एवं समानता के विचारों, सेवा तथा ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव का पालन करते हैं जिन्हें नानक ने अपने उपदेशों में बताया था।

सीनेट में शुक्रवार को डेमोक्रेटिक सीनेटर डिक डर्बिन, बॉब मेनेनडेज और बेन कार्डिन ने यह प्रस्ताव पेश किया, जबकि प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव रिपब्लिकन पार्टी के कांग्रेस सांसद ग्रेग पेंस, डेमोक्रेटिक पार्टी से पीटर विस्क्लोस्की की ओर से पेश किया गया।

डर्बिन ने कहा, 'अमेरिकी सिख नागरिकों ने अमेरिका की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को समृद्ध किया है। इसके साथ ही उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों के सदस्य के तौर पर भी सेवा दी है तथा कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, आतिथ्य-सत्कार, ट्रक चलाने और दवा क्षेत्र में योगदान दिया है।'

प्रस्ताव में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व को मान्यता देने और देश के प्रति अमेरिकी सिखों के योगदान को सम्मान देने की बात कही गई है।

मेनेनडेज ने कहा, 'सिख समुदाय ने न्यूजर्सी और समूचे अमेरिका में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कई उद्यमों के माध्यम से नागरिक जीवन में अनगिनत योगदान किया है।' उन्होंने कहा, 'प्रस्ताव में कहा गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में सिखों की बदौलत अमेरिका एक बेहतर देश बना है। पिछले महीने मुझे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जाने का अवसर मिला और वहां जाकर सिख धर्म में निहित मूल्यों के प्रति मेरी श्रद्धा और गहरी हो गई। अमेरिकी सिख नागरिक पीढ़ियों से अमेरिका का गौरवशाली हिस्सा रहे हैं और वे अपने तरीके से देश तथा समुदायों को समृद्ध करते रहेंगे'।

करतारपुर गलियारा खुलने पर बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान

क्षेत्रीय शांति की प्रतिबद्धता का प्रमाण

करतारपुर (पाकिस्तान), 9 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा कि ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गलियारे को खोलना क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में पाकिस्तान की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने सिख धर्म के संस्थापक बाबा गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर सिख समुदाय को बधाई दी।

गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रावी नदी के पार है और यह पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से करीब चार किलोमीटर दूर है। करतारपुर साहिब गलियारे को खोलने के मौके पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा मानना है कि क्षेत्र की समृद्धि का रास्ता और आने वाली पीढ़ियों का उज्ज्वल भविष्य शांति में निहित है।'

सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने उनके हवाले से कहा, 'आज हम केवल सीमा नहीं खोल रहे हैं बल्कि सिख समुदाय के लिए अपने दिलों को भी खोल रहे हैं।' खान ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा दिखाई सद्भावना की अभूतपूर्व भावना बाबा गुरु नानक देव और सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं के लिए उसके गहरे सम्मान को दर्शाती है। खबर के अनुसार, खान ने इस ऐतिहासिक दिन पर सीमा के दोनों ओर तथा दुनियाभर के सिख समुदाय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मानना है कि परस्पर सौहार्द्र और शांति के एक साथ रहने से इस उपमहाद्वीप के लोगों के वृहद हितों के लिए काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान धार्मिक स्थलों और प्रार्थना स्थलों की पवित्रता तथा प्रतिष्ठा का सम्मान करते हैं। भारत के सिख श्रद्धालु शनिवार को बहु प्रतीक्षित करतारपुर गलियारे के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आव्रजन के वास्ते जीरो प्वाइंट पर पहुंचे। पाकिस्तान ने आव्रजन के लिए 76 काउंटर बनाए हैं। सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंच गए हैं।

करतारपुर

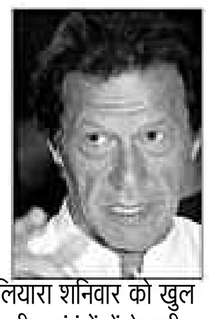

गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल जिले के करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ता है। यह गलियारा शनिवार को खुल गया जो दोनों देशों के बीच संबंधों में बेहतरी की उम्मीद देने के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क की ऐतिहासिक पहल है।

'करतारपुर गलियारे से भारत-पाक को साथ लाने का बड़ा मौका'

दुबई, 9 नवंबर (भाषा)।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के सिख समुदाय के एक नेता ने कहा कि करतारपुर साहिब गलियारे का खोला जाना सिख समुदाय के लिए भारत और पाकिस्तान को साथ लाने का बड़ा मौका है। इस पावन मौके के लिए उन्होंने दोनों देशों के नेताओं का आभार जताया। सुरेंद्र सिंह कंधारी ने कहा कि सिखों के लिए करतारपुर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यहीं पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। उन्होंने कहा, 'हमारे लिए यह स्थान पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तरह ही महत्वपूर्ण है। हम गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार दुबई में और यूएई में समस्त सिख और भारतीय समुदाय की ओर से इस फैसले पर बहुत खुश हैं।' कंधारी ने कहा कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार, दुबई इस अवसर पर मार्ग खोले जाने को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के कदम की भी प्रशंसा करता है। उन्होंने आयोजन को सिख समुदाय के लिए इस मुश्किल घड़ी में भारत और पाकिस्तान को साथ लाने का भी एक बड़ा अवसर बताया। कंधारी ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि यह आयोजन दोनों को साथ लाएगा और सहयोग तथा शांतिपूर्ण माहौल से आगे संबंध बेहतर होंगे।'

शरीफ को उपचार के लिए लंदन लेकर जाएंगे शहबाज

लाहौर, 9 नवंबर (भाषा)।

पाकिस्तान मुसलिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) अध्यक्ष शहबाज शरीफ बीमारी से जूझ रहे अपने भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उपचार के लिए लंदन लेकर जाएंगे। नवाज शरीफ की बेटी मरयम नवाज ने मीडिया को बताया था कि 69 वर्षीय नवाज शरीफ चिकित्सकों की सलाह और परिवार के अनुरोध पर लंदन जाने को लेकर शुक्रवार को राजी हो गए। 'जियो न्यूज' ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शहबाज रविवार को अपने भाई को उपचार के लिए लेकर जाएंगे।

रिपोर्ट में बताया गया कि नवाज शरीफ के उपचार के लिए हार्ले स्ट्रीट क्लीनिक में प्रबंध किए गए हैं। शहबाज और शरीफ रविवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआइएल) के विमान से लंदन जाएंगे।

सीरिया में कुर्दों ने की तुर्की सेना पर पत्थरबाजी

माब्दा (सीरिया), 9 नवंबर (एएफपी)।

पूर्वोत्तर सीरिया में शुक्रवार गश्त के दौरान तुर्की सेना के वाहनों पर कुर्द प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की जिसमें एक वाहन की चपेट में आकर एक नागरिक की मौत हो गई। एएफपी संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की सीमा के पास माब्दा शहर में कुछ लोगों ने गश्त के कर रहे तुर्की सेना के काफिले पर जूते और पत्थर बरसाए।

इसी बीच डेरिक कस्बे में बड़ा बख्तरबंद वाहन एक युवक को रौंदते हुए निकल गया। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया। घटना की निगरानी कर रहे सीरियन ऑब्जर्वेट्री फॉर ह्यूमन राइट्स समूह ने जानकारी दी कि आंतरिक रक्तस्राव के कारण युवक की मौत हो गई। शहर में अन्य स्थानों पर गश्त कर रही रूसी-तुर्की सेना के प्रति कुर्द ग्रामीणों ने ऐसी ही हिंसक प्रतिक्रिया दी है।

तुर्की सेना और उनके सीरियाई विद्रोही समर्थकों ने सीरिया में नौ अक्तूबर को कुर्द बलों पर घातक हमला किया था।

'दलाई लामा के उत्तराधिकारी का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए'

वाशिंगटन, 9 नवंबर (एएफपी)।

अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामलों के लिए अमेरिका के विशेष दूत ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनने का मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया जाए ताकि तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता का उत्तराधिकारी चुनने की चीन की कोशिश को रोका जा सके। अमेरिकी विशेष दूत सैम ब्राउनबैक ने कहा कि उन्होंने 84 वर्षीय दलाई लामा से धर्मशाला में पिछले सप्ताह मुलाकात कर उत्तराधिकारी के मामले पर लंबी चर्चा की थी। ब्राउनबैक ने बताया कि उन्होंने दलाई लामा से कहा कि अमेरिका इस बात के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा कि अगले आध्यात्मिक नेता का चयन 'चीन सरकार नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायी तिब्बती करें।'

उन्होंने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र इस मामले को उठाएगा।' ब्राउनबैक ने स्वीकार किया कि सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति रखने वाला चीन इस संबंधी हर कदम को बाधित करने की कोशिश करेगा लेकिन बाकी देश संयुक्त राष्ट्र में अपनी आवाज तो उठा सकते है।

ऑस्कर विजेता पोलांस्की पर बलात्कार का आरोप लगाया पूर्व मॉडल ने

पेरिस, 9 नवंबर (एएफपी)।

फ्रांस की पूर्व मॉडल ने ऑस्कर विजेता निर्देशक रोमन पोलांस्की पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्विस स्की रिजॉर्ट में उनसे बलात्कार किया था। मॉडल के मुताबिक, घटना तब की है जब वह किशोरी थी। पोलांस्की (86) एक लड़की से बलात्कार करने का आरोप स्वीकार करने के बाद 1978 में अमेरिका से फ्रांस भाग गए थे। वेलैंटाइन मॉनीयर ने ले पारिसियन अखबार को बताया कि घटना 1975 में गस्ताद स्थित पोलांस्की के घर की है।

दो बुजुर्ग भारतीय महिलाओं ने पूरी की वीलचेयर पर पांच किमी की दौड़

दुबई, 9 नवंबर (भाषा)।

यूएई में दो बुजुर्ग भारतीय महिलाओं ने वीलचेयर पर पांच किलोमीटर की दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की। कुसुम भार्गव (86) और ईश्वरी अम्मा (78) ने शुक्रवार को 'दुबई रन' में हिस्सा लिया था।

कुसुम भार्गव (86) 'दुबई रन' में हिस्सा लेने वाली सबसे बुजुर्ग प्रतियोगी थीं। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह एक बेहतरीन अनुभव रहा। भार्गव ने कहा, 'मैं कई लोगों से मिली, जिन्होंने मेरे साथ तस्वीर भी ली। मैंने पांच किलोमीटर की दौड़ पूरी की और इसका श्रेय मेरी बहू को जाता है।' वहीं, शारजाह की रहने वाली अम्मा इसमें हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज प्रतिभागियों में से एक थीं। उन्होंने भी अपनी बहू और नाती-पोतों के साथ दौड़ में हिस्सा लिया।

उनके परिवार के सदस्यों ने ही दौड़ की शुरुआत से अंत तक वीलचेयर को धक्का दिया। अमा ने कहा, 'मेरा बेटा हमेशा हमें दुबई लाकर शेख जायद रोड और उसके आस-पास की खूबसूरत इमारतें दिखाता था। आज, अपने पैरों पर यहां होने का अनुभव कमाल का था।'

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

मॉस मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मॉस मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	28/08/1990
3.	प्रशासनिक निकाय अधीन कार्पोरेट देनदार नियोजित/परिचालित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74899DL1990PTC041296
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	प्लॉट नंबर 49ए, पहली मंजिल, गली नंबर 38 गढ़ी टहराना रोड, कलाम पार्क नई दिल्ली -110065
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	07/11/2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	06/05/2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**विष्णु दत्त** IBBI/IPA-001/IP-P00102/2017-18/10202
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है।	216, अलकनंदी मार्केट, डिफेन्स एन्क्लेव, नई दिल्ली-110065 ईमेल: vishnudutt2510@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	216, अलकनंदी मार्केट, डिफेन्स एन्क्लेव, नई दिल्ली - 110065 ईमेल: vishnudutt2510@yahoo.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22/11/2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6ए) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिर्धारित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ) संबंधित प्रपत्र और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण एवं उपलब्धता है	(वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads) भौतिक पता: लागू नहीं

घोषणा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **07 नवंबर, 2019** को **मॉस मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

मॉस मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे का प्रमाण **22 नवंबर, 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष उनके आईटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फार्म अथवा साबक्ष प्रपत्र की प्रस्तुति दर्शनीय होगी।

इत्यादि/-
विष्णु दत्त
अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P00102/2017-18/10202

दिनांक : 09 नवंबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

आदाब होटल्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	आदाब होटल्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	24/07/1995
3.	प्रशासनिक निकाय अधीन कार्पोरेट देनदार नियोजित/परिचालित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U55101DL1995PLC063635
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	51, सी.सी.आई.टी.सी., बाराखंभा, नई दिल्ली- 110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	06/11/2019
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	03/05/2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**अतुल कुमार** आईबी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00357/2017-18/11007
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है।	पता: बी-17, सोसायटी मंडल, जनकपुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 ईमेल: atulkdv@gmail.com मोबाइल: 9810431518
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	पता: बी-17, सोसायटी मंडल, जनकपुरी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 ईमेल: atulkdv@gmail.com मोबाइल: 9810431518
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	20 नवंबर 2019 (आईआरपी की नियुक्ति की तारीख से 14 दिन)
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6ए) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिर्धारित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
13.	किसी श्रेणी के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14.	(अ) संबंधित प्रपत्र और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण एवं उपलब्धता है	(अ) वेब लिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ब) भौतिक पता: लागू नहीं

घोषणा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक **08 नवंबर, 2019** को **आदाब होटल्स लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

आदाब होटल्स लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावे का प्रमाण **20 नवंबर, 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष उनके आईटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फार्म अथवा साबक्ष प्रपत्र की प्रस्तुति दर्शनीय होगी।

इत्यादि/-
अतुल कुमार
अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल
आईबी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00357/2017-18/11007

दिनांक : 08 नवंबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13/01/2005
3.	प्रशासनिक निकाय अधीन कार्पोरेट देनदार नियोजित/परिचालित है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	सीआईएन: U45201DL2005PTC132056
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	**पंजीकृत कार्यालय**: बी-03, पहली मंजिल, ओरिएंट क्रैफ्ट कॉम्प्लेक्स, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 **कॉर्पोरेट**: एवीपी एन्क्लेव, सेक्टर-03 सी, सेक्टर-77, नोएडा-201301 (यूपी)
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	05/11/2019 (आदेश की प्रति: 08/11/2019 को प्राप्त हुई)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	04-05-2020 (दिनांक: प्रक्रिया आरंभ होने की तिथि से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**रमेश कुमार गुप्ता** **पंजीकरण संख्या**: IBBI/IPA-001/IP-P00225/2017-18/10424
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है।	404, पीबी चैंबर, अलीपुर हिस्सा, सदर पहाड़, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110002 ईमेल: marishrivak@yahoo.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	**रमेश कुमार गुप्ता** 404, पीबी चैंबर, अलीपुर हिस्सा, सदर पहाड़, दिल्ली कैंट, दिल्ली-110002 ईमेल: avpbuildtech.ip@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22/11/2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (6ए) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिर्धारित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	वित्तीय ऋणदाता के कार्पोरेट प्रतिनिधि
13.	किसी श्रेणी के लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. श्री रविंद्र राजपूत 2. श्री राजीव वर्मा 3. श्री प्रवीण जायसवाल
14.	(अ) संबंधित प्रपत्र और (ब) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण एवं उपलब्धता है	(अ) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ब) 1. श्री रविंद्र राजपूत ईमेल: nidogaassociates1@gmail.com पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P01036/2018-19/12000 बी-4, पहली मंजिल, 7, दिन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110001 2. श्री राजीव वर्मा ईमेल: drsahi@firmca.com पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P01036/2018-19/12000 3. श्री प्रवीण जायसवाल ईमेल: praveen.jaiswal@gmail.com पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P01036/2018-19/12000

घोषणा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक **08 नवंबर 2019** को **एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **22 नवंबर 2019** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष उनके आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी श्रेणी के ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के रूप में कार्य करने के लिए प्रोफेशनल नं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि चयन तीन में निर्दिष्ट करेंगे।

भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार दावों का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दावों का प्रमाण निम्नलिखित विनियम दावों के समक्ष में दावे, दस्तावेजों प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना है।

फार्म बी – परिचालन लेनदारों (कर्मचारी और कर्मचारियों को छोड़कर) के दावों के लिए; **फार्म सी** – वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए; **फार्म डी** – परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए; **फार्म ई** – कामगार और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए; **फार्म एफ** – लेनदारों द्वारा दावे, वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा।

प्रपत्र की प्रति प्राप्त करने के लिए आप www.ibbi.gov.in वेबसाइट के माध्यम प्राप्त कर सकते हैं जैसा की कार्पोरेट दिवाला और ऋण शोध अक्षमता कोड (दिवाला समाधान) कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया विनियम, 2016 के तहत निर्धारित है।

दावे के फार्म अथवा साबक्ष प्रपत्र की प्रस्तुति दर्शनीय होगी। सभी लेनदारों को सलाह दी जाती है कि वे दावा करते समय अपने पैन, इनेबल आईडी और पते संबंधी का अभिलेख साथ में संलग्न करें।

इत्यादि/-
रमेश कुमार गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
आईबीबीआई पंजीकरण संख्या- IBBI/IPA-001/IP-P00225/2017-18/10424

दिनांक : 08 नवंबर 2019
स्थान : नई दिल्ली

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF JAY PRESTRESSED PRODUCTS LTD.

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of corporate debtor	JAY PRESTRESSED PRODUCTS LTD.
2.	Date of incorporation of corporate debtor	02/07/1941
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC-Kolkata
4.	Corporate identity No. of corporate debtor	U51909WB1941PLC010655
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	**Reg. Office:** 113, NETAJI SUBHASH ROAD, 4TH FLOOR, ROOM NO.59, KOLKATA WB 700001 IN **Office:** C-47 WAZIRPUR INDUSTRIAL AREA, WAZIRPUR DELHI 110052 DL IN
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	08.11.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	05.05.2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	CA Nitesh Kumar More, IBBI/IPA-001/IP-P01087/2017-18/11785
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	18 Rabindra Sarani, Gate No 1, 7th Floor, Room No 701, Kolkata 700001, nmore2001@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	18 Rabindra Sarani, Gate No 1, 7th Floor, Room No 701, Kolkata:700001, nmore2001@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	22.11.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es): Nil
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N.A.
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads Physical Address: N.A.

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the JAY PRESTRESSED PRODUCTS LTD on 8.11.2019.

The creditors of JAY PRESTRESSED PRODUCTS LTD, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 22.11.2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No 13 to act as authorised representative of the class (specify class) in Form CA. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional : CA Nitesh Kumar More, IBBI/IPA-001/IP- P01087/2017-18/11785
Place : Kolkata
Date : 09.11.2019

जय उशिन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : जीआई-48, जी.टी. करनाल रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110033
सीआईएन : L52110DL1986PLC025118, ई-मेल : julinvestors@jushinindia.com
वेबसाइट : www.pjmgroup.co.in, दूरभाष : 91(124)-4623400, फैक्स : +91(124)-4623403

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही हेतु स्टैण्डअलोन एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	स्टैण्ड एलान						समेकित					
		समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त छमाही		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष
		30.09.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2018 (अलेखा परीक्षित)	30.06.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2018 (अलेखा परीक्षित)	31.03.2019 (लेखा परीक्षित)	30.09.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2018 (अलेखा परीक्षित)	30.06.2019 (अलेखा परीक्षित)	30.09.2018 (अलेखा परीक्षित)	31.03.2019 (लेखा परीक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय	16,953.10	35,009.31	47,309.88	18,056.21	24,934.16	85,493.16	16,953.10	35,009.31	–	18,056.21	–	85,493.16
2.	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित	225.83	429.47	710.27	203.64

खबर कोना

लंदन में चेलसिया और क्रिस्टल पैलेस के बीच हुए इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबाल मैच के दौरान खिलाड़ी।

तमिलनाडु ने राजस्थान को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की

तिरुवनंतपुरम, 9 नवंबर (भाषा)।

तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्राफी टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप बी में शनिवार को राजस्थान को 39 रन से शिकस्त देकर लगातार दूसरी जीत हासिल की। बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद तमिलनाडु ने पांच विकेट पर 169 रन बनाए और फिर राजस्थान को निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 116 रन पर रोककर जीत दर्ज की। मुरली विजय (35) और एन जगदीशन (48) ने पहले विकेट के लिए 54 रन जोड़कर अच्छी शुरूआत कराई। विजय के आउट होने के बाद कप्तान दिनेश कार्तिक (48) ने 48 रन जोड़े। विजय शंकर ने अंत में 11 गेंद में एक छक्के से 15 रन बनाकर तमिलनाडु को 169 रन तक पहुंचाया। इसके जवाब में राजस्थान ने शुरूआती विकेट जल्दी गंवा दिए जिसके बाद टीम इन झटकों से नहीं उबर सकी और आठ विकेट पर 116 रन ही बना सकी। तमिलनाडु और विदर्भ ने दोनों मैचों में जीत हासिल की जिससे दोनों ग्रुप बी में आठ अंक से बढ़त बनाए हैं। ग्रुप के अन्य मैचों में त्रिपुरा ने मणिपुर को हराकर चार अंक हासिल किए जबकि विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को मात दी।

हर साल आइसीसी टूर्नामेंट के पक्ष में नहीं ईसीबी

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आइसीसी को सूचित किया है कि वह 2023 से 2031 तक हर साल आइसीसी टूर्नामेंट कराने के पक्ष में नहीं है। भारतीय बोर्ड पहले ही इसका विरोध कर चुका है और क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने उसका समर्थन किया है। ऐसा समझा जाता है कि विश्व क्रिकेट के 'बिग थ्री' के बीच सहमति बनने के बाद आइसीसी की राह मुश्किल होगी।

ईसीबी अध्यक्ष कोलिन ग्रेव्स ने आइसीसी के मुख्य कार्यकारी मनु साहनी को एक ईमेल में कहा, 'ईसीबी 2023 से 2031 के बीच हर साल आइसीसी टूर्नामेंट कराने के पक्ष में नहीं है।' दुबई में आइसीसी की पिछली बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि आठ साल की अवधि में 2023 से 2031 के बीच 50 ओवरों के दो विश्व कप, चार टी20 विश्व कप और दो बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। ग्रेव्स ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव मानने से उसके अपने द्विपक्षीय करारों पर असर पड़ेगा।

चहल ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की : रोहित

नागपुर, 9 नवंबर (भाषा)।

लेग स्पिनर युजवेन्द्र चहल एक बार फिर से बीच के ओवरों में अपनी उपयोगिता साबित करने में सफल रहे जिसने भारत के कार्यवाहक कप्तान रोहित शर्मा को भी प्रभावित किया। एकदिवसीय विश्व कप के बाद चहल और कुलदीप यादव को वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 श्रृंखला की टीम में जगह नहीं दी गई थी। चयनकर्ता अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहते थे।

चहल ने बांग्लादेश के खिलाफ वापसी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया जबकि कुलदीप को अब भी टीम में मौके का इंतजार है। रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टी20 से पहले शनिवार को कहा, 'यह काफी नई टीम है लेकिन पिछले दो वर्षों से सीमित ओवरों के प्रारूप में चहल का प्रदर्शन कमाल का रहा है। उन्होंने एकदिवसीय प्रारूप में भी शानदार प्रदर्शन किया है।'

भारतीय कप्तान ने कहा, 'उन्होंने आइपीएल में अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत की एकदिवसीय टीम में जगह बनाई। उसके बाद से ही वह टीम के अहम सदस्य हैं और उन्होंने इस श्रृंखला में भी साबित किया है कि बीच के ओवरों में वह टीम के लिए कितने उपयोगी हैं।' रोहित ने कहा कि चहल अपनी सोच से बल्लेबाजों को चकमा देने में सफल रहते हैं जो उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाता है।

राजकोट के दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने एक ही ओवर में मुशफिकुर रहीम और सौम्य सरकार का विकेट चटकाकर बांग्लादेश की रनगति को कम करने में अहम भूमिका निभाई थी।

उन्होंने कहा, 'चहल जानते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और वह यह भी जानते हैं कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह खेल में हमेशा बल्लेबाज से आगे रहना चाहते हैं। इस कारण से किसी भी बल्लेबाज के लिए उनका सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वह इसे अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके पास विविधता और कौशल की कमी नहीं है।'

> *'उन्होंने (चहल)* आइपीएल में अच्छे प्रदर्शन के दम पर भारत की एकदिवसीय टीम में जगह बनाई। उसके बाद से ही वह टीम के अहम सदस्य हैं और उन्होंने इस श्रृंखला में भी साबित किया है कि बीच के ओवरों में वह टीम के लिए कितने उपयोगी हैं।' रोहित ने कहा कि चहल अपनी सोच से बल्लेबाजों को चकमा देने में सफल रहते हैं जो उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाता है।'

बांग्लादेश के खिलाफ चौकन्ना भारत

आखिरी टी20 में भारतीय टीम की नजरें घरेलू सरजमीं पर इस प्रारूप की पहली श्रृंखला जीतने पर

नागपुर, 9 नवंबर (भाषा)।

बांग्लादेश के खिलाफ रविवार को तीसरे और आखिरी टी20 में भारतीय टीम की नजरें घरेलू सरजमीं पर सबसे छोटे प्रारूप की पहली श्रृंखला जीतने पर होगी। कप्तान विराट कोहली सहित कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम श्रृंखला अपने नाम करने के साथ अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए कोर खिलाड़ियों की पहचान करना चाहेगी।

पिछले मैचों में गेंदबाज कुलदीप यादव की जगह टीम में चुने गए वाशिंगटन सुंदर काफी किफायती रहे लेकिन विकेट चटकाने के मामले में चहल से पीछे छूट गए। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने दोनों मैचों में रन लुटाए। रोहित ने पहले दोनों टी20 मैचों की टीम में कोई बदलाव नहीं किया जिससे मनीष पांडे, संजू सैमसन और राहुल चाहर जैसे खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। नागपुर में अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो उन्हें खुद को साबित करने के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टी20 श्रृंखला का इंतजार करना होगा।

भारतीय टीम में नए खिलाड़ियों के साथ अनुभवी शिखर धवन और युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत भी टीम में जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धवन बल्ले से जबकि पंत बल्ले के साथ विकेट के पीछे भी अपने खराब प्रदर्शन के कारण आलोचना झेल रहे हैं। रविवार को दोनों खिलाड़ियों के पास आलोचकों को चुप करने का एक मौका होगा।

राजकोट में दूसरे टी20 में भी टीम को अच्छी शुरूआत मिली लेकिन वे इसका फायदा नहीं उठा सके और टीम 20 ओवर में सिर्फ 153 रन बना सकी।

बांग्लादेश के लिए 20 साल के लेग स्पिनर अमीनुल इस्लाम ने अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है। उन्होंने किफायती रहते हुए चार विकेट चटकाए। बांग्लादेश को हालांकि तेज गेंदबाजी में सुधार करना होगा खासकर टीम के मुख्य गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने में नाकाम रहे है।

मैच शाम सात बजे से

टीम

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), खलील अहमद, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, राहुल चाहर, शिखर धवन, शिवम दुबे, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, क्रुणाल पंड्या, ऋषभ पंत, लोकेश राहुल, संजू सैमसन, वाशिगटन सुंदर और शारदुल ठाकुर।

बांग्लादेश : महमूदुल्लाह रियाद (कप्तान), ताईजुल इस्लाम, मोहम्मद मिथुन, लिटन दास, सौम्य सरकार, नईम शेख, मुशफिकुर रहीम, आफिफ हुसैन, मोसादेक हुसैन सेकत, अमीनुल इस्लाम बिप्लब, अराफात सनी, अबू हिदेर, अल अमीन हुसैन, मुस्तफिजूर रहमान और शफीउल इस्लाम।

सात्विक और चिराग की जोड़ी चीन ओपन के सेमीफाइनल में हारी

फुझोउ, 9 नवंबर (भाषा)।

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष युगल जोड़ी को शनिवार को चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी गिडियोन और केविन संजय सुकामुल्जो की तीन बार की चैंपियन जोड़ी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी की हार के साथ ही बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर सुपर 750 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती भी समाप्त हो गई।

सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को शीर्ष वरीयता प्राप्त और विश्व की नंबर एक इंडोनेशियाई जोड़ी से 16-21 20-22 से हार मिली। विश्व रैंकिंग में नौवें पायदान पर काबिज भारतीय जोड़ी की मार्कस एवं केविन की जोड़ी के खिलाफ यह लगातार आठवीं हार है जिसमें पिछले महीने फ्रेंच ओपन के फाइनल में मिली शिकस्त भी शामिल है। इस साल अगस्त में थाईलैंड ओपन का खिताब जीतने वाले सात्विक एवं चिराग की जोड़ी को इंडोनेशिया की जोड़ी ने इस साल तीसरी बार हराया है। टूर्नामेंट में भारत के अन्य खिलाड़ी पहले ही बाहर हो गए थे।

स्वर्ण पदकधारी संदीप की नजरें सफलता दोहराने पर

दुबई, 9 नवंबर (भाषा)।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी संदीप चौधरी (एफ 64) की नजरें इस सफलता को तोक्यो ओलंपिक में दोहराने की है।

संदीप ने शुक्रवार को 66.18 मीटर दूर भाला फेंककर एफ 44 वर्ग में 65.80 मीटर के अपने विश्व रिकार्ड को बेहतर करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत के ही सुमित अंटिल ने 60.45 मीटर के अपने एफ 64 विश्व रिकार्ड से अच्छा प्रदर्शन किया और 62.88 मीटर की दूरी से रजत पदक हासिल किया।

स्वर्ण और रजत पदक के साथ ही दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने पैरालंपिक कोटा भी हासिल कर लिया। विश्व चैंपियनशिप में एफ 44 और एफ 64 को एक संयुक्त स्पर्धा बनाया गया है। विश्व रिकार्ड हालांकि खिलाड़ियों के क्लासिफिकेशन के आधार पर ही दर्ज होंगे।

तेइस साल के संदीप ने कहा, 'तोक्यो 2020 में पदक जीतना मेरा मुख्य लक्ष्य है।'

महमूदुल्लाह की कप्तानी में धोनी की झलक : पठान

नई दिल्ली, 9 नवंबर (भाषा)।

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान का मानना है कि बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह रियाद में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की झलक दिखती है। महमूदुल्लाह की अगुवाई में बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत को हराया था। यह बांग्लादेश की भारत पर टी20 में पहली जीत थी।

पठान ने एक कार्यक्रम में कहा, 'जब आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक के खिलाफ मैच जीतते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। महमूदुल्लाह ने मैच के दौरान जिस तरह के फैसले लिए उसमे महान कप्तान की झलक दिखी।'

बांग्लादेश हालांकि जीत की लय को बरकरार नहीं रख पाया और राजकोट में खेले गए दूसरे एकदिवसीय में टीम ने आसानी से घुटने टेक दिए। श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मुकाबला रविवार को नागपुर में खेला जाएगा। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश की सफलता काफी हद तक विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम के प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

तेजस्विनी ने भारत को 12वां ओलंपिक कोटा दिलाया, पदक से चूकीं

दोहा, 9 नवंबर (भाषा)।

अनुभवी निशानेबाज तेजस्विनी सावंत ने भारत को निशानेबाजी में 12वां ओलंपिक कोटा दिलाया लेकिन वह शनिवार को 14वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में पदक हासिल करने से चूक गईं। पूर्व विश्व चैंपियन तेजस्विनी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन के फाइनल में पहुंचकर अगले साल के ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल किया। आठ फाइनलिस्ट में से पांच पहले ही तोक्यो का टिकट कटवा चुकी थीं जिससे भारत ने तीन उपलब्ध कोटों में से एक अपने नाम किया।

तेजस्विनी (39 वर्षीय) क्वालीफिकेशन में 1171 अंक के स्कोर से पांचवें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची। फाइनल में हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें 435.8 अंक के स्कोर से चौथे स्थान से संतुष्ट होना पड़ा। दूसरी सीरीज में वह तीसरे स्थान पर चल रही थी लेकिन 8.8 के निशाने से वह पिछड़ गईं। अगर उन्हें अगले साल तोक्यो ओलंपिक की टीम में चुना जाता है तो वह अपने पहले ओलंपिक में भाग लेंगी क्योंकि वह इससे पहले 2008, 2012 और 2016 में टीम में जगह बनाने से चूक चुकी हैं।

30 सितम्बर 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए वित्तीय परिणामों का सारांश (रु. करोड़)

क्र. सं.	विवरण	एकल					समेकित				
		30.09.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2019 को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	30.09.2019 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित) (पुनर्वर्गित के अधीन नहीं)	30.09.2019 को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित)	30.09.2018 को समाप्त छमाही (अलेखापरीक्षित) (पुनर्वर्गित के अधीन नहीं)	31.03.2019 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	प्रचालन से कुल आय	22754.57	22261.08	46857.16	44864.58	90307.43	24459.70	23347.95	50390.81	47361.18	95742.03
2	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारणमद पहले से पूर्व)	3497.72	2634.68	6660.11	5645.81	12672.52	3671.32	2689.87	7100.13	5813.53	13627.94
3	कर पूर्व निवल लाभ (असाधारणमद के पश्चात)	3497.72	2634.68	6660.11	5645.81	12672.52	3671.32	2689.87	7100.13	5813.53	13627.94
4	कर पश्चात् लाभ	3262.44	2426.02	5885.23	5014.16	11749.89	3408.92	2477.28	6249.20	5166.24	12633.46
5	कर पश्चात् निवल लाभ स्वामियों के संलग्नक के योगदान योग						3400.84	2485.68	6237.96	5194.85	12640.02
6	कर पश्चात् कुल व्यापक आय	3193.35	2817.00	5738.43	4994.30	11548.02	3347.16	2489.73	6126.09	5175.22	12442.18
7	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.56	9894.56	8245.46	9894.56	8245.46	9894.56
8	पुनर्मूल्यांकन-पश्च के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आरक्षित को छोड़कर अन्य इक्विटी			100254.97	95166.99	97913.61			103325.15	98118.79	100142.43
9	निवल मूल्य *			109529.71	103760.23	106771.54			112553.70	106717.73	109936.49
10	चुकता ऋण पूंजी			137540.75	122851.53	127430.48			156604.98	140250.21	145723.29
11	ऋण-पश्च परिशोधन प्रावधित निधि			7469.93	7093.81	7002.43			7469.93	7093.81	7002.43
12	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक रु 10/-) (अ-वार्षिकीकृत) (नियामक आस्थगित खाता शेष के अतिरिक्त) मूल एवं सीमित (रु में)	3.30	2.46	5.93	5.07	11.88	3.43	2.52	6.30	5.25	12.77
13	प्रति शेयर अर्जन (प्रत्येक रु 10/-) (अ-वार्षिकीकृत) (नियामक आस्थगित खाता शेष के अतिरिक्त) मूल एवं सीमित (रु में)	2.42	1.29	4.53	2.07	15.76	2.56	1.34	4.81	3.15	17.02
14	ऋण इक्विटी अनुपात			1.29	1.18	1.19			1.39	1.33	1.35
15	ऋण सेवा आवृत्ति अनुपात			2.06	2.39	2.21			1.82	2.08	2.23
16	ब्याज सेवा आवृत्ति अनुपात			4.43	4.77	5.26			4.27	4.53	5.08

* पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि एवं नियत सम्पत्तियों पर निवेश प्रतिबिंबित निधि के अतिरिक्त

नोट: 1. उपरोक्त लेखापरीक्षित, तैयार (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। कम्पनी के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप हमारी वेबसाइट https://www.ntpc.co.in के निवेशक खंड पर और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com एवं https://www.nseindia.com के कॉर्पोरेट खंड के अन्तर्गत उपलब्ध है।

2. जहां आवश्यक समझा गया है, वहां पिछली अवधियों के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता/-
(ए. के. गौतम)
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 9 नवम्बर, 2019

एनटीपीसी NTPC एन टी पी सी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
Energy for a brighter tomorrow
पंजीकृत कार्यालय: एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
सीआईएन: L40101DL1975GOI007966 | ई-मेल: ntpccc@ntpc.co.in | वेबसाईट: www.ntpc.co.in
Follow us on: /ntpct /ntpclimited /ntpcltd1 /company/ntpc /ntpclimited

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 356, *हवाई शुल्क :* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

जनसत्ता
रविवारी
• 10 नवंबर, 2019 •

बच्चों की बदलती दुनिया

बाजार, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे प्रयोगों ने बच्चों की दुनिया काफी कुछ बदल दी है। इस तरह बच्चे भी काफी कुछ बदल गए हैं। न तो अब परंपरागत खेल रहे, न खिलौने। लालन-पालन के तरीके भी बदले हैं। पढ़ाई-लिखाई के तरीके बदले हैं, तो बच्चों की गतिविधियां भी बदल गई हैं। इस बदलाव में बहुत कुछ सकारात्मक है, तो नकारात्मक भी बहुत कुछ है। बच्चों में आ रहे इन बदलावों के समाज पर कई प्रतिकूल प्रभाव देखे जाने लगे हैं। बच्चों की बदलती दुनिया के बारे में विमर्शपरक विश्लेषण कर रहे हैं **राजकुमार**।

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पूंजी, बाजार, इंटरनेट और तकनीक के अप्रत्याशित तीव्र विकास और एक-दूसरे के परस्पर गठजोड़ ने दुनिया और समाज के बाहरी और भीतरी संरचनाओं, रिश्तों, संबंधों के ताने-बाने और ढांचे को काफी बदल दिया है। पिछले दो-तीन दशकों में मानवीय संबंधों में भी तेज बदलाव महसूस किया गया है। बच्चों का जीवन भी इससे अछूता नहीं रहा। इसका असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ा है। टीवी, इंटरनेट, कम्प्यूटर और मोबाइल, आईपैड आदि ने उनकी दुनिया ही बदल दी है।

बच्चों की दुनिया में शामिल सोशल मीडिया, नए तरह के वीडियो गेम और तरह-तरह के गेम्स ऐप्प और कार्टून नेटवर्क उन्हें बदल रहे हैं। अब दादी-नानी की कहानियां या लोरियां बीते जमाने की बात हो गई हैं। खासकर महानगरीय जीवन में। एकल परिवार की अवधारणा में वे छिटक चुके हैं। दादा-दादी या नाना-नानी की कहानियां भी बच्चों तक वर्चुअल दुनिया के रास्ते ही पहुंच रही है।

आज से तीन दशक पूर्व बच्चों की दुनिया में शिक्षा, ज्ञान, सूचना और मनोरंजन के साधन कम थे। परिवार, समाज, स्कूलों में परंपरागत मनोरंजन के साधन ही उपलब्ध थे। उनमें 'इनडोर' मनोरंजन की उपलब्धता कम थी। तितलियों के पीछे भागने, छुपम-छुपाई से लेकर पकड़म-पकड़ाई और कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन तथा क्रिकेट जैसे खेलों की भूमिका बड़ी थी। उन सभी की मौजूदगी अब भी बनी हुई है और कुछ में बहुत विस्तार हुआ है। पिछले दशकों में इनडोर मनोरंजन के साधनों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। या यों कहें कि ज्ञान और मनोरंजन की दुनिया बच्चों की मुट्ठी में समा गए हैं। इसमें डिजिटल माध्यमों और मोबाइल की बड़ी भूमिका है। मोबाइल में पूरी दुनिया की गतिविधियां समा रही हैं। आभासी मनोरंजन के सारे रूप उसमें मौजूद हैं। स्क्रीन टच के साथ ही वे उभर आते हैं। अब हालात यह हैं कि वे बच्चों की सोच और जिंदगी पर हावी हो गए हैं। आजकल बच्चे एक बार मोबाइल या टीवी कार्टून या ऑनलाइन वीडियो गेम्स के साथ चिपक जाते हैं, तो उससे अलग होना मुश्किल होता है। ■

प्लास्टिक का संसार

पिछले कुछ दशक में बच्चों की दुनिया में प्लास्टिक खिलौने ने तेजी से जगह बनाई है। बच्चों के खिलौने का पूरा बाजार प्लास्टिक से ठस गया। परंपरागत मिट्टी और लकड़ी के खिलौने अपदस्थ हो गए। उसकी जगह प्लास्टिक के खिलौनों में हिंसक हथियारों, टैंकों, सैनिकों, सिपाहियों, ट्रेन, पेट्रोल स्टेशन, लग्जरी या रेसिंग कार आदि की भरमार हो गई है। भारतीय संस्कृति, पर्व-त्योहार को ध्यान में रख कर बनाए गए खिलौनों में भी हिंसक हथियारों की संख्या अधिक है। होली में हिंसक हथियारों जैसी पिचकारी से बच्चे रंग फेंकना या चलाना पसंद करते हैं। ड्रेस से लेकर बालों की स्टाइल तक में आधुनिक युवा जीवन की झलक होती है।

आज के बच्चे, बड़ों की बनाई या देखी दुनिया के हिस्सेदार हो गए हैं। ऐसा नहीं कि पहले बच्चों की दुनिया नितांत अलग थी या पूर्ववर्ती दशकों में बच्चों की दुनिया में बड़े का हस्तक्षेप कम था, लेकिन इस हद तक नहीं था। बच्चों की दुनिया को मानवीय और संवेदनशील बनाने में प्लास्टिक खिलौने की कोई भूमिका हो ऐसा शोध से जानकारी मिलती नहीं। बल्कि पश्चिम के बड़े समाजशास्त्री-साहित्यशास्त्री-चिंतक रोलां बार्थ ने 'ट्वॉयज' निबंध में फ्रांसिसी खिलौनों के अध्ययन के आधार पर यह बताया कि बच्चों की जिंदगी में 'बच्चों की स्वाभाविकता और अनुभव' मौजूद नहीं हैं। बल्कि बड़े की बनाई दुनिया में ही बच्चे खेल का हिस्सा हैं। दूसरे शब्दों में, आज के बच्चे, बड़ों के बौने रूप हैं। लकड़ी के खिलौने बच्चों को पेड़ के अनुभव तक खींच कर ले जाते हैं, जबकि प्लास्टिक के खिलौने उस अनुभव से वंचित रखते हैं। लकड़ी और मिट्टी के खिलौनों में मनुष्य की रचनात्मकता शामिल थी। बच्चे भी उस रचनात्मकता के हिस्सेदार बन जाते थे। रासायनिक उत्पाद और प्रकृति के उत्पाद में अंतर है। प्लास्टिक के खिलौने आनंद, मिठास और मानवीयता का विनाश करते हैं। प्लास्टिक के खिलौनों का 'मास उत्पादन' होता है। वे देखने में आकर्षक और सुंदर जरूर हैं, लेकिन उसके प्रति वह भावनात्मक लगाव उत्पन्न नहीं होता, जो परंपरागत हाथ से बने खिलौने में होता है।

बच्चे, बड़े की दुनिया के अनुकरण के साथ बड़े होते हैं। लेकिन जिन खिलौने के बीच वे होते हैं, वे जवान, परिपक्व और अधेड़ लोगों की बृहदाकार दुनिया के लघु रूप हैं। एक बनी हुई सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था और संरचना है जिसका प्रतिनिधित्व खिलौने करते हैं, जिनसे बच्चों को खेलना होता है। एक किस्म से बच्चे होकर वे युवाओं के खेल में शामिल होते हैं। उनकी मानसिक बनावट, मनोवैज्ञानिक चेतना का विकास उन्हीं उपकरणों के बीच होता है। बच्चे उन खिलौनों के उपभोक्ता होते हैं न कि रचनाकार। बच्चों की मासूमियत, सहजता और स्वाभिकता बचपन में ही उनसे कैसे छिन जाती है उन्हें इसका आभास भी नहीं होता। वे असमय ही बड़े होते हैं।

खिलौनों की दुनिया में भी लैंगिक पूर्वग्रह और मर्दवादी सोच अनुस्यूत है। भारत में बिकने वाली गुड़ियों को ध्यान से देखें। वे भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाली स्त्री छवि का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। परियों की दुनिया सरीखी होते हुए अलग होती हैं। उसके बाल सुनहरे होते हैं और पश्चिमी दुनिया की स्त्रियों की तरह छरहरे बदन की होती हैं। उसके ड्रेस भी उसी स्टाइल के होते हैं। या तो वे फ्रॉक में होती हैं या स्कर्ट में। एक अध्ययन बताता है कि उनकी टांगे लंबी बनाई जाती है। वे स्त्रियों की एकरेखीय दुनिया को रचती हैं। गोरे रंग और सौंदर्य के प्रतिमान को स्थापित करने वाली होती हैं। पश्चिमी समाज में जब इन आकृतियों पर सवाल उठने लगे और नस्लवादी रंग-भेद का सामना करने पर कंपनियों ने 'भिन्नताओं' को जगह देना शुरू किया।

भारतीय समाज उपभोक्तावादी समाज का प्रतिरूप बना हुआ है, इसलिए ऐसी बहसों ने अभी जगह नहीं बनाई है। लड़कियों के लिए किचेन सेट आज भी पसंदीदा खिलौने हैं। जानवरों से जुड़े खिलौने हिंसक, आक्रामक मुद्रा में खूब बनाए जाते हैं। पालतू की जगह जंगली जानवर अधिक तादाद में उपलब्ध होते हैं। ये खिलौने बच्चे की मानसिकता, सोच का निर्धारण करते हैं। उन्हें अनुकूलित करते हैं। यह जरूरी नहीं कि किचेन सेट के साथ खेलने वाली लड़की गृहणी हो जाए या गनमैन, घातक हथियार से खेलने वाला बच्चा आतंकवादी, सिपाही या सैनिक ही हो जाए। लेकिन उनकी मानसिक संरचना में वे चीजें मौजूद रहती हैं। ब्रिटेन में हुआ एक शोध बताता है कि बंदूक से खेलने वाले बच्चों में आक्रामकता अधिक होती है। उनकी भाषा में क्रोध और व्यवहार में हिंसक प्रवृत्ति विकसित होती है। लड़के और लड़कियों के लिए बनाए जाने वाले खिलौने में फर्क किया जाता है। जाहिर है यह विभेद बच्चों की रुचियों को सीमित करते और प्रभावित करते हैं। ■

कार्टूनों का असर

कार्टून बच्चों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन का साधन है। टीवी में अनवरत कार्टून का प्रसारण हो रहा होता है। बच्चे लगातार टीवी के साथ चिपके होते हैं। वे बाहर खेल के मैदान में जाने के बजाए टीवी-मोबाइल-कम्प्यूटर पर कार्टून देखना पसंद करते हैं और उससे आनंदित होते हैं। जब तक रोका-टोका न जाए, बच्चे उसमें रमे रहते हैं। इसका एक सकारात्मक पक्ष यह है कि स्कूल शुरू करने वाले बच्चे टीवी और मोबाइल से ज्यादा सीखते हैं। वह बच्चों के लिए 'टेक्सट बुक' की तरह होता है। अक्षरों की पहचान, वन्य जीवन और प्रकृति ज्ञान को तेजी से जानते-पहचानते हैं। इस स्थिति में डिजिटल माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 'शिक्षक' की भूमिका में होते हैं। बच्चों की भाषा के विकास में ये माध्यम बहुत महत्त्वपूर्ण साबित होते हैं। वे जिंगल्स या गीतों को तेजी से याद करते हैं और खेल-खेल में गुनगुनाते हैं।

बच्चे कम उम्र में ही वैश्विक खेल की दुनिया से परिचित होते हैं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह के खेल खेले जाते हैं। उनके नृत्य-गीत भिन्न-भिन्न किस्म के हैं। डिजिटल नागरिक होने के कारण वे वैश्विक सामाजिक-सांस्कृतिक दुनिया से रुबरू होते हैं और उसे तेजी से सीख लेते हैं।

ऐसे अध्ययन मौजूद हैं, जो बताते हैं कि बच्चे जब चार घंटे से अधिक समय टीवी के साथ बिताने लगते हैं तो उनके व्यवहार और आचरण में बदलाव आने लगते हैं। वे टीवी के आगे खाना पसंद करते हैं या मोबाइल देखते हुए खाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे 'ओवरवेट' होने लगते हैं। परिवार या माता-पिता को शुरू-शुरू में यह आसानी होती है कि उन्हें खाना खिलाने के लिए उनको अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ता या वे अपने घरेलू या रोजमर्रा के काम निपटाने में व्यवधान नहीं पाते हैं। लेकिन उनका यह व्यवहार बच्चे को टीवी या मोबाइल का अभ्यस्त और काफी हद तक नशे की लत की तरह बना देता है, जो बाद में बच्चे के मनोविज्ञान, चेतना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

ज्यादातर कार्टून या वीडियो गेम की संरचना में हिंसा शामिल होती है। यहां तक कि बच्चों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय कार्टूनों में भी हिंसा के रूप मौजूद हैं। बच्चे इन कार्टून और वीडियो के साथ गहनता से जुड़ जाते हैं। धीरे-धीरे उनके व्यवहार में अंतर आने लगता है। उसके प्रभाव स्वरूप उनके अंदर आक्रामकता बढ़ती है। दुनिया भर में हुए कई शोध इस बात की पुष्टि करते हैं। एक जर्मन शोध बताता है कि स्कूल के बच्चों के तीन समूह बनाए गए। पहले समूह को ऐसे वीडियो गेम और खिलौने दिए गए, जिनमें हिंसा मौजूद है। दूसरे समूह को दिए गए वीडियो और खिलौने में उन तत्त्वों का अभाव था, जो पहले समूह को दिया गया। तीसरे समूह को इन चीजों से 'न्यूट्रल' रखा गया। फिर तीनों समूह के बच्चों को आपस में मिला कर खेल में शामिल किया गया। खेल के दौरान उनके व्यवहार का अध्ययन करने पर पाया गया कि जो बच्चे हिंसक वीडियो या खिलौने की संगति में थे वे खेल के दौरान अधिक आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। उनके एक्शन में वे चीजें मौजूद थी जो वीडियो गेम में थे। दूसरे समूह के बच्चे उनसे कम आक्रामक थे। तीसरे समूह के बच्चे खेल के दौरान भी न्यूट्रल थे। उनकी प्रकृति भिन्न थी।

जब बच्चे, बड़ों की दुनिया को देखते हैं, जिसमें शराब, सिगरेट से लेकर जोखिम भरे व्यवहार को देखते हैं या लैंगिक असमानता, जातिगत विषमता, सामाजिक भेदभाव या रंगभेद आदि को देखते हैं तो उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, क्योंकि उनके रोल मॉडल वर्चुअल और काल्पनिक दुनिया से उपस्थित होते हैं। जोखिम भरे रेसिंग को देखकर ही बच्चे आजकल सड़कों पर बाइक लेकर स्टंट कर रहे होते हैं। एक शोध बताता है कि बहुत अधिक हिंसक वीडियो गेम देखने वाले बच्चे नर्वस, आक्रामक, लड़ाका और अवज्ञा करने वाले होते हैं। अमेरिका और पश्चिमी दुनिया में युवाओं का शिक्षण संस्थानों से लेकर सार्वजनिक जगहों पर हुए हमलों को इन हिंसात्मक वीडियो के अभस्त के रूप के रूप में पहचाना गया था और उन पर पाबंदी की बात भी उठी थी। कई शोध यह निष्कर्ष भी देते हैं कि हिंसा के रूप वैसे ही नहीं होते जैसे उसने देखा है, बल्कि उसमें भिन्नता होती है। कुछ शोध मामूली प्रभाव की बात करते हैं। लेकिन उससे इनकार नहीं करते। कई बार यह भी होता है कि उनके अंदर भय की संरचना विकसित होती है, क्योंकि जिस दुनिया में खुद को पाते हैं वहां लगातार हिंसक चीजें घटित हो रही होती हैं और बच्चे अपने को उसमें घिरा पाते हैं।

एक शोध, बच्चों पर तीन गहरे प्रभाव की चर्चा करता है। पहला, ऐसे बच्चे दूसरों के दुखों और विपत्तियों के प्रति असंवेदनशील होने लगते हैं। दूसरा, उनके आसपास या वास्तविक दुनिया में जब हिंसा होती है, तो वे इस घटना को अस्वाभाविक तरीके से नहीं लेते। उन्हें विचलित होना चाहिए था, लेकिन हिंसात्मक दृश्यों की अभ्यस्ता के कारण ऐसा नहीं होता है। तीसरा, बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति विकसित होती है। चर्चित कार्टून 'टॉम एंड जेरी' के अध्ययन से पता चला कि दोनों के झगड़ने के तरीके का असर बच्चों पर यह पड़ा कि वे वास्तविक दुनिया में उसी तरह झगड़ने लगे। बच्चों पर पड़ने वाले इस कुप्रभाव के कारण कार्टून का प्रसारण भी कई देशों में रोका गया। ■

आभासी दबंगई

एक अध्ययन बताता है कि आठ साल से लेकर अठारह साल तक के बच्चे तकरीबन सात घंटे से अधिक डिजिटल मीडिया की दुनिया में रहते हैं। जिसमें से डेढ़ घंटे से अधिक वक्त कम्प्यूटर गेम में बिताते हैं। किशोरों में डिजिटल खेल के असर भी गंभीर रूप से पड़ रहे हैं। उनकी संज्ञाणात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वे वास्तविक पारिवारिक-सामाजिक संबंधों से काफी कट जाते हैं और आभासी दुनिया में ही अपने संबंध बनाते रहते हैं। वास्तविक दुनिया में उनके पास उनका अकेलापन घेरता है। हिंसात्मक वीडियो गेम उन्हें अपना शिकार बनाता है। ऑनलाइन गेम 'ब्लू व्हेल' ने बच्चों को आत्महंता बनने पर विवश किया। खेल के कुचक्र में एक बार शामिल हो जाने के बाद बच्चों को कई बार डिजिटल चुनौतियों, धमकियां आदि का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें उसके इशारे पर चलना होता है। वे ब्लैकमेल के भी शिकार होते हैं। साइबर 'बुलिंग' आभासी दुनिया का 'अंधेरा' है। तकनीक का दुरुपयोग भी कह सकते हैं। जिसमें तकनीक बच्चे या किशोरों को उत्पीड़ित करते हैं, लज्जित एवं जलील करते हैं, धमकी देते हैं। अपने से कमजोर को चिढ़ाना, धमकाना, डराना वास्तविक दुनिया में भी होते हैं, कार्टून की दुनिया में भी हैं। मगर ऑनलाइन दुनिया में होने वाली 'बुलिंग' कई बार त्रासदी की तरह होती हैं। यह एक किस्म से आपराधिक गतिविधि है। यह कई बार चैट की दुनिया में मजाक की तरह होता है जो व्यक्तिगत रूप से शुरू होकर सभी परिचित मित्रों और समूह में भेज कर खिल्ली उड़ाने, मजाक बनाने और लोगों की निगाहों में गिराने, अपमानित करने, हर्ट करने, मानसिक शोषण करने की हद तक जाता है। साइबर 'बुलिंग' चौबीस घंटे में कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है। लोगों के बीच में उसकी विश्वसनीयता और भरोसे को खंडित किया जा सकता है। भावनात्मक रूप से उसे तोड़ा जा सकता है। उसे गुनाहगार की तरह पेश किया जाता है। जाहिर है, इसके दुष्परिणाम बहुत गहरे होते हैं। वह गुनहगार की तरह जीने लगता है।

बहुत वक्त मोबाइल, कम्प्यूटर, आईपैड या टीवी के साथ गुजारने के कारण उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। तकनीक से अलग होने के बाद भी वे मनोवैज्ञानिक रूप से उस अवस्था में होते हैं। नींद पूरी न होने के कारण वे चिड़चिड़े होने लगते हैं। डिप्रेशन के गहरे शिकार होते हैं। परंपरागत खेल में बच्चे या खिलाड़ी अपने वरिष्ठ साथियों और सहयोगियों से सीखते हैं। खुद अपने अनुभवों से भी जानते हैं। जबकि यांत्रिक खेल व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं।

विज्ञापन का तिलिस्म

विज्ञापनों में चाकलेट, टॉफी, बैग, टिफिन बॉक्स, पेंसिल या जूते आदि के जो विज्ञापन आते हैं, अक्सर बच्चे उसी की मांग करते या शॉपिंग मॉल या स्टोर से उन्हीं चीजों को खरीदते हैं। जिन कार्टून को ज्यादा पसंद करते हैं उसके चित्र या चरित्र जिन उत्पादों पर छपे या अंकित होते हैं, उन्हीं को पसंद करते हैं। विज्ञापन बच्चों की उपभोग की क्षमता को सक्रिय करते हैं। उनके अंदर उन वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं को खरीदने की ललक पैदा करते हैं। ये माध्यम बच्चों के अंदर दोहरे उपभोक्तावाद को पैदा करते हैं। किशोर उम्र की लड़कियां अपने सौंदर्य को उसी स्टाइल में ढालती हैं जैसा टीवी में दिखने वाली स्त्रियां होती हैं। वे बाजार के लिए एक 'शक्तिशाली उपभोक्ता' की तरह उभरती हैं।

शिक्षा-शिक्षक-बच्चे और परिवार

डिजिटल गेम्स के एक दूसरे पहलू भी हैं। वीडियोगेम एक शक्तिशाली शैक्षणिक उपकरण है। आजकल ऐसे वीडियोगेम बन रहे हैं जो मुश्किल सवालों को आसानी से हल करने के तरीके सिखा रहे हैं। शिक्षा से जुड़े एप्प और गेम बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से पढ़ने में मदद कर रहे हैं। ये वीडियो कई मायनों में क्लासरूम टीचिंग से बेहतर भी साबित हो रहा है। खासकर विज्ञान की पढ़ाई के मामले में। शब्द, दृश्य, ध्वनि आदि के संयोजन कक्षा को आकर्षक, आसान, एटेंटिव बना रहे हैं। आजकल स्कूलों से दिया जाने वाला होमवर्क, बच्चों की गतिविधियां, सूचनाएं एक साथ ही बच्चे, शिक्षक और माता-पिता के साथ शेयर किया जा रहा है। इस प्रविधि ने अध्ययन को नए पंख दिए हैं। जरूरत इस बात की है कि शिक्षा से जुड़े इन वीडियो में सामाजिक-सांस्कृतिक-भौगोलिक परिवेश को भी जोड़ा जाए ताकि बच्चों के अनुभव व्यापक बनाए जाएं।

एक भारतीय फाउंडेशन ने अपने अध्ययन में यह बताया कि कमजोर शैक्षणिक व्यवस्था और शिक्षा के निचले स्तर के कारण भारतीय बच्चे पश्चिमी समाज के बच्चे की तुलना में कम्प्यूटर आधारित खेलों में बहुत कमजोर हैं। ग्रामीण और शहरी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे बहुत पीछे हैं। उनकी शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कारगर तरीका यह है वे डिजिटल गेम्स में दक्षता हासिल करें। डिजिटल खेल की खासियत यह होती है कि आप उसके 'आंतरिक खिलाड़ी' बन जाते हैं। आपका प्रदर्शन और सफलता वर्चुअल वातावरण तैयार करता है, जिसमें आप चुनौतियों का सामना करते हैं और दक्ष होते हैं। यह तर्क कमजोर वर्ग के हितों का पोषण करने वाला है। इसके खतरे सिर्फ ये हैं कि केवल कारपोरेट घरानों, पूंजी, तथा तकनीक के बाजारवादी रूप न बनें। डिजिटल गेम्स का बाजार मुनाफाखोरी के लिए न हो। यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्र का बाजार बहुत बड़ा है, जहां बाजार की शक्तियां सेंध लगाए बैठी हैं। ■

मिसाल

कहानी

कुलीना कुमारी

चित्र: नीता

करुणा। यही नाम है उनका। अपने नाम के अनुसार ही उनका काम भी है। उम्र छप्पन साल, मगर ऊर्जावान इतनी कि चालीस से अधिक की नहीं दिखतीं।

वे न केवल अपना ध्यान रखती हैं, हर तरह से, शारीरिक, मानसिक और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, बल्कि इसी के साथ ध्यान रखती हैं वे अपने परिवार, संस्कृति और समाज का भी।

करुणा पारंपरिकता और आधुनिकता की समिश्रण हैं। पारंपरिकता की ऐसी मिसाल कि वर्षों तक बड़े परिवार के बीच सबके साथ मिलकर रहीं। उनके पति चार भाई। जेठानी, देवरानी सहित सबके बच्चे मिला कर बहुत बड़ा परिवार बनता था और ऊपर से आने-जाने वालों का तांता भी लगा रहता था। हालांकि इनके पीतिया ससुर केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने शादी नहीं की थी और संयुक्त परिवार की वजह से सबके साथ रहते थे। इसलिए ठाठ-बाट ससुराल में भी कम नहीं थी, बावजूद उनके ससुर जी नियमों के पक्के थे और नौकर-चाकर के होने के बावजूद घर की महिलाओं के हाथ का ही बना भोजन करना पसंद करते थे। इसलिए बहुओं को ढेर सारे लोगों के लिए खाना बनाना और इससे जुड़ी चीजें खुद तैयार करनी पड़ती थीं। फिर बच्चे प्रायः महिला के ही हिस्से थे, तो उनकी देखभाल की भी अलग से जिम्मेदारी थी।

मगर सयुंक्त परिवार की अधिक जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने सबके साथ रहने का संकल्प लिया, जबकि करुणा खुद बड़े घर की बेटी थी। पिता उनके कमिश्नर रहे और विशेष योगदान के लिए उन्हें मिथिला भूषण पुरस्कार का भी सम्मान मिला था। भाई उनके आईएस हैं और उनकी बहनें भी आईएस की पत्नियां हैं। मगर इसे नसीब का खेल समझें या संयोग, मगर जब इनकी शादी हुई, उस वक्त अपने भाई-बहन की तुलना में इनके पति हाई कोर्ट के एक साधारण वकील थे। घर में चाहे कितनी भी ठाठ-बाट हो, मगर उस दौरान पति की कमाई अच्छी नहीं थी, इसलिए इनका जीवन अपने भाई-बहनों की तुलना में कठिन था, बावजूद वे उसी माहौल में अपने लिए खुशी की किरण ढूंढ़ती रहीं।

समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और इसी के साथ वह महसूस करने लगीं थी कि बेटी के पैदा होने के बाद पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं, इसीलिए पति के अलावा खुद को भी आर्थिक रूप से सक्षम करना जरूरी था, मगर क्या करें, यह मुख्य समस्या थी।

उस वक्त इनको अपने पिता का संस्कार याद आने लगा कि कैसे कई बेटियां होने के बावजूद पिता ने बोझ नहीं समझा और अपने मुश्किलों पर रोने के बजाय रास्ता निकालने की बात किया करते थे।

बताया था उन्होंने, 'जब मैं कुछ घंटों की ही थी, तो मां गुजर गई और पिता ने ही उसके बाद से हम सभी भाई-बहनों को संभाला। हम बच्चों की अच्छी परवरिश और हम सबकी खुशी को ही उन्होंने लक्ष्य बनाया। इसीलिए उन्होंने मेरे पिता ने दूसरी शादी नहीं की और हम सभी भाई-बहन को अच्छा इंसान बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। अनुशासन, सदाचार, बड़ों की इज्जत करना, खुद को उचित तरीके से व्यक्त करना और आपस में मिल कर चलना, उन्हीं की परवरिश की देन थी।

पिता का ही यह प्रभाव था कि हम सभी भाई-बहनों में काफी लगाव था और एक-दूसरे का खयाल रखते थे। यद्यपि मेरी शादी होने से पहले पिता भी गुजर गए, मगर उनका प्यार, विश्वास और परवरिश हमारे जीवन के लिए मजबूत नींव बन कर काम करते रहे। उनके परवरिश का प्रभाव कि शादी के बाद भी हम भाई-बहनों में काफी प्यार था और तब मुझे अपने भाई-बहन से अपने मन की बात रखने का खयाल आया। जैसे ही मेरे भाई-बहनों ने सुना कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूं, तो वे लोग खुश हो गए और इस कार्य में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया।'

मगर इस काम में सबसे बड़ी मदद इनकी बड़ी बहन ने की। उस वक्त वे पटना में अपने परिवार के साथ रह रही थीं। उन्होंने उन्हें दिल्ली में अपने पास आने और यहां आकर प्रतियोगिता की तैयारी के लिए आमंत्रित किया। उनके पति और घरवालों ने उनकी रुचि को देखते हुए जाने की अनुमति दे दी। संयुक्त परिवार के लाभ स्वरूप उनकी जेठानी ने उनकी बेटी का ध्यान रखने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। उनके भाई-बहनों के साथ-साथ ससुराल वालों का सहयोग और उनकी मेहनत के फलस्वरूप उन्हें दिल्ली की एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के बतौर नियुक्ति हो गई। नौकरी मिल जाने के बाद वे पति और बेटी के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुई।

यह करीब अट्ठाईस साल पहले की बात है। इसके बाद ही उनका सफर पटना से दूर दिल्ली हो पाया, जबकि उनकी शादी उनतालीस साल पहले हुई थी। वे करीब दस साल संयुक्त परिवार के बीच सबके साथ रहीं। मगर इससे क्या, दिल्ली में भी रहीं, तो सिर्फ अपना-अपना नहीं सोचा। सालों अपनी जेठानी के लड़कों को अपने घर में जगह दिया, ताकि उन्हें खाने-पीने और समय पर ऑफिस जाने में दिक्कत न हो। साथ ही जरूरतमंद और आने-जाने वालों के लिए अपना दरवाजा खुला रखा।

आधुनिकता और मानसिक रूप से उनकी सोच इतनी ऊंची थी कि पहली संतान बेटी होने के बाद भी दूसरा बच्चा नहीं पैदा किया। अपनी बेटी को किसी बेटे से कम नहीं समझा और उसकी शिक्षा-दीक्षा पर ही अपने आप को केंद्रित किए रहीं। कम बजट के बावजूद उन्होंने बेटी को बेहतर प्रदर्शन करके दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। बेटी ने भी मां की सोच और संघर्ष को समझा और मन लगा कर पढ़ाई करती रही।

इसे संयोग कहा जाए या उनकी परवरिश के सिद्धांत का असर 'कि सब बराबर हैं', बेटी ने बालिग होने पर अपनी जाति से भिन्न एक लड़के को पसंद किया और आकर यह बात आपने मां-बाप से बताई। बिना किसी विरोध के उस लड़के से दोनों परिवार के सहमति द्वारा शादी करा दी गई।

बेटी भी बहुत बुद्धिमान, तेज और शादी के बाद भी अपने मां-बाप के प्रति कर्त्तव्यनिष्ठ। वह दूसरे शहर में अपना आशियाना बनाने के बजाय दिल्ली चुनना अधिक ठीक समझी, ताकि वह सास-ससुर और पति के साथ-साथ अपने मां-बाप के प्रति भी फर्ज निभा सके। प्रेमविवाह के बावजूद उनके दामाद ने उनकी बेटी की मंशा को समझा और अपना बिजनेस दिल्ली में स्थापित कर लिया। इधर उनकी बेटी की शिक्षा और लगन से की गई मेहनत भी रंग लाई और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षिका के रूप में चुन ली गई। जिसकी लायक और कर्तव्यनिष्ठ बेटी हो, तो मां-बाप क्यों न खुश हों? उनकी बेटी अपने पति, सास-ससुर के साथ-साथ मां-बाप के लिए भी फर्ज निभा रही है।

परसों करुणा दी से फिर मिली थी। दरअसल, उनकी जेठानी मेरी परिचित तो पहले भी उनसे मिलना होता रहा है। सरकारी स्कूल के शिक्षक के बतौर उन्हें केंद्रीय दिल्ली में फ्लैट मिला हुआ है। उनके पति पटना हाईकोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करके अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं।

घर में ऐसी सहित सारी सुविधाएं अब मगर जानने वाले जानते हैं कि इन्हें जुटाने में उनकी इच्छा शक्ति और मेहनत का बहुत योगदान रहा है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की है और अब भी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। मगर इस बात की उन्हें खुशी है, मलिनता नहीं। वह न केवल अपने स्कूल में शिक्षिका के बतौर पूरा फर्ज निभा रही है, बल्कि सशक्त महिला और शिक्षिका होने के नाते आसपास में जिन्हें भी अशिक्षित देखती है, उन्हें भी प्रोत्साहित कर अपने स्कूल में दाखिला करा देती है, ताकि वह भी पढ़ जाए और शिक्षा की रोशनी में उसका जीवन भी संवर जाए। अपनी कामवाली के बच्चे और ऐसे ही आसपास के जरूरतमंद लोगों की वह मदद करती रहती है। इस सबके अलावा अपनी घरेलू जिम्मेदारी और रसोई में खाना करुणा दी खुद खाना बनाती हैं।

वे बता रही थीं मुझे, 'सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग बीमारियों का घर। इसीलिए मैं सुविधाओं का उपयोग आवश्यकता से अधिक नहीं करती।' और हां, यह भी उन्होंने जोर देकर कहा, 'जब हमारे ससुर कहते थे कि खाना अपने घर की औरत के हाथों का बना ही खाएंगे, उसका अब मतलब समझ में आ रहा है। उस दौरान प्रायः महिला घर में होती थी, बाहरी काम करती नहीं थी, तो घर का काम यानी खाना भी नहीं बनाती, तो बीमार नहीं हो जाती क्या? यद्यपि उस वक्त लगता था कि घर की औरतों के प्रति वे अच्छा भाव नहीं रखते, जो नौकर-चाकर होने के बाद भी घर की महिलाओं को खटाते हैं। मगर अब यह समझ चुकी हूं कि घर का काम करना, खाना बनाना एक महत्त्वपूर्ण व्यायाम है और यह स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी।'

पूराना संदर्भ याद करते हुए और उसे वर्तमान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा, 'तबसे यह जीवन प्रक्रिया और आदतों में इस प्रकार शामिल हो गया कि मैं भी कामवाली से बेशक थोड़ा-बहुत मदद ले लूं, मगर खाना खुद बनाती हूं। यह बहुत बड़ी मूवमेंट है, इससे हमारा शरीर सक्रिय रहता है। फिर पति और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से तेल-मसाला का प्रयोग करती हूं और खुश रहती हूं। स्कूल आना-जाना भी पड़े, मगर मैं नारी होने का दायित्व और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना नहीं भूलती।

बहुत सरल हैं वे। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, 'आपके भाई आइएएस हैं, बहनोई बड़े पदों पर, उनके सामने खुद को कैसा पाती हैं?'

उन्होंने मेरे सवाल का सीधे तौर पर उत्तर दिया, 'यह मेरे लिए खुशी की बात है, मगर मैं या मेरे पति जो हैं, उसी को मैं सबसे महत्त्वपूर्ण मानती हूं और अपनी परिस्थितियों में ही अपनी खुशियों के पल ढूंढ़ती हूं, साथ ही हमसे मिलने वालों को भी अपने आप पर भरोसा करने और आत्मनिर्भर रहने की सीख देती हूं।'

उनकी यह बात मुझे इस युग में सबसे आवश्यक और व्यावहारिक लगी। जहां प्रतियोगिता और दूसरों को अपनी तुलना में अधिक सफल देख कर जलने लगते हैं या खुद को कोसने लगते हैं, वहां करुणा दी संतोष के साथ और अपनी सीमाओं में जीने का सीख दे रहीं है। अपना जीवन उन्होंने उच्चतम जीवन मूल्यों के साथ बिताया और एक उपयुक्त मुकाम पाने के बाद भी इंसान होने का फर्ज नहीं भूलीं।

इस छप्पन साल की उमर में भी उनकी आंखों में विशेष चमक थी, जैसे जता रही हो हमसे, 'इंसान पैसे से नहीं, अपने व्यवहार से बड़ा होता है। अपने साथ-साथ अपनों और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा से बड़ा होता है, वही तो मैं कर रहीं हूं, तभी आज भी मैं सुंदर हूं, अन्य महिलाओं से विशेष हूं और प्रसन्न हूं।' ❑

इस छप्पन साल की उमर में भी उनकी आंखों में विशेष चमक थी, जैसे जता रही हो हमसे, 'इंसान पैसे से नहीं, अपने व्यवहार से बड़ा होता है। अपने साथ-साथ अपनों और समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठा से बड़ा होता है, वही तो मैं कर रहीं हूं, तभी आज भी मैं सुंदर हूं, अन्य महिलाओं से विशेष हूं और प्रसन्न हूं।'

संस्कृत साहित्य के भगीरथ

अवसर

शास्त्री कोसलेंद्रदास

उन्होंने भारतीय भाषाओं के पारस्परिक संबंध पर किए अध्ययन में पाया कि कोई भी भारतीय भाषा संस्कृत से शब्द उधार लिए बिना धर्म और विज्ञान के विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ है। चाहे वह तमिल हो, तेलुगु हो या बांग्ला।

समूचा साहित्य संसार बारह नवंबर को जिस अप्रतिम प्रतिभा से संपन्न विद्वान की दूसरी जन्म शताब्दी मना रहा है, वे हैं मोनियर विलियम्स। उन जैसा बहुमुखी साहित्य रचने वाला बहुश्रुत व्यक्ति संस्कृत में अब शायद ही आए। 12 नवंबर, 1819 को मुंबई में जन्मे मोनियर विलियम्स जिस अपूर्व कार्य के लिए जाने जाते हैं, वह है उनके द्वारा संकलित 'अंग्रेजी और संस्कृत शब्दकोश'।

संस्कृत साहित्य के मौजूदा इतिहास में मोनियर विलियम्स का बनाया संस्कृत शब्द-संग्रह अभूतपूर्व है। पर उनके साहित्य का विस्तार बहुआयामी है। शोध, अनुवाद और रचनात्मक साहित्य की दृष्टि से वे आधुनिक संस्कृत में अनुपम हैं। सिर्फ संस्कृत नहीं, बल्कि विश्व-स्तर पर पुरातन साहित्य और वैदिक संस्कृति की जब बात होती है तो निस्संदेह मोनियर विलियम्स की लिखी पुस्तकें उपहार के तौर पर स्वीकार की जाती हैं। मोनियर विलियम्स ने महाकवि कालिदास के 'विक्रमोर्वशीयम्' का 1849 में और 'अभिज्ञान-शाकुंतलम्' का 1853 में अंग्रेजी अनुवाद किया। मोनियर ने हिंदी व्याकरण पर भी कार्य किया। तीन पुस्तकें हिंदी भाषा पर लिखीं।

मोनियर विलियम्स ने न केवल मन लगा कर संस्कृत सीखी, बल्कि संस्कृत को पूरे जीवन साथ रखा। संस्कृत की साधना की। इसी साधना के परिणाम स्वरूप वे ग्रंथ आए, जो आज भी उनकी अमर कीर्ति के रूप में हमारे बीच हैं। उन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथों और शब्दों को अनुवाद में ढाला। कितने सुखद आश्चर्य की बात है कि संस्कृत को आधुनिक जगत से जोड़ने के लिए मोनियर ने डेढ़ शताब्दी पहले अंग्रेजी और संस्कृत के विशाल शब्दकोश का संपादन किया। हालांकि इससे पहले दो जर्मन विद्वान, रॉथ और बॉथलिंग संस्कृत और जर्मन भाषा के शब्दों का संकलन पांच खंडों में कर चुके थे। रूस के शासकों के आर्थिक अवदान से मुद्रित होने के नाते वह शब्दकोश 'सेंट पीटर्सबर्ग डिक्शनरी' कहा जाता है। इसे मोनियर विलियम्स ने भी देखा, जिसे पढ़ कर उन्होंने सोचा कि इस विस्तृत शब्दकोश के स्थान पर एक नया संपूर्ण शब्दकोश होना चाहिए, जिसमें संस्कृत का संबंध जर्मन के बजाय अंग्रेजी से हो। वे पूरे मन से इस काम में जुट गए। लंबी मेहनत के बाद उनका शब्दकोश सामने आया। इसका पहले-पहल प्रकाशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 5 नवंबर, 1851 को किया। इस कोश में एक लाख अस्सी हजार शब्द हैं। इसकी खासियत है कि इसमें संस्कृत के दोनों प्रकार, वैदिक और लौकिक के शब्द संकलित हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। 'अमरकोश' जैसे पुराने शब्दकोशों में लौकिक संस्कृत के शब्द हैं। पिछली शताब्दी के वामन शिवराम आप्टे ने भी प्रायः वैदिक शब्दों को अपने शब्द-संग्रह में शामिल नहीं किया। इस नाते कहा जा सकता है कि संस्कृत का पहला और अंतिम शब्दकोश मोनियर विलियम्स ने ही तैयार किया। इतना ही नहीं, मोनियर ने संस्कृत के शब्दों के साथ उनका संदर्भ भी जोड़ा। बाद में 1899 के आसपास संस्कृत से अंग्रेजी शब्दकोश का प्रकाशन भी उनके नाम से हुआ, जो अनूठा है।

मोनियर के संस्कृत प्रेम की कहानी रोचक है। कहा जाता है कि मुंबई में बचपन के दिनों में उनका संपर्क संस्कृत के एक शिक्षक से हुआ। वेद और उपनिषद की बातें मोनियर को सुहाने लगीं, लेकिन उन्होंने उनसे विधिवत संस्कृत नहीं सीखी। इसी दौरान मोनियर दस साल की उम्र में मुंबई से इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने संस्कृत समेत दूसरी एशियाई भाषाएं सीखीं। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज, कोलकाता में एशियाई भाषा विभाग में शिक्षक बन गए। उन्होंने एशियाई भाषाओं संस्कृत, फारसी और हिंदुस्तानी का अध्ययन और अध्यापन किया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी शासन समाप्त होने के बाद वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में स्थापित संस्कृत अध्ययन पीठ पर बोडेन प्रोफेसर बने।

मोनियर विलियम्स के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बोडेन प्रोफेसर बनने का किस्सा बहुत मजेदार है। लेफ्टिनेंट कर्नल जोसेफ बोडेन ने 1832 में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी से सेवानिवृत्त होने के बाद अपना सारा धन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दे दिया। इससे एक संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। शुरुआती दो प्रोफेसर चुनाव से नियुक्त हुए। पहले होरेस हेमैन विल्सन और दूसरे थे मोनियर विलियम्स।

होरेस हेमैन विल्सन के निधन के बाद मोनियर विलियम्स ने बॉडेन प्रोफेसरशिप चुनाव के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्रिटिश-शासित भारत में संस्कृत पढ़ाने में चौदह साल बिताए थे। उनका सामना उस दौर के जर्मन में जन्मे विख्यात भाषाविज्ञानी मैक्समूलर से था, जिन्होंने ऋग्वेद पर गहरा अनुसंधान करके अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। विश्वव्यापी प्रतिष्ठा के दोनों विद्वानों ने यह प्रोफेसरशिप पाने के लिए भरपूर चुनावी प्रयास किया। दोनों के अपने-अपने चुनावी दावे थे। मैक्समूलर अपने काम को ऐतिहासिक बता रहे थे, वहीं मोनियर ने अपने शब्दकोश सहित दूसरे अकादमिक कार्यों को भारत को जानने का साधन बताया। यह अप्रिय सत्य है कि मोनियर ने अपने चुनावी प्रचार में यह दावा भी किया था कि भारत में ईसाई धर्म के विकास के लिए संस्कृत पढ़ना और समझना बेहद जरूरी है। उनके कार्य से मिशनरियों को फायदा होगा और वे उनके अनुवाद की सहायता से भारतीयों का धर्मांतरण आसानी से कर सकेंगे। 30 नवंबर, 1860 को मोनियर ने अपने पक्ष में चुनावी पत्र बंटवाया। इस पत्र में लिखा था, 'प्रोफेसरशिप केवल ऑक्सफोर्ड के लिए नहीं है। यह भारत के लिए है। यह ईसाई धर्म के कल्याण के लिए है।'

7 दिसंबर, 1860 को हुए चुनाव में सैंतीस सौ स्नातक मतदाता थे, जिसमें 1443 शामिल हुए। 223 वोटों से मैक्समूलर को हरा कर मोनियर ने चुनाव जीता और बोडेन प्रोफेसर पद पा लिया। नियुक्ति के बाद विलियम्स ने कहा, 'भारत में ईसाई धर्म का प्रचार यहां के विद्वानों के उद्देश्यों में से एक होना चाहिए।' 1883 में मोनियर विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय धर्म अध्ययन केंद्र की स्थापना की। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए उन्होंने 1875, 1876 और 1883 में भारत की यात्राएं की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद यह केंद्र बंद हो गया।

मोनियर विलियम्स ने अपने लंबे जीवन में बहुत कुछ लिखा है। सर्वत्र और सभी कुछ से सहमत होना असंभव है। उनके लेखन का विपुल अंश आवेग और धर्म-प्रचार से आविष्ट रहा है। ऐसी बातें तात्कालिक उपयोग की हो सकती हैं। पर बदलते संदर्भों के परिवर्तित घटनाक्रमों में अब उनकी कही सारी बातें सार्थक नहीं रह गई हैं। पक्षधर और प्रतिबद्ध लेखन में ये सामयिक दोष आ ही जाते हैं। पर इसके बावजूद जो बहुत कुछ बच जाता है, जो अत्यंत महार्घ, अमूल्य और अतुलनीय है।

लंबे शोध के बाद मोनियर विलियम्स ने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने लिखा, 'हिंदू धर्म की अच्छाइयों का वर्णन कभी पूरा नहीं हो सकता, यह बहुरंगी धर्म हर धार्मिक और दार्शनिक विचार का स्पर्श करता है, जिसे दुनिया जानती ही नहीं है।'

मोनियर विलियम्स सनातन भारतीय धारा के अभिनव ऋषि हैं, संस्कृत साहित्य के भगीरथ हैं। कदाचित मोनियर विलियम्स ही हैं, जो प्रायः गहरी निद्रा में सोए संस्कृत के मौजूदा वातावरण में आधुनिकता की अलख जगा सकते हैं। जब संस्कृत पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता को बार-बार नकारा जा रहा है, ऐसे में मोनियर विलियम्स की जन्म-द्विशती का आना संस्कृत की अमर चेतना को जागृत करने का अवसर है। आधुनिक भोग-विलासी संस्कृति, जिसे 'वैज्ञानिक संस्कृति' भी कहा जाता है, उसे भी मोनियर विलियम्स की अनिवार्यता लगेगी कि उन्होंने संस्कृत को क्यों चुना और वे उसे क्यों बढ़ाना चाहते थे! ❑

जब संस्कृत पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता को बार-बार नकारा जा रहा है, ऐसे में मोनियर विलियम्स की जन्म-द्विशती का आना संस्कृत की अमर चेतना को जागृत करने का अवसर है। आधुनिक भोग-विलासी संस्कृति, जिसे 'वैज्ञानिक संस्कृति' भी कहा जाता है, उसे भी मोनियर विलियम्स की अनिवार्यता लगेगी कि उन्होंने संस्कृत को क्यों चुना और वे उसे क्यों बढ़ाना चाहते थे!

सौंदर्य उद्योग और स्त्रियां

आधी दुनिया

क्षमा शर्मा

गांधीजी की डेढ़ सौवीं जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी औरतों की शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वह पर्दा प्रथा और बाल विवाह के भी खिलाफ थे। लेकिन उन्हें भारतीय स्त्रियों का सजना-संवरना, घर गृहस्थी में जीवन खपा देना और आभूषण प्रेम बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका कहना था कि जो स्त्रियां सजती-संवरती हैं वे अपने को पुरुषों की भोग्या बना देती हैं। वह यहां तक कहते थे कि स्त्रियों को अपने पति के लिए भी नहीं सजना-संवरना चाहिए।

अब कोई कह सकता है कि गांधी जी कौन होते थे, औरतों को शिक्षा देने वाले। यह औरतों की चुनने की आजादी और पसंद -नापसंद का अपना मामला है कि वे क्या पहनें और कैसे रहें। अगर वे खुद को सुंदर दिखाना चाहती हैं तो भला किसी को कोई शिकायत क्यों होनी चाहिए।

गांधी जी को गुजरे जमाना बीत गया। जिस स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था, आज स्त्रियों के लिए यह एक सहज-स्वीकृत तथ्य हो चला है कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ने से भी ज्यादा यह बात सर्वमान्य हो चली है कि लड़कियों, महिलाओं को हमेशा सोते-जागते, जिम में जाते, दफ्तर में, बाहर , उत्सव में, त्योहार के वक्त यानि कि हमेशा सुंदर ही सुंदर दिखना चाहिए। स्त्रियों की इसी कामना ने सौंदर्य उत्पादों के बाजार को बेतहाशा बढ़ाया है। बल्कि कहना चाहिए कि स्त्री सशक्तिकरण के हर नारे को सौंदर्य उत्पाद और उपभोक्ता ब्रांडस ने काबू कर लिया है। दुनियाभर में फैला इनका व्यापार अरबों -खरबों डालर का है।

यह पिछले दिनों का ही दृश्य है। दिल्ली की एक मशहूर त्वचा विशेषज्ञ का क्लीनिक। एक बार की फीस बारह सौ रुपए। मरीजों का नम्बर अस्सी तक जा पहुंचा है और अभी दिन के बारह ही बजे हैं। दोपहर में कुछ देर अवकाश के बाद क्लीनिक देर रात तक खुलेगा। तब हो सकता है कि अस्सी मरीजों की संख्या डेढ़ सौ तक जा पहुंचे। इन मरीजों में निन्यानवे प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें भी युवा लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है। उम्र दराज औरतें भी हैं। बहुत सी लड़कियां अपनी माताओं के साथ भी आई हैं। ये सभी शिक्षित हैं। अंग्रेजी बोल रही हैं। अधिकांश नौकरीपेशा भी हैं।

इनमें से अधिकांश को कोई रोग नहीं है। ये सब अपने को और अधिक सुंदर दिखाने और बनाने के लिए यहां आई हैं। कोई अपनी त्वचा पर पड़ गई झुर्रियों को मिटवाना चाहती है। किसी के चेहरे पर एक छोटा काला दाग हो गया है। किसी को आंखों के नीचे आ गए काले गड्ढे या किनारों पर पड़ी क्रो लाइंस को हटवाना है। किसी को अपने चेहरे का मस्सा पसंद नहीं। जब से चैनल्स ने घर-घर जगह बनाई है, अपने दर्शकों के रूप में औरतों को तलाशा है, तब से उन पर आनेवाले विज्ञापनों ने मामूली लड़कियों के मन में यह बात कहीं गहरे बिठा दी है कि उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं होनी चाहिए। उनके बाल चमकीले लहराते हुए होने चाहिए। उनकी त्वचा रूखी नहीं होनी चाहिए। एक मशहूर लाइन अकसर सुनाई देती है कि उसकी त्वचा से तो उसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। हर लड़की चाहती है कि वह सुंदर ही नहीं सबसे सुंदर दिखे। इस सुंदर दिखने में एक चाह यह भी है कि जो देखे खिंचा चला आए। और हर उम्र में बस वह किशोरी ही दिखाई दे।

लड़कियों को सुंदर दिखना चाहिए यह बात आज से नहीं हमेशा से सुनाई देती रही है। सौंदर्य के तथाकथित मानकों ने विवाह के बाजार में लड़कियों की कीमत घटाई- बढ़ाई है। कल भी तथाकथित असुंदर की जगह नहीं थी, आज भी नहीं है। अब सिर्फ चेहरा ही सुंदर नहीं होना चाहिए,हाथ, पांव, बाल, नाखून और सबसे अधिक त्वचा पर जोर है। यही नहीं कोई लड़की सांवली भी नहीं दिखना चाहती। गोरेपन की क्रीमों ने इस रंगभेद को और बढ़ाया है। फिर कॉस्मेटिक उद्योग ने अपने से बड़ी उम्र की औरतों को भी यह बताकर जोड़ा है कि सुंदर दिखना उनका अपना अधिकार है। उम्र से सौंदर्य का कोई वास्ता नहीं। उम्र तो एक नंबर भर है। आप हर उम्र में सुंदर दिख सकती हैं, जैसे कि अभिनेत्री रेखा, हेमामलिनी या पचास से अधिक की माधुरी दीक्षित।

इन दिनों कॉस्मेटोलाजिस्ट के पास सत्तर- पचहत्तर साल की स्त्रियां भी अपने हाथों की झुर्रियों , अपने जबड़े को ठीक कराने के लिए पहुंचती हैं। पेडीक्योर और मेनीक्योर तो हर औरत के लिए जरूरी बना ही दिया गया है। इसीलिए नए नारे चल पड़े हैं कि सेवेन्टी इज न्यू फोर्टी। या कि फिफ्टी इज न्यू टवेंट्री। कब से यह नहीं सुना कि किसी स्त्री की पहली जरूरत उसका ज्ञानवान होना है। ज्ञान को सौंदर्य से जोड़ दिया गया है। सौंदर्य ही औरतों के जीवन का प्राथमिक कर्तव्य बना दिया गया है। बुद्धिमती स्त्री न भी हो तो चलेगी।

कोई कह सकता है कि यदि औरतों में सुंदर दिखने की चाह बढ़ी है, तो किसी को क्या तकलीफ। सच बात है। लेकिन यह जरूर जानना चाहिए कि सौंदर्य की यह लाठी औरतों को उसी गड्ढे में धकेलती है जिससे निकलने के लिए वे अरसे से छटपटा रही हैं। उत्पादों के विज्ञापन भले ही लगातार उन्हें यह बताएं कि इन चीजों के इस्तेमाल से वे चाहें तो मुक्त होकर आसमान में उड़ सकती हैं लेकिन इसमें महीन रेखा वही छिपी है कि औरतों का काम आसमान में उड़ना नहीं किसी न किसी बहाने पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। यानि कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य पुरुषों को रिझाना है। जरा बताइए कि पुरानी जमाने की औरतों के मुकाबले आज की औरत की स्थिति में कहां फर्क हुआ। पहले भी वह सौंदर्य की लाठी से पिट रही थी आज भी पिट रही है। हां आज इसे वह अपनी ताकत समझ रही है क्योंकि उत्पाद बनाने वाले इसी को असली महिला सशक्तिकरण (वुमैन एम्पावरमेंट) कहते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में औरतें फलां क्रीम, फलां नेल पालिश, फलां ब्लीच इस्तेमाल करके ताकतवर बन रही हैं।

लेकिन सुंदर दिखने की चाहत इतनी ज्यादा है कि ज्ञानवान कोई नहीं बनना चाहता है। सालों पहले इस लेखिका की एक पत्रकार मित्र ने कहा था कि अगर आप किसी इंटरव्यू बोर्ड में हों तो उस लड़की को चुनेंगी जो ठीक से तैयार होकर आई है या उसे जो ठीक से तैयार होकर तो नहीं ही आई फूहड़ भी दिखती है। मैं तो उसे ही चुनूंगी जो ठीक से तैयार होकर आई है। दफ्तर में कौन किसी फटे चीथड़े पहनकर आने वाली को बैठने देगा।

सजने-संवरने के लिए पैसों की जरूरत होती है। यानि कि जो लड़की साधारण परिवार से आई है, जिसकी जेब में इतने पैसे नहीं कि वह इंटरव्यू देने के वक्त खूब सज-संवरकर जा सके, तो क्या उसे नौकरी ही नहीं मिलेगी। कम साधनों के बावजूद उसका पढ़ना लिखना व्यर्थ जाएगा। जिस सौंदर्य के कोड़े से औरतें हमेशा लहू -लुहान हुई थीं, उसी को उन्होंने हार बना लिया है। दरअसल तो स्त्रियों को कॉस्मेटिक उद्योग की प्रयोगशाला बना दिया गया है। ■

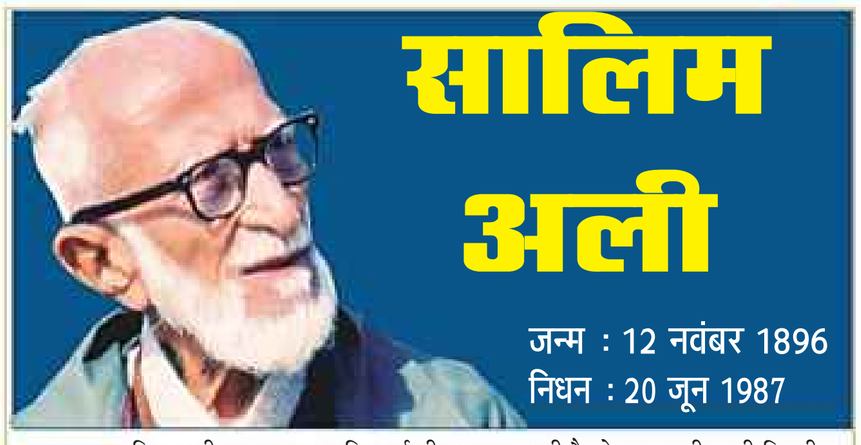

सालिम अली

जन्म : 12 नवंबर 1896
निधन : 20 जून 1987

शख्सियत

सालिम अली का पूरा नाम सालिम मुईनुद्दीन अब्दुल अली है। वे एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्हें 'भारत के बर्डमैन' के रूप में भी जाना जाता है। सालिम अली की पक्षियों पर लिखी किताबों ने भारत में पक्षी-विज्ञान के विकास में काफी मदद की है।

बचपन में जगी पक्षियों के प्रति जिज्ञासा

इनका जन्म बॉम्बे के एक सुलेमानी बोहरा मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे अपने परिवार में सबसे छोटे और नौवें बच्चे थे। महज तीन साल के होते-होते उनके सिर से माता-पिता का छाया उठ गया। अली और उनके सभी भाई-बहनों की परवरिश इनके मामा अमिरुद्दीन तैयाबजी ने की। अमीरुद्दीन शिकार के शौकीन थे साथ-साथ प्रकृति-प्रेमी भी। अपने मामा के संगत में रहने के कारण सालिम की रुचि शिकार और प्रकृति में जगी। अली पक्षी की प्रजाति को नहीं पहचानते। एक दिन वे मामा के साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (बीएनएचएस) घूमने गए। वहां उन्हें पक्षियों की कुछ प्रजातियों के बारे में जानकारी मिली। वहीं से उनके अंदर पक्षियों के जीवन और अन्य पहलुओं के बारे में जाने की जिज्ञासा पैदा हुई।

गौरैया से मिली करिएर चुनाव की प्रेरणा

बीएनएचएस के तत्कालीन सचिव डब्ल्यूएस मिलार्ड की देखरेख में युवा अली ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन करना शुरू किया। मिलार्ड ने उन्हें बीएनएचएस में पक्षियों के संग्रह को भी दिखाया और उन्हें पक्षी के संग्रह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। बाद में अली की मुलाकात नोर्मन बॉयड किनियर से हुई, जो कि बीएनएचएस में प्रथम पेड क्यूरेटर थे। उनकी आत्मकथा 'द फॉल ऑफ ए स्पैरो में' अली ने पीले-गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन-क्षण माना है क्योंकि उन्हें पक्षी-विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा वहीं से मिली थी, जो कि एक असामान्य करिअर चुनाव था।

डिग्री बिना बनें बर्डमैन

1913 में सालिम ने बांबे विश्वविद्यालय से दसवीं की परीक्षा पास की। उन्होंने डावर कॉमर्स कॉलेज में वाणिज्यिक कानून और लेखा का अध्ययन किया। हालाकि उनकी ज्यादा रुचि प्राणी विज्ञान में थी, जिसकी उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली थी। 1930 में गाइड व्याख्याता की नौकरी के नहीं होने पर इन्होंने अपना सारा ध्यान पक्षियों की दुनिया पर केंद्रीत कर दिया।

शोध और लेखन

उनके शोध कार्य को पक्षीविज्ञान के विकास में अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है। उन्होंने 1930 में बुनकर पक्षी की प्रकृति और गतिविधियों पर चर्चा करते हुए एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसने उन्हें क्षेत्र में प्रसिद्ध कर दिया। इन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे सफर को 'फॉल ऑफ ए स्पैरो' नाम की किताब में बयान किया है। सालिम अली ने कई पत्रिकाओं के लिए लेख लिखा। इसके अलावा उन्होंने कई लोकप्रिय और शैक्षिक पुस्तकें भी लिखी हैं। 1930 में इन्होंने एक लोकप्रिय लेख लिखा था जिसका शीर्षक 'स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए संडे मोर्निंग।', जिसका पुनः प्रकाशन 1984 में किया गया था। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक 'द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स' थी।

सम्मान

1969 में उन्होंने प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के लिए सी फिलिप्स स्मारक पदक प्राप्त किया। इन्हें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और आंध्र विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट मिली। सालिम अली को देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया था। 1958 में उन्हें पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यही नहीं पक्षियों की कई प्रजातियों, पक्षी अभयारण्यों और संस्थानों के नाम उनके नाम पर रखे गएं। 1985 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था।

निधन : लंबी बीमारी के बाद इक्यानवे साल की उम्र में इनका निधन हुआ। ■

सेहत भी स्वाद भी

सर्दी का मौसम खानपान के लिहाज से उत्तम होता है। इस मौसम में पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और खाने-पीने की बहुत सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं। इस मौसम में कई ऐसी चीजें बाजार में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें खाने से वर्ष भर सेहत ठीक रह सकती है। उनमें आंवला और कच्ची हल्दी भी शामिल हैं। इस बार आंवले और कच्ची हल्दी के कुछ व्यंजन।

दाना-पानी

मानस मनोहर

आंवले के लड्डू

आंवले के गुणों से सभी परिचित हैं। इसमें कैल्शियम और लौह तत्त्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर रोज किसी न किसी रूप में एक आंवले का सेवन किया जाए, तो शरीर में कैल्शियम की कमी से होने वाली परेशानियां कभी पैदा नहीं होंगी। इससे बालों का झड़ना, कमजोर होना रुक जाएगा। मगर बच्चे आंवले की हरी चटनी वगैरह खाने से बचते हैं, इसलिए कि इसका स्वाद कसैला होता है। ऐसे में अगर आंवले के लड्डू बना लिए जाएं और उनके टिफिन में रख दें या भोजन के बाद खाने को दें, तो वे इसे खाने से इनकार नहीं करेंगे। घर के बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं। मेहमानों को भी मिठाई की जगह परोसा जा सकता है।

आंवले के लड्डू बनाना बहुत आसान है। इसके लिए बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती। लड्डू बनाने के लिए पहले आंवले को हल्के पानी में डाल कर कुकर में दो सीटी आने तक उबाल लें। फिर इन्हें निथार कर ठंडा होने दें। इन्हें दबा कर इनकी गुठलियां यानी बीज निकाल लें। फिर इन आंवलों को मिक्सर में डाल कर महीन पीस लें।

जितनी मात्रा में आंवले लिए हैं उतनी ही मात्रा में चीनी लें। जैसे आधा किलो आंवला लिया है, तो चीनी की मात्रा भी आधा किलो रखें। अगर इस लड्डू में कुछ मेवे डालना चाहें तो कुछ काजू और बादाम भी काट लें। कुछ हरी इलाइची के दाने भी कूट कर रख लें।

अब एक कड़ाही में एक चम्मच घी गरम करें और उसमें पिसा हुआ आंवला और चीनी डाल कर चलाते हुए पकाएं। मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें इलाइची पाउडर डाल दें। जब मिश्रण का सारा पानी सूख जाए, तो उसे अलग थाली में निकाल दें। यह देखने के लिए कि मिश्रण लड्डू बनाने लायक तैयार हो गया है कि नहीं, थोड़ा-सा मिश्रण अंगुली पर लेकर देखें कि वह चिपचिपा हो गया है या नहीं। वह बहुत ढीला तो नहीं है। ठंडा होने के बाद वह लड्डू के रूप में कड़ा हो पाएगा या नहीं।

अब इस मिश्रण में कटे सूखे मेवे डाल कर मिला लें। मिश्रण हल्का गरम रह जाए तो छोटे-छोटे हिस्से लेकर मनचाहे आकार में लड्डू बना लें। यह लड्डू तीन-चार महीने तक खराब नहीं होता। बच्चों को रोज एक लड्डू खाने को अवश्य दें।

इसी तरह आंवले की मीठी-चटपटी चटनी बना कर रख सकते हैं, जिसे भोजन के वक्त खा सकते हैं।

आंवले की मीठी चटनी

लड्डू की तरह आंवले की चटनी बनाना भी बहुत आसान है। जिस तरह आंवले को उबालने के बाद पीस लिया था, वैसे ही पीस लें। चटनी बनाने के लिए चाहें तो चीनी के बजाय गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। इसमें डालने के लिए कुछ काजू और किशमिश भी ले सकते हैं।

चटनी बनाने के लिए थोड़े से मसालों की भी जरूरत पड़ती है। उसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च और थोड़ा-सा काला नमक या चाट मसाला जरूर पड़ता है।

पहले एक कड़ाही में एक से दो चम्मच घी गरम करें। उसमें जीरा, मेथी दाना और अजवाइन का तड़का दें। उसी में पिसे हुए आंवले और गुड़ या बराबर मात्रा में चीनी डालें और थोड़ी देर पकने दें। जब गुड़ या चीनी ठीक से घुल जाए तो उसमें सभी मसाले डाल कर मिला लें।

इस चटनी को दोनों रूपों में बनाया जा सकता है। सूखे रूप में और तरल रूप में। अगर चटनी को थोड़ा गाढ़ा तरल बनाना चाहते हैं, तो आंवले उबालने के बाद जो पानी निथार कर रखा था, उसमें से थोड़ा पानी इस मिश्रण में डालें। जब चटनी पक कर गाढ़ी हो जाए, तो आंच बंद कर दें। इस चटनी को किसी भी भोजन के साथ खाया जा सकता है। रोटी, परांठे, चावल-दाल के साथ। बच्चों को यह चटनी खाने की आदत जरूर डालें।

कच्ची हल्दी की चटपटी चटनी

इस मौसम में कच्ची हल्दी खूब मिलती है। आंवले की तरह हल्दी के गुण भी बहुत हैं। सब जानते हैं कि हल्दी अनेक तरह के बैक्टीरिया को समाप्त करता है। दर्द निवारक का भी काम करता है। पेट संबंधी अनेक समस्याओं को दूर करता है। खून को साफ करता और उसमें आक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। इस मौसम में कच्ची हल्दी की मीठी चटनी बना कर रख लें और पूरी सर्दी रोज खाएं, सेहत के लिए बहुत लाभकारी होगी।

हल्दी की चटनी बनाना भी बहुत आसान है। कच्ची हल्दी की गांठों से छिलका उतार लें। फिर इसे कद्दूकस कर लें या बारीक काट लें। इसमें डालने के लिए बराबर मात्रा में गुड़ या चीनी की जरूरत पड़ती है। साथ ही मसालों में जीरा, अजवाइन, साबुत धनिया, मेथी दाना, कुटी लाल मिर्च, तेजपत्ता चाहिए होता है।

कड़ाही में एक या दो चम्मच देसी गी गरम करें। उसमें मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया, अजवाइन और तेजपत्ते का तड़का दें। फिर उसमें घिसी या कटी हुई कच्ची हल्दी और चीनी या गुड़ डालें और ठीक से चला लें। जब चीनी घुल जाए, तो उसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर मिला लें। अब ऊपर से कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालें। चुटकी भर खाने का नमक और चुटकी भर काला नमक भी डाल दें। अब हल्दी के पक कर नरम होने और चटनी के गाढ़ा होने तक ढंक कर पकाएं। इसी में कुछ किशमिश और काजू के टुकड़े डालें और तेजपत्ता बाहर निकालने के बाद चटनी को एक जार में भर कर रख दें। रोज भोजन के साथ इस चटनी को खाएं, सर्दी में शरीर को गरमी भी देगी और अनेक तरह की समस्याओं से दूर रखेगी। ■

बढ़ाएं शरीर की ताकत

पिछले दो हफ्ते में दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश में स्वास्थ्य इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी है। हालांकि दो-तीन दिनों से प्रदूषण के स्तर में कुछ कमी जरूरी आई है लेकिन अब भी हवा पूरी तरह सांस लेने लायक नहीं है। प्रदूषण की वजह से अस्पतालों में बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार लेने की सलाह दी है। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर आहार शरीर को प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों और समस्याओं से बचाते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि एंटीऑक्सीडेंट आहार क्या है?

एंटीऑक्सीडेंट

एंटीऑक्सीडेंट वो पदार्थ होते हैं जो फ्री रेडिकल्स के कारण कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को रोकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से विटामिन-सी, विटामिन -ई और बीटा-कैरोटीन से युक्त बहुत सारे फल और सब्जियों में पाए जाते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को प्राकृतिक तरीके से डीटॉक्स यानी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करते हैं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जब शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिल जाती है तब आप कई तरह की बीमारियों से बच जाते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार को रोजाना के खाने में शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट आहार विटामिन, मिनरल, पोषक तत्व तथा कई तरह के खनिज पदार्थो से भरपूर होते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियां

ब्लूबेरी : ब्लूबेरी में कैलोरी कम होती है लेकिन इसमें पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लूबेरी एंटीऑक्सिडेंट के सबसे अच्छे स्रोतों में से एक हैं। इसमें एंथोसायनिन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में हैं जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने के साथ उम्र के साथ होने वाले मस्तिष्क विकारों को कम करने में मदद करते हैं।

स्ट्राबेरी : स्ट्राबेरी मीठे तो होते ही हैं इनमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की अधिकता होती है। स्ट्रॉबेरी में एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सिडेंट होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करता है।

बीन्स : बीन्स एंटीऑक्सिडेंट के सर्वश्रेष्ठ सब्जी स्रोतों में से एक हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है। इसमें अधिक मात्रा में फाइबर होता है जो आपके चयापचयन को दुरुस्त रखता है।

बीट : बीट को चुकंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसका हल्का मटमैला स्वाद होता है। चुकंदर फाइबर, पोटेशियम, लोहा, फोलेट और एंटीऑक्सिडेंट का एक बड़ा स्रोत है। चुकंदर शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है।

कीवी : कीवी स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है लेकिन इसमें विटामिन-ई, विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा होती है। कीवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ अच्छी नींद में उपयोगी है।

अदरक : कई अध्ययन के मुताबिक अदरक में उच्च किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में डीएनए की क्षति को रोकते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते भी हैं। अदरक के रोजाना सेवन से हृदय रोग, शुगर, गणिया और अल्जाइमर से बचा जा सकता है।

टमाटर : टमाटर न सिर्फ सब्जी का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी के साथ काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। इसके सेवन से हृदय रोग और कैंसर की संभावना कम हो जाती हैं।

अदरक : अनार में एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुरता होती है जो शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकलता हैं। अनार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट के अलावा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, थाइमिन और आयरन भी पाया जाता है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है और श्वेत रक्त कोशिकाओं को मजबूत करता है।

धनिया, गोभी, शलजम, गाजर,अमरूद, मूली के पत्ते, चौलाई का साग, नींबू और करौंदे सहित कई दूसरे फल और सब्जियों में भी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ■

किसी धरोहर से कम नहीं पटोला साड़ी

पाटन पटोला नाम से प्रसिद्ध पटोला साड़ी उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र में बनती हैं। पटोला नाम संस्कृत शब्द 'पट्टकुल' से लिया गया है। ये साड़ियां भारतीय हस्तकला का उत्कृष्ट नमूना हैं और ये अपने शानदार रंगों, बनावट, गुणवत्ता और पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलने वाली धरोहर के रूप में जानी जाती हैं। पटोला साड़ी के इतिहास, उसकी नक्काशी और खूबसूरती के बारे में बता रही हैं सुमन बाजपेयी।

पटोला साड़ी का इतिहास कोई एक हजार साल पुराना है। 12वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के राजा कुमरपाल ने महाराष्ट्र के जलना से बाहर बसे 700 पटोला बुनकरों को पाटण में बसने के लिए बुलाया और इस तरह पाटन पटोला की परंपरा का शुभारंभ हुआ। अजंता-एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बने हैं उनमें से कई चित्रों में मनुष्य पटोला पहने नजर आता है। राजा-महाराजा विशेष अवसरों पर पटोला सिल्क का पट्टा ही पहना करते थे। यही वजह है कि गुजरात आज पटोला बुनकरों और व्यापारियों का गढ़ है। रामायण और नरसिंह पुराण में भी पटोला साड़ी का उल्लेख मिलता है। यही नहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा जनक ने सीता को एक पटोला की साड़ी उपहार के तौर पर दी थी।

पहले शाही घराने की महिलाएं और कुलीन लोगों की पत्नियां पटोला साड़ी पहनती थीं। बीस हजार से बीस लाख के बीच बिकने वाली इन साड़ियों का दाम इस बात से तय होता है कि काम कितना बारीक है और बुनाई में सोने के धागों का कितना प्रयोग किया गया है। इन साड़ियों को बुनने का हुनर पीढ़ी दर-पीढ़ी केवल पुत्रों को दिया जाता है और आज, पाटन में साल्वी समुदाय के केवल तीन परिवार हैं, जो इन बेशकीमती साड़ियों की बुनाई करते हैं। घर की बेटियों को वे इस कला को नहीं सीखाते। वो इसलिए कि कहीं दूसरे परिवार में ये शिल्प व कला न चली जाए। इसमें रानी की वाव (बावड़ी) जो पाटन का एक प्रसिद्ध स्थल है, के खम्भों की नक्काशी का नमूना बनाते हैं। जब बावड़ी बनकर तैयार हुई थी, तब इसकी हस्तकला को रानी उदयमती ने अपने कपड़ों पर सबसे पहले अंकित करवाया था। इसके बाद केवल महल की राजकुमारियां और रानियां ही इसे बनवाने और पहनने का अधिकार रखती थीं।

खासियत है बारीक बुनाई

पाटन में बुने रेशम पाटन को पटोला के नाम से जाना जाता है। इसकी बुनाई, अन्य बुनाई के सभी तरीकों से सबसे कठिन है। इसमें रेशम की बुनाई के लिए 'दोहरी इक्कत शैली' का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें दोनों तरफ काम किया हुआ होता है। यह काम गुणवत्ता और रंग में दोनों तरफ से बराबर होता है। एक साड़ी बनाने में महीनों लग जाते हैं, इसी कारण ये इतनी महंगी होती हैं। इसकी बारीक बुनाई इनकी खासियत है।

वनस्पति रंगों का इस्तेमाल

पटोला साड़ी को बुनने से पहले ताने-बाने को अलग-अलग रंगा जाता है। कपड़े को रंगने के लिए वनस्पति रंगों (वेजिटेबल ऑयल) का इस्तेमाल किया जाता है। ताने-बाने को करघे पर इस तरह चढ़ाना होता है कि डिजाइन में सूत बराबर का भी फर्क न आए। बुनाई की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल होती है और बुने जाने से पहले धागे के प्रत्येक रेशे को अलग-अलग रंगना पड़ता है।

साड़ी सौ साल तक चलेगी

पटोला साड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। इसे 'डबल इकत आर्ट' कहते हैं। डबल इकत में धागे को लंबाई और चौड़ाई दोनों तरह से आपस में क्रॉस करते हुए फंसाकर बुनाई की जाती है। इससे यह तक नहीं पता चलता कि साड़ी किस तरफ से सीधी और किस तरफ से उल्टी है। पटोला साड़ी की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका रंग कभी हल्का नहीं होता और साड़ी सौ साल तक चलती है। इसका पल्लू सोने की जरी से बनता है। साड़ी पर आकृति उकेरने का एक निश्चित क्रम होता है, इसलिए एक साड़ी को दो ही मजदूर पूरा करते हैं। जब तक एक साड़ी का काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक दूसरी की तैयारी नहीं की जाती।

रानी की वाव की नक्काशी

बावड़ी की दीवारों पर की गई नक्काशी जो मारू-गुर्जर शैली में की गई है, उसे साड़ियों में बुना जाता है। पाटन के एक बुनकर ने बताया कि बावड़ी की दीवारों की नक्काशी में केवल चार तरह की आकृतियां हैं, जिसे आपस में इस तरह जोड़ा गया है कि ये हर दीवार पर अलग दिखाई देती हैं। पटोला साड़ियों पर भी इन्हीं चार आकृतियों को नक्कशी वाली शैली में उतारा जाता है।

पटोला साड़ी में उपयोग किए जाने वाले डिजाइन में फूलों के ज्यामितीय डिजाइन, हाथी, तोते और मानव आकृतियां देखने को मिलेंगी। लेकिन हरा मुस्लिम समुदाय द्वारा पहने जाने वाली पटोला में सिर्फ ज्यामितीय डिजाइन ही देखने के मिलेंगे। एक तरह से पटोला साड़ी में जो डिजाइन उकेरे जाते हैं, शिखर सहित, वे एक तरह की सुरक्षा का प्रतीक हैं। हाथी, तोते, मोर, कलश, आदि महिलाओं के लिए सौभाग्य का भी प्रतीक हैं।

बेशकीमती धरोहर

सदियों से, पटोला को एक शुभ विरासत माना गया है और यह परंपरा आज भी जारी है। दुनिया के लगभग हर लोकप्रिय कपड़ा संग्रहालय (टेक्सटाइल म्यूजियम) में संग्रहित होने के कारण, यह समझना मुश्किल नहीं है कि यह इतनी बेशकीमती धरोहर आखिर क्यों है? कुछ लोगों के लिए अगर यह बुनाई का असाधारण नमूना है तो कुछ इसे इसके चटक रंगों की वजह से पसंद करते हैं। सच तो यह है, पटोला साड़ी का इतिहास, उसकी बुनाई उसके रंगों की ही तरह कभी फीके नहीं पड़ेंगे। ❑

- पटौला साड़ी, हथकरघे से बनी एक प्रकार की साड़ी है।
- यह प्राय: रेशम की बनती है।
- यह काम करीब सात सौ साल पुराना है।
- हथकरघे से बनी इन साड़ियों को बनाने में छ महीने से ज्यादा समय भी लग जाता है।
- दोनों साइड वाली ये साड़ियां अस्सी हजार रुपये से दो लाख रुपये तक की लागत में तैयार की जाती है।
- तीन परिवारों ने संभाल रखा है इस नौ सौ साल साल पुरानी धरोहर को।

नन्ही दुनिया

गलती की सजा

कहानी

पवन वर्मा

नन्हीं चील पहली बार खुले आकाश में उड़ रही थी। आज वह बहुत खुश थी। इतने ऊपर से वह दूर तक देख सकती थी। घोंसले में बैठी उसकी मां भी उसे उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी।

बहुत दूर मत जाना। बीच बीच में मां उसे समझा रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर नन्हीं चील को खरगोश के दो छोटे बच्चे दिखाई दिए। लेकिन उसे देखते ही वे दोनों तुरंत अपने बिल में घुस गए। लगता है दोनों मुझ से डर गए। नन्हीं चील सोचने लगी। गौरैया अपने बच्चों के साथ पेड़ की डाली पर बैठी थी। वह भी नन्हीं चील को देखकर बच्चों के साथ अपने घोंसले में दुबक गई। सब मुझसे डर रहे हैं। नन्हीं चील मन ही मन हंसने लगी। चलो। अब वापस आ जाओ। आज के लिए इतना बहुत है। मां ने उसे आवाज दी। मां। थोड़ी देर और रूक जाओ। नन्हीं चील मां से बोली। पहली बार खुले आकाश में उड़ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं। जिद नहीं करते। रात होने वाली है। अब वापस आ जाओ। कल फिर से चली जाना। मां बोली।

मां की डांट पड़ते ही वह वापस अपने घोंसले में लौट आई। उसके पंख भी दर्द कर रहे थे। उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसे अगली सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही वह मां से बोली,

'मां, क्या मैं जाऊं?'

अभी नहीं। मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूं। खाने के बाद तुम जाना, मां बोली।

नहीं मां, मुझे अभी जाना है।

वह फिर से जिद करने लगी।

नहीं। मेरे लौटने के बाद तुम जाना। तब तक तुम घोंसले में ही रहना। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। इतना कहकर मां उड़ गई। नन्हीं चील ने मां की बात नहीं मानी।

उनके जाते ही वह खुले आकाश में उड़ गई। आस-पास रहने वाले छोटे जानवर और पक्षी उसके डर से इधर-उधर छिपने लगे। उन्हें डरता हुआ देख कर नन्हीं चील बहुत खुश हो रही थी। लगता है मैं बहुत ताकतवर हूं। नन्हीं चील मन ही मन सोच रही थी। वह और दूर निकल गई। कुछ दूरी पर बच्चों का स्कूल था। उस समय लंच का समय था। बच्चे स्कूल के मैदान में लंच कर रहे थे। चारो ओर बच्चे ही बच्चे दिख रहे थे।

नन्हीं चील अब स्कूल के मैदान के ऊपर उड़ रही थी। बच्चों के लंच बॉक्स में तरह-तरह की चीजें थीं। वह बिना कुछ खाए-पीए घोंसले से निकली थी। लंच-बॉक्स देख कर उसकी भूख बढ़ गई। लेकिन वह उन तक कैसे पहुंचेगी? नीचे तो ढेर सारे बच्चे हैं। वह नीचे जाने के बारे में सोचने लगी। बच्चों के लंच का समय समाप्त होने वाला था। उसे जल्दी से जल्दी कुछ करना था।

थोड़ी देर तक तो वह स्कूल के ऊपर चक्कर लगाती रही। फिर उसके मन में एक विचार आया। वह तेजी से नीचे आई और एक बच्चे के लंच-बॉक्स पर झपट पड़ी।

उसे अचानक नीचे देखकर बच्चे भी बुरी तरह घबरा गए। सब इधर-उधर भागने लगे। नन्हीं चील भी कुछ समझ नहीं पाई। वह तेजी से ऊपर की ओर उड़ना चाही, लेकिन स्कूल की दीवारों से टकरा गई। उसके पंख में कई जगह तेज चोट लग गई।

किसी तरह वह स्कूल की छत तक पहुंच पाई। दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। उस समय छत पर कोई नहीं था। वह एक ओर बैठ गई। अब उसे मां की याद आने लगी।

मां जब घोसलें में वापस लौटी तो वहां नन्हीं चील नहीं थी। वह उसका इंतजार करने लगीं। उसे नन्हीं चील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अंधेरा होने वाला था। नन्हीं चील अब तक नहीं लौटी। मां की चिन्ता बढ़ने लगी, आखिर वह उसे खोजने निकल पड़ी। चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। मां परेशान होने लगीं। वह उसे जोर-जोर से आवाज देने लगीं। मां की आवाज नन्हीं चील के कानों में पड़ी। उसकी आवाज सुनकर नन्हीं चील भी बोलने लगीं। मां ने उसे देख लिया। वह स्कूल की छत पर उतर गई। मां को देख कर नन्हीं चील जोर-जोर से रोने लगी।

'मां , मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी।' वह रोते हुए मां से लिपट गई। मां को भी उस पर दया आ गई। वह उसे किसी तरह घोंसले तक ले आई। घोंसले में मां उसकी देख-रेख करने लगीं।

धीरे-धीरे उसके पंख ठीक हो गए।

अब वह फिर से उड़ सकती थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह मां से पूछकर ही कहीं जाएगी। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी थी। ❑

कविता

हरिंदर सिंह गोगना

बाल दिवस मनाते हम
चाव से हर साल
इसी दिन जन्मे थे
वीर जवाहर लाल।

बापू गांधी के साथ ही
आजादी की जंग लड़े।
उनकी हर नीति के आगे
अंग्रेज सभी लाचार पड़े।

चाचा नेहरू को भाता था
बच्चों संग जन्मदिन मनाना।
बड़ी खुशी देता था उन्हें
कोट पर गुलाब लगाना।

बेटा बेटी बराबर हैं
चाचा नेहरू समझाते थे।
खुशहाल हो देश हमारा
बस यही वह चाहते थे।

आओ बाल दिवस पर
चाचा को करें नमन।
उनके खाब हैं पूरे करने
मन में लें यही प्रण।

शब्द-भेद

कुछ शब्द एक जैसे लगते हैं। इस तरह उन्हें लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए आइए उनके अर्थ जानते हुए उनका अंतर समझते हैं।

एकड़ / एकज

एकज मतलब एक ही यानी किसी वस्तु या किसी चीज के संख्या में एक होने से है। वहीं एकड़ का अर्थ भूमि की एक नाप जो डेढ़ बीघे से कुछ बड़ी होती है। भारत के अधिकांश भागो में खेतों व भूमि के नाप के लिए एकड़ का प्रयोग किया जाता है।

चतुर्थी / चतुर्दशी

किसी पक्ष की चौथी तिथि या चौथ को चतुर्थी कहते हैं। जबकि किसी पक्ष की चौदहवीं तिथि को चतुर्दशी कहते हैं। चतुर्दशी को चौदस भी कहा जाता है। देश के कई राज्यों में महीने की इन दोनों ही तिथि को लोग विशेष पूजा-पाठ और उपवास रखते हैं।